उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०

सीआईएन : यू40101यूपी2004एसजीसी028687

19वाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन

2022
2023

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

सीआईएन : यू40101यूपी2004एसजीसी028687

दिनांक **31.03.2023** को तुलन पत्र

एवं

दिनांक **01.04.2022** से दिनांक **31.03.2023** तक की अवधि का लाभ एवं हानि विवरण

पंजीकृत कार्यालय : शक्ति भवन, **14**-अशोक मार्ग, लखनऊ–**226 001**

निदेशक मण्ड

(दिनाँक 31 मार्च, 2023)

अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा)

श्री एम॰ देवराज

निदेशक

- श्री गुरू प्रसाद पोराला
- श्री पंकज कुमार
- श्री राजीव कुमार
- श्री पीयूष गर्ग
- श्री निधि कुमार नारंग
- श्री राकेश प्रसाद
- श्री नील रतन कुमार
- श्री टी॰एस॰सी॰ बोस
- श्री रवीन्द्र नागपाल
- श्री जावेद असलम
- श्री अनुपम शुक्ला
- श्रीमती सी॰ इन्दुमती

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री श्रवण बब्बर

कम्पनी सचिव

श्री ऋषि टण्डन

वैधानिक लेखा परीक्षक

जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

मुख्यालय : 2/10, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010

बैंकर्स :

भारतीय स्टेट बैंक	पंजाब नेशनल बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ बैंक
एच॰डी॰एफ॰सी॰ बैंक	इंडियन बैंक

पंजीकृत कार्यालय

शक्ति भवन

14 अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

अनुक्रमणिका

क्र॰सं॰	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	1 - 21
2.	निदेशक मण्डल प्रतिवेदन के अनुलग्नक	22 - 68
3.	तुलन–पत्र	69 - 70
4.	लाभ एवं हानि का विवरण	71 - 72
5.	समता परिवर्तन विवरण	73 - 74
6.	रोकड़ प्रवाह विवरण	75 - 76
7.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (नोट संख्या–1)	77 - 83
8.	नोट्स (2-31)	84 - 102
9.	लेखों पर टिप्पणियाँ (नोट संख्या–32)	103 - 115
10.	तुलनपत्र के आंकड़ों हेतु पुनर्स्थापन की अनुसूची	116 - 117
11.	स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	118 - 137
12.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	138 - 141
13.	सचिवीय सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	142 - 144

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

शक्ति भवन, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

आपके निदेशक मण्डल को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी के कार्य निष्पादन एवं क्रिया कलापों पर 19वीं वार्षिक प्रतिवेदन, सम्प्रेक्षित लेखा विवरणों, सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा लेखा विवरणों की समीक्षाधीन अवधि की समीक्षा प्रस्तुत करते हुये प्रसन्नता हो रही है।

प्रस्तावना :–

उ०प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 2974(1)/24–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के द्वारा उ०प्र०पा०का०लि० से उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० का उद्गम हुआ। अन्तरण योजना के अन्तर्गत पारेषण गतिविधियाँ जिसमें सम्पत्तियों, दायित्वों एवं संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 01 अप्रैल, 2007 की प्रभावी तिथि से उ०प्र०पा०का०लि० द्वारा उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० को अंतरित कर दी गई। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अनुसार, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० एक राज्य पारेषणोपयोगी संस्थान है।

वित्तीय प्रदर्शन :–

समीक्षाधीन अवधि में कम्पनी के वित्तीय परिणामों का विवरण निम्नवत् है :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
ऊर्जा के पारेषण से राजस्व	3,564.50	3,408.21
अन्य आय	393.63	288.87
योग (अ)	**3,958.13**	**3,697.08**
व्यय		
परिचालन व्यय :		
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	471.26	385.07
कर्मचारी लागत	421.30	525.56
प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	75.49	80.45
योग (ब)	**968.05**	**991.08**

अवक्षयण, ब्याज एवं प्रावधान के पूर्व परिचालन लाभ/(हानि) स=(अ–ब)	**2,990.08**	**2,706.00**
ब्याज एवं वित्त प्रभार	1,045.39	1,218.40
अवक्षयण	1,827.19	1,666.21
अशोध्य ऋण एवं प्रावधान	–	20.65
योग (द)	**2,872.58**	**2,905.26**
अपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) य=(स–द)	**117.50**	**(199.26)**
अपवादिक मदें	**(24.80)**	**(334.44)**
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	**92.70**	**(533.70)**
अस्थगित कर	**24.64**	**123.08**
कर के पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	**68.06**	**(656.78)**

पूंजी संरचना :–

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1,51,99,845 की संख्या में समता अंश उ०प्र० सरकार को ₹ 1000 प्रति अंश के मूल्य पर निर्गत किये थे। परिणामस्वरूप, कम्पनी की समता अंशपूंजी ₹ 1,83,47,27,37,000/- से बढ़कर ₹ 1,98,67,25,82,000/- हो गयी है जिसमें ₹ 1000 प्रति के 19,86,72,582 के समता अंश सम्मिलित है।

धारा 134 (3)(बी) के अनुरूप निदेशक मण्डल की बैठकों से सम्बन्धित सूचनाएं :–

कम्पनी द्वारा बोर्ड की बैठकों को आयोजित करने एवं बुलाने से सम्बन्धित सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन किया गया है एवं तदनुसार, वर्ष के दौरान 9(नौ) बोर्ड की सभाऐं की गयी तथा किन्हीं दो बोर्ड की सभाओं के मध्य 120 दिनो से अधिक का अन्तराल नहीं था।

I. 30 अप्रैल, 2022
II. 31 मई, 2022
III. 10 जून, 2022
IV. 11 अगस्त, 2022
V. 29 अगस्त, 2022
VI. 28 अक्टूबर, 2022
VII. 11 जनवरी, 2023
VIII. 09 फरवरी, 2023
IX. 28 मार्च, 2023

दो बैठकों के मध्य के अंतराल के निर्धारण में बोर्ड की बैठको से सम्बन्धित कंपनी अधिनियम, 2013 और सचिवीय मानक–1 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

बोर्ड की कार्य प्रणाली

निदेशक मण्डल ने हमारे हितधारकों के प्रति निगमित दायित्व की पूर्ति करने के लिये निगमित अभिशासन प्रथाओं एवं दिशा निर्देशों का अनुसरण किया है। ये दिशा निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बोर्ड के पास क्रिया कलापों की समीक्षा व मूल्यांकन करने तथा आवश्यकता पड़ने पर कार्यान्वयन का आवश्यक अधिकार एवं प्रक्रियायें होंगी। बोर्ड ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिये अनेकों समितियां भी गठित की हैं।

सामान्यतया निदेशक मण्डल की बैठके कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आहूत की जाती हैं। बोर्ड बैठक की तिथियां काफी पहले निश्चित कर ली जाती हैं तथा बोर्ड के सदस्यों को सूचित कर दी जाती है जिससे वे तदनुसार अपने कार्यक्रमों की योजना बना सकें। कार्यसूची व कार्यसूची पर टिप्पणियां निर्धारित एजेन्डा प्रारूप में निदेशको को पर्याप्त समय पूर्व प्रसारित कर दी जाती हैं। बैठक में सार्थक व केन्द्रित विचार विमर्श में सहायता करने के लिये कार्यसूची में सभी महत्वपूर्ण सूचनायें शामिल की जाती हैं। कुछ परिस्थितियों में कार्य की सूची को बैठक में अध्यक्ष की आज्ञा से भी शामिल किया जाता है, सिवाय उन मदों को जो संवेदनशील प्रकृति के हैं। कार्यसूची की मदें विभिन्न वैधानिक व गैर वैधानिक मामलों से सम्बन्धित बोर्ड की बैठकों तथा अन्य बैठकों के लिए विचार विमर्श एवं उपयुक्त निर्णय लेने हेतु विस्तृत एवं सूचनात्मक है। कभी–कभी कुछ अत्यावश्यक मुद्दों के समाधान हेतु कुछ व्यवसायिक संव्यवहार परिचालन के माध्यम से संकल्प पारित करके किये जाते हैं। कम्पनी ने बोर्ड बैठक व साधारण बैठक के सम्बन्ध में भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरी ऑफ इण्डिया, द्वारा निर्गत लागू सचिवीय मानकों के अनुपालन हेतु पूर्ण प्रयास किया है।

सभी वैधानिक, महत्वपूर्ण व आवश्यक सूचना बोर्ड के सम्मुख रखी जाती है। बोर्ड के सदस्यों के पास कम्पनी की सभी सूचनाओं तक पूरी पहुँच होती है। कभी कभी बोर्ड द्वारा विचार विमर्श किये जा रहे मदों पर अतिरिक्त सूचना देने के लिये प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बोर्ड बैठक में आमंत्रित किया जाता है। बोर्ड के सम्मुख कम्पनी के विभिन्न कार्यात्मक व परिचालन क्षेत्र जैसे वित्तीय विशिष्टताएं, प्रमुख परियोजनायें व उनकी प्रगति, परिचालन आदि का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया जाता है।

बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त, बैठक के बाद यथाशीघ्र तैयार किये जाते हैं व तत्पश्चात सभी निदेशकों को इस पर उनकी टिप्पणी हेतु प्रसारित किया जाता है। निदेशकों की टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद मामले को निर्धारित समय सीमा के भीतर हस्ताक्षर हेतु अध्यक्ष को अग्रसारित किया जाता है। संगत कार्यवृत्त सम्बन्धित विभाग/समूह को कार्यान्वयन हेतु तथा सभी निदेशकों को टिप्पणी हेतु प्रसारित किये जाते हैं। बोर्ड के निर्णयों पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन (ए॰टी॰आर॰) प्राप्त किया जाता है तथा समीक्षा हेतु अगली बोर्ड बैठक में रखा जाता है।

निदेशको के उत्तरदायित्व का विवरण :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(सी) एवं 134(5) की आवश्यकताओं के अनुरूप निदेशकगण एतद्द्वारा पुष्टि करते है किः–

अ) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है, सिवाय कुछ मामलों मे, जो कि विद्युत (प्रदाय) (वार्षिक लेखे) नियम, 1985 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप हैं एवं जिनपर तद्नुसार लेखांकन नीतियाँ निर्धारित करते हुये उनका लेखों पर टिप्पणियों में समुचित प्रकटन देते हुये अनुपालन किया गया है।

(ब) निदेशकगण द्वारा समुचित लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है एवं लगातार लागू किया गया है सिवाय उन विचलनों के जिनका अलग से उल्लेख किया गया है तथा निर्णय एवं अनुमान निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि यह उचित एवं विवेकपूर्ण हो ताकि 31 मार्च, 2023 को कम्पनी के क्रियाकलापों तथा समीक्षाधीन कथित वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि खाते की यथार्थ एवं उचित स्थिति परिलक्षित हो।

(स) विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 178 सपठित धारा 61 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना सं॰ एल–1/236/2018/सी॰ई॰आर॰सी॰ दिनांक 07.03.2019 के माध्यम से निर्गत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियम 2019 के ''परिशिष्ट–I'' में दी गई पद्धति के अनुसार अवक्षयण भारित किया गया है। कथित विनियम दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 की अवधि हेतु प्रभावी है। अवक्षयण सीधी रेखा पद्धति पर मूल लागत के 10% बचे मूल्य के साथ निर्धारित दरों से भारित किया गया है (सिवाय अस्थाई निर्माण जैसे लकड़ी की संरचना के मामले में, जहां अवक्षयण की दर 100% है तथा सूचना एवं प्रोद्योगिकी उपकरण व साफ्टवेयर के मामले में, जहां अवक्षयण योग्य मूल्य 100% व बचा हुआ मूल्य शून्य है)। वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि पर मूल्यह्रास वाणिज्यिक तिथि से आनुपातिक आधार पर लिया जाता है। इसी प्रकार, वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से कटौती पर मूल्यह्रास पिछले दिन तक आनुपातिक आधार पर लगाया जाता है जिस दिन संपत्ति का निपटान किया जाता है।

(द) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखा–धड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु यथेष्ट लेखीय अभिलेखों के रख–रखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है। अग्रेतर, अंशधारकों को सूचित करना है कि विभिन्न कमियां जो प्रबन्धन द्वारा पायी गई तथा वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं सी॰ए॰जी॰ द्वारा इंगित की गई, उन्हें संज्ञान में लिया जायेगा तथा आवश्यकता हुई तो उसका लेखांकन अग्रेतर वर्षों में कर लिया जायेगा।

(य) निदेशको द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखे सतत व्यापार आधार पर तैयार किये गये हैं।

(र) समस्त प्रभावी विधियों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेशकगण द्वारा समुचित प्रणाली तैयार की गई है तथा कथित प्रणाली यथोचित एवं प्रभावशाली रूप से क्रियाशील थी।

<u>स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा</u> :–

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने से सम्बन्धित धारा 149 के प्रावधान कम्पनी पर लागू है। कम्पनी द्वारा निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

<u>निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान व कर्तव्यों के निर्वाह से सम्बन्धित कम्पनी की नीतियाँ</u> :–

अधिसूचना संख्या जी॰एस॰आर॰ 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के प्रभाव से नामांकन व पारिश्रमिक समिति से सम्बन्धित धारा 178(2),(3) एवं (4) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नही है अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178(3) के अन्तर्गत प्रावधानित अर्हताएँ, सकारात्मक गुण, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा अन्य सम्बन्धित मामले सहित नियुक्ति एवं पारिश्रमिक सम्बन्धी कोई नीति कम्पनी द्वारा तैयार नही की गई है।

सम्प्रेक्षकों तथा पेशेवर कम्पनी सचिव द्वारा उनके प्रतिवेदनों में दिये गये प्रतिबन्ध, निर्बन्ध अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी :–

सम्प्रेक्षकों एवं सी॰ एण्ड ए॰जी॰ तथा पेशेवर कम्पनी सचिव द्वारा उनके प्रतिवेदनों में अंकित प्रतिबन्ध, निर्बन्ध अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा स्पष्टीकरण/टिप्पणी क्रमशः वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–I, II एवं III के रूप में प्रस्तुत किये गये है तथा इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत ऋण, गारण्टी व विनियोगों का विवरण :–

अधिसूचना संख्या जी॰एस॰आर॰ 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के प्रभाव से धारा 186 में नियत ऋण, गारण्टी व विनियोगों के प्रावधान सरकारी कम्पनी पर लागू नही हैं।

सम्बन्धित पक्षों के साथ किये गये अनुबन्धों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण :–

चूँकि कम्पनी के नित्य क्रियाकलापों के दौरान ऐसे कोई भी समव्यवहार नहीं किये गये जो कि निष्पक्ष आधार पर न हों अतएव धारा 188 के आलोक में सम्बन्धित पक्षों के साथ किये गये अनुबन्धों अथवा व्यवस्थाओं हेतु प्रावधान कम्पनी पर लागू नही हैं।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यद्यपि ओपीजीडब्ल्यू लाइनों को पट्टे पर देने से राजस्व प्राप्त होने से राजस्व में वृद्धि हुई है।

मण्डल द्वारा संचय में अन्तरित करने हेतु प्रस्तावित की गई धनराशि, यदि कोई हो :–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कर के पश्चात् शुद्ध लाभ ₹ 68.05 करोड़ और वर्ष तक ₹1,477.64 करोड़ की संचित हानियां रही। किसी विशिष्ट संचय में धनराशि अन्तरित किया जाना प्रस्तावित नही है।

धनराशि, जो कि लाभांश के रूप में भुगतान करने के लिये संस्तुत की गई, यदि कोई हो :–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कर के पश्चात् शुद्ध लाभ ₹ 68.05 करोड़ और वर्ष तक ₹ 1,477.64 करोड़ की संचित हानियां रही। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशकगणों ने लाभांश के लिये कोई धनराशि संस्तुत नही की है।

तुलन पत्र से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति तथा प्रतिवेदन की तिथि के मध्य हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं, जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों :–

सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा कारपोरेट लेखा कार्यालय को दी गई सूचना के अनुसार तुलनपत्र से सम्बन्धित कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं घटित नही हुये हैं।

ऊर्जा का संरक्षण, तकनीकी समावेश तथा विदेशी विनिमय उपार्जन तथा व्यय :–

ऊर्जा का संरक्षण, तकनीकी समावेश तथा विदेशी विनिमय उपार्जन के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) सपठित नियम 8(3) कम्पनी (लेखे) नियम, 2014 की आवश्यकतानुसार सूचनाएं इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–IV में वर्णित हैं।

कम्पनी के जोखिम प्रबन्धन नीति के विकास तथा क्रियान्वयन सम्बन्धी विवरण :–

कम्पनी में जोखिम प्रबन्धन नीति निर्धारित नहीं है क्यूंकि कम्पनी के अस्तित्व को जोखिम में डालने वाले तत्वों की मौजूदगी न्यूनतम है।

कम्पनी द्वारा निगमीय समाजिक दायित्व उपक्रम अन्तर्गत विकसित तथा क्रियान्वित नीतियों का विवरण :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के प्राविधानानुसार कम्पनी द्वारा सी॰एस॰आर॰ नीति अंगीकृत की गई है, (अनुलग्नक–V)। अधिनियम के अन्तर्गत गठित सी॰एस॰आर॰ समिति में निम्नवत् निदेशक शामिल हैं :–

1. प्रबन्ध निदेशक – अध्यक्ष
2. निदेशक (वित्त) – सदस्य
3. निदेशक (नियोजन व वाणिज्य) – सदस्य
4. निदेशक (परिचालन) – सदस्य
5. निदेशक (कार्य एवं परियोजना) – सदस्य

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन, अनुबंध–V के रूप में संलग्न है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अन्तर्गत निक्षेपों का विवरण :–

वार्षिक लेखे 2022–23 से ली गयी सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान जनता से कोई निक्षेप याचित/स्वीकार नहीं किये गये।

सतत व्यवसाय प्रास्थिति तथा भविष्य में कम्पनी के संचालन पर प्रभाव डालने वाले कम्पनी के सापेक्ष पारित आदेशों का विवरण :–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा कोई वस्तुगत आदेश नहीं पारित किये गये जिसका कम्पनी के सतत व्यवसाय प्रास्थिति तथा भविष्य में कम्पनी के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव हो।

सम्प्रेक्षा समिति की संरचना का प्रकटीकरण :–

सम्प्रेक्षा समिति की संरचना निम्नवत् है :–

अध्यक्ष, उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰	–	अध्यक्ष
निदेशक (परिचालन)	–	सदस्य
विशेष सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश सरकार	–	सदस्य
नामित निदेशक, पावरग्रिड	–	सदस्य

निदेशक (वित्त) सम्प्रेक्षा समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य एवं प्रस्तुतकर्ता होता है जबकि कम्पनी सचिव समिति की बैठकों का समन्वयक होता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में यथावर्णित निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुतीकरण से पूर्व सम्प्रेक्षा समिति द्वारा वार्षिक वित्तीय प्रपत्रों, सांविधिक सम्प्रेक्षकों एवं सी॰ए॰जी॰ के प्रतिवेदनों तथा उन पर उत्तरों की समीक्षा करती है तथा उनको निदेशक मण्डल में अनुमोदन के लिए अनुशंसित करती है।

सतर्कता तंत्र :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित सतर्कता तन्त्र का उद्देश्य ऐसे तन्त्र का उपयोग करने वालों को उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना तथा उचित अथवा आपवादिक प्रकरणों में सम्प्रेक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच हेतु प्राविधान करना है। संगठन के अंतर्गत सतर्कता तन्त्र के अस्तित्व का उचित सम्प्रेषण कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल एवं शीर्ष प्रबंधन कार्मिको में परिवर्तन :–

समीक्षाधीन वर्ष में निदेशक मण्डल में विचाराधीन परिवर्तन निम्नवत् रहा :

क्र॰ सं॰	नाम	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ / दौरान पदनाम	अवधि (2022-23)	
			नियुक्ति की तिथि / पदनाम में परिवर्तन / समाप्ति	परिवर्तन की प्रकृति (नियुक्ति, पदनाम में परिवर्तन / समाप्ति)
1.	श्री पीयूष गर्ग	पूर्णकालिक निदेशक	21.05.2022	नियुक्ति
2.	श्री राजीव कुमार	पूर्णकालिक निदेशक	01.07.2022	नियुक्ति
3.	श्री राकेश प्रसाद	पूर्णकालिक निदेशक	01.07.2022	नियुक्ति
4.	श्री अनुपम शुक्ला	नामित निदेशक	11.08.2022	नियुक्ति
5.	श्री श्रवण बब्बर	सीएफओ	11.08.2022	नियुक्ति
6.	श्रीमती सी॰ इन्दुमती	नामित निदेशक	28.10.2022	नियुक्ति
7.	श्री अनिल जैन	पूर्णकालिक निदेशक	12.04.2022	समाप्ति
8.	श्री अनिल कुमार	नामित निदेशक	28.06.2022	समाप्ति
9.	श्री अजय कुमार पुरवार	पूर्णकालिक निदेशक	01.07.2022	समाप्ति
10.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	सीएफओ	31.07.2022	समाप्ति
11.	श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव	पूर्णकालिक निदेशक	01.09.2022	समाप्ति
12.	श्री अमरेन्द्र सिंह कुशवाहा	पूर्णकालिक निदेशक	14.10.2022	समाप्ति

निदेशक मण्डल निदेशकों द्वारा कम्पनी के साथ उनके एसोसिएशन के दौरान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिये आभार व्यक्त करता है।

सांविधिक सम्प्रेक्षक :–

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मेसर्स जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एशोसिट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, 2/10, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को कम्पनी में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये सांविधिक सम्प्रेक्षक नियुक्त किया गया। सांविधिक सम्प्रेक्षकों द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये कम्पनी के लेखों का अंकेक्षण किया गया तथा सांविधिक सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

लागत सम्प्रेक्षक :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की उपधारा 148 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित लागत अभिलेखों का अनुरक्षण करना कम्पनी का दायित्व है। लागत लेखे एवं अभिलेख कम्पनी के मुख्याालय व परिक्षेत्रीय कार्यालय पर इकाईयों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बनाए एवं अनुरक्षित किये गये है।

निदेशक मण्डल द्वारा मेसर्स टी॰वाई॰पी॰एस॰जी॰ओ॰ एण्ड कं॰, लागत सम्प्रेक्षक, 38ए, सर्कुलर रोड, मैत्रीपुरम् बिछिया, गोरखपुर–273012 को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये लागत सम्प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सचिवीय सम्प्रेक्षक :–

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 204 सपठित कम्पनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में, कम्पनी के बोर्ड ने सीएस मर्दन सिंह, प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये सचिवीय सम्प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित सचिवीय सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन, टिप्पणियों पर प्रबन्धन के स्पष्टीकरण सहित इस प्रतिवेदन का भाग है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा लेखों की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लेखों की सम्प्रेक्षा एजी सम्प्रेक्षकों द्वारा की गई है तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की अंतिम टिप्पणियां, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वार्षिक लेखों के साथ–साथ उस पर प्रबंधन के उत्तर भी इस प्रतिवेदन में संलग्न हैं।

सम्प्रेक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के सांविधिक सम्प्रेक्षकों या सचिवीय सम्प्रेक्षकों ने अधिनियम की धारा 143(12) के तहत सम्प्रेक्षा समिति या निदेशक मंडल को इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों सहित किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी है।

कर्मचारियों का विवरण :–

कम्पनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसरण में, निगम में ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण वर्ष अथवा वर्ष के किसी भी भाग हेतु नियुक्त नहीं था जिसने वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 1.20 करोड़ प्रतिवर्ष अथवा ₹ 8.5 लाख प्रतिमाह से अधिक वेतन आहरित किया हो।

आंतरिक वित्तीय नियन्त्रण :–

कम्पनी में वित्तीय विवरणों के सन्दर्भ में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान है व उसके अग्रेतर सुदृढ़ीकरण हेतु उपाय भी किये जा रहे हैं।

सहायक कम्पनियाँ :–

वर्ष 2022–23 के दौरान कोई भी कम्पनी उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ की सहायक/संयुक्त उद्यम/सहभागी कम्पनी नही बनी।

औद्योगिक सम्बन्ध :–

समीक्षाधीन अवधि के दौरान औद्योगिक सम्बन्ध शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण रहे है।

उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र (यूपीएसएलडीसी)

उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र (यूपीएसएलडीसी) की स्थापना विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। तदनुसार, यूपीएसएलडीसी यूपी राज्य में बिजली व्यवस्था के एकीकृत संचालन के लिए शीर्ष संस्था है। इसके कार्यों में बिजली का सारणीयन और प्रेषण, ग्रिड संचालन की निगरानी, ऊर्जा लेखांकन, अंतःराज्यीय ग्रिड का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, वास्तविक समय आपूर्ति सूचीयन द्वारा ग्रिड संचालन आदि शामिल हैं। यूपीएसएलडीसी प्रशासनिक/ग्रिड सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की रोस्टरिंग द्वारा मांग का प्रबंधन भी कर रहा है।

एसएलडीसी केन्द्रीय और राज्य नियामक आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आदेशित है। ग्रिड संचालन केंद्र और राज्य आयोग द्वारा जारी ग्रिड संहिता के अनुसार किया जाता है। उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग ने अधिनियम के तहत कई अन्य विनियम बनाए हैं और एसएलडीसी इस के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

कंपनी एसएलडीसी का अलग कार्य भी संभाल रही थी। हालाँकि, उत्तर प्रदेश सरकार के पत्रांक संख्या 108/24–उ॰नि॰नि॰प्रा॰/22–525/2008 टी॰सी॰ दिनांक 22.07.2022, द्वारा आदेश के अनुपालन में कंपनी की एसएलडीसी इकाई को कंपनी से अलग कर दिया गया और एक नई कंपनी, ''यूपी एसएलडीसी लिमिटेड'' को 22.08.2022 से सीआईएन नंबर–यू40106यूपी2022एसजीसी159330 के साथ निगमित किया गया था।

तदनुसार, जीओयूपी अधिसूचना संख्या 30/XXIV-यूएनएनपी-23-525-2008 दिनांक 24.05.2023 के अनुसार 22.08.2022 से एसएलडीसी के कार्यों को भी नई अलग इकाई, अर्थात् ''यूपी एसएलडीसी लिमिटेड'' में अंतरित कर दिया गया था।

परिचालन प्रदर्शन

अ. उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क है। दिनांक 31.03.2022 तक, निगम के पास विभिन्न वोल्टेज स्तर के 619 सब–स्टेशन और 1,38,536 एमवीए की कुल परिवर्तक क्षमता थी।

दिनांक 31.03.2023 को, निगम के पास 765केवी से 132केवी तक के विभिन्न वोल्टेज स्तरों के 644 सबस्टेशन थे और कुल परिवर्तक क्षमता 1,49,256 एमवीए थी। यह इंगित करता है कि वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न वोल्टेज और 10720 एमवीए क्षमता के 25 उप–केन्द्र जोड़े गए।

इसी तरह, दिनांक 31.03.2022 तक निगम 48,524 सर्किट कि॰मी॰ लाइनों का संचालन कर रहा था जबकि दिनांक 31.03.2023 को निगम 50,916 सर्किट किलोमीटर लाइनों का संचालन कर रहा था। यह इंगित करता है कि 2392 सर्किट कि॰मी॰ वर्ष 2022–23 के दौरान जोड़ी गई लाइनों की मात्रा है। यह नेटवर्क राज्य की पूरी लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है, जिससे पारेषण वितरण इंटरफेस पर निर्बाध प्रवाह और पर्याप्त बिजली की उपलब्धता की सुविधा मिलती है। वर्ष 2022–23 के दौरान 26589 मेगावाट की चरम मांग को पारेषण प्रणाली द्वारा पूरा किया गया जो वर्ष 2021–22 में पूरी की गई मांग से 6.46% अधिक थी।

ब. अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन घाटे में कमी, गुणवत्तापूर्ण बिजली सुनिश्चित करने और उपलब्ध ट्रांसमिशन क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार के लिए, यूपीपीटीसीएल ने प्राथमिकता के आधार पर 33 केवी और 132 केवी वोल्टेज स्तर पर कैपेसिटर बैंक स्थापित किए हैं।

परिचालन के मुख्य अंश

अ. वर्ष 2022–23 के दौरान, ट्रांसमिशन सिस्टम की उपलब्धता 99.42% थी, जो नियामक शर्तों से काफी ऊपर है। वर्ष 2021–22 में ट्रांसमिशन लाइन घाटा 3.33% था जो वर्ष 2022–23 के दौरान घटकर 3.30% हो गया।

ब. विशेष रूप से सौर ओपन एक्सेस परियोजनाओं के लिए एक 24x7 ऑनलाइन कनेक्टिविटी पोर्टल चालू किया गया था। इसने आवेदकों को आवेदन प्राप्त करने और संसाधित करने में मानवीय हस्तक्षेप को दूर करते हुए किसी भी/दूरस्थ स्थान से कनेक्टिविटी के लिए आवेदन करने में मदद की है, जिससे आवेदक की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इसके अलावा, आवेदक विभिन्न स्तरों पर अपने आवेदन के निस्तारण की स्थिति भी देख सकता है। यूपी की परिकल्पना के अनुरूप सरकार, यूपीपीटीसीएल सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए ग्रिड मार्जिन उपलब्धता भी प्रदर्शित कर रही है और आवेदक को इसके बारे में जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। निर्माणाधीन परियोजनाओं की निगरानी निदेशक (कार्य एवं परियोजना), यूपीपीटीसीएल द्वारा की जा रही है। लाइनों और उप–केन्द्रो के चालू होने के बाद, निदेशक (परिचालन) कार्यालय उनके उचित संचालन और रखरखाव की निगरानी करता है।

संचालन की स्थिरता–

पिछले कुछ गत वर्षों के दौरान, पारेषण तंत्र का काफी विस्तार किया गया है। इसलिए, कम से कम दोषों के साथ विश्वसनीय संचालन के लिए, ट्रांसमिशन प्रणाली को नियमित आधार पर लाइनों और उप–केन्द्रों के प्रभावी, सुरक्षात्मक और नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसे सुनिश्चित करने हेतु, निम्न प्रमुख कदम उठाये गए :–

अ. किसी भी वर्तमान और प्रत्याशित ओवरलोडिंग को कम करने के उद्देश्य से नई एस/एस लाइन का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। विभिन्न सबस्टेशनों पर 220केवी, 132केवी और 33केवी वोल्टेज स्तरों के मौजूदा बस बारों का सुदृढ़ीकरण भी किया गया। कुल संख्या 644 उपकेन्द्रों में से 637 उपकेन्द्रों में अब दोहरा स्रोत है। शेष उपकेन्द्रों की रेडियलनेस दूर करने के लिए नई लाइनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस अभ्यास से प्रणाली की विश्वसनीयता काफी हद तक बढ़ गई है।

ब. विभिन्न सबस्टेशनों की दूसरी स्रोत लाइनों को समकालिक तरीके से संचालित करने की व्यवस्था की गई। इससे ट्रांसमिशन नेटवर्क की विश्वसनीयता, उसकी उपलब्धता में भी वृद्धि हुई और साथ ही ट्रांसमिशन घाटे में कमी लाने में भी मदद मिली।

स. ट्रांसमिशन लाइनों की नियमित गश्त, गश्त के दौरान पाई गई कमियों को समय पर दूर करना, उचित कॉरिडोर क्लीयरेंस का रखरखाव, जम्पर को कसना, इंसुलेटर की सफाई करना और दोषपूर्ण इंसुलेटर, टूटे हुए ग्राउंड वायर और गायब टावर अवयव को बदलना। ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी को कम करने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के इंसुलेटर की सफाई की गई।

द. ढीले जोड़ों का पता लगाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों और स्विच यार्ड की नियमित थर्मो विजन स्कैनिंग। कंडक्टर और उपकरण विफलता से बचने के लिए एक सीमा से ऊपर तापमान वाले सभी जोड़ों को शटडाउन लेने के तुरंत बाद ठीक किया गया।

य. ट्रांसफार्मर के स्वास्थ्य की निगरानी और किसी भी समस्या का शीघ्र पता लगाने के लिए नियमित अंतराल पर बिजली ट्रांसफार्मर के तेल का परीक्षण किया गया। बिजली ट्रांसफार्मर के रखरखाव में तेल का निस्पंदन, तेल रिसाव की जाँच, इसकी शीतलन प्रणाली आदि शामिल थी। इससे ट्रांसफार्मर की बढ़ी हुई उपलब्धता और स्वस्थता सुनिश्चित हुई। सिस्टम के सुरक्षित/सुचारु/परेशानी मुक्त संचालन के लिए स्विचयार्ड अर्थिंग की निगरानी नियमित रूप से की गई।

र. आइसोलेटर्स, स्विचगियर्स और सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण और रखरखाव।

ल. ओ एंड एम आउटसोर्सिंग/लागत अनुकूलन–400 केवी सब–स्टेशन 08 नग और 220 केवी सब–स्टेशन 21 नग को आउटसोर्स किया गया है और 220 केवी सब–स्टेशन 08 नग और 132 केवी सब–स्टेशन 16 नग के लिए आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया चल रही है। आउटसोर्सिंग में चौबीसों घंटे संचालन और रखरखाव (शेड्यूल और ब्रेकडाउन के अनुसार निवारक) और पर्याप्त कुशल और अकुशल जनशक्ति की तैनाती के द्वारा सब–स्टेशन का परीक्षण कार्य, परीक्षण और माप उपकरणों, उपकरणों और संयंत्रों, उपभोग्य सामग्रियों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। एकीकृत निविदा प्रणाली ने संचालन और रखरखाव पर होने वाले व्यय की लागत को कम कर दिया है (400 केवी उपकेन्द्रों के संबंध में विभागीय संचालन और रखरखाव के विरुद्ध व्यय ₹ 2.33 करोड़ वार्षिक अनुमानित किया गया है जबकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से यह ₹ 1.02 करोड़ अनुमानित है।)

पारेषण मंडल स्तर पर सब स्टेशनों और लाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए एकीकृत निविदा को अपनाया गया है। प्रत्येक मंडल को उसके नियंत्रण के तहत सभी सब स्टेशनों और लाइनों के लिए एकीकृत निविदा और अलग से एजेंसी नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। इससे निविदाओं की संख्या में कमी होती है और समय की बचत होती है जिसका उपयोग प्रणाली के बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए किया जाता है।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी–

अ. **एस॰ए॰एम॰ए॰एस॰टी॰ (शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, मीटरिंग और लेनदेन का निपटान) परियोजना–**लोड वृद्धि, आरई एकीकरण आदि के कारण इंटरफेस पिंट में वृद्धि के साथ, मीटर डेटा को मैन्युअल रूप से एकत्र करना बेहद कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया बन गई है। तदनुसार, बेहतर, तेज व अधिक ऊर्जा लेखांकन/निपटान के लिए एएमआर/एबीटी मीटर और आवश्यक संचार प्रणाली के बुनियादी ढांचे की स्थापना के माध्यम से डेटा संग्रह की प्रक्रिया को स्वचालित करना आवश्यक हो गया है। उसी के दृष्टिगत और एमओपी और माननीय यूपीईआरसी के निर्देशों के अनुसार, यूपीपीटीसीएल में एसएएमएएसटी योजना लागू की जा रही है। यह योजना बिजली लेनदेन के त्वरित लेखांकन और निपटान के लिए है, जिससे बेहतर व्यावसायिक दक्षता प्राप्त होगी। इस परियोजना में, सीईए नियमों के अनुसार टी–डी इंटरफेस बिंदु पर एबीटी मीटर स्थापित किए जाने हैं। विभिन्न सब स्टेशनों पर एबीटी एनर्जी मीटर की स्थापना के लिए मेसर्स सिक्योर मीटर्स लिमिटेड को कुल 4648 एलओआई जारी किए गए हैं। केंद्रीकृत डेटाबेस पर एएमआर डेटा की उपलब्धता के साथ विभिन्न उपकेन्द्रों पर एबीटी मीटर स्थापित किए जाने हैं।

ब. **विश्वसनीय संचार योजना –** ग्रिड स्थिरता और बेहतर लोड प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु उप्रपाट्रांकालि में विश्वसनीय संचार योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत, सभी सबस्टेशनों को कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी जो एसएलडीसी और एएलडीएस पर सबस्टेशनों का एससीएडीए डेटा भी सुनिश्चित करेगी। सबस्टेशनों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के अतिरिक्त यह राज्य के भीतर ग्राम पंचायत और तहसील स्तरों के साथ कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के रूप में भी कार्य करेगा। विकसित की गई ऐसी मजबूत संचार प्रणाली प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और राज्य के सुदूर कोनों को जोड़ने में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मिशन है। इस योजना के अन्तर्गत 5568 कि॰मी॰ में से 4398 कि॰मी॰ ओपीजीडब्ल्यू बिछाई गई है। इसके अलावा, परिसंपत्ति मुद्रीकरण के एक हिस्से के रूप में, ओपीजीडब्ल्यू की लगभग 12253 किलोमीटर फाइबर जोड़ी को दूरसंचार कंपनियों को पट्टे पर दिया गया है, जिससे लगभग ₹ 19.08 करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा।

स. **पारेषण लाइन पेट्रोलिंग मैनेजमेंट सिस्टम (पेट्रोलिंग सॉफ्टवेयर)–**यह एक क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफार्म है जिसमें मोबाइल ऐप है। टावर से टावर लाइन पेट्रोलिंग डेटा लेने के साथ–साथ पारेषण लाइन पेट्रोलिंग के शेड्यूल के लिए वेब एप्लिकेशन, पदानुक्रम आधारित एमआईएस रिपोर्ट प्रदान करना, जैसे टावर की पेट्रोलिंग पूरी होने का प्रतिशत, कॉरिडोर की स्थिति, लाइनों में असामान्यताएं, कमजोर टावर, विक्रेता प्रदर्शन, महत्वपूर्ण टावर स्थान, वर्तमान दोष विश्लेषण आदि। यह निम्नलिखित तरीकों से यूपीपीटीसीएल के लिए सहायक होगा :

1) ओ एंड एम गतिविधियों के लिए पारेषण लाइन की सटीक निगरानी और बेहतर प्रबंधन।
2) प्रारंभिक दोषों का समय पर निवारण करना।
3) पारेषण लाइनों के टूटने में कमी।
4) पारेषण सिस्टम की उपलब्धता में वृद्धि।
5) प्रबंधन के लिए ऑनलाइन एमआईएस।

द. **ड्रोन पेट्रोलिंग–**यह क्लाउड आधारित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है और इसमें समय और लागत को कम करने, सुरक्षा में सुधार करने और निर्णय निर्माताओं को वास्तविक समय डेटा संचालित अंतर्दष्टि प्रदान करके ओ एंड एम कार्यों में तेजी से निर्णय लेने के लिए कार्यवाही योग्य जानकारी है। ड्रोन आधारित तकनीक का उपयोग करके ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ–साथ इसकी बुनियादी सुविधाओं का हवाई निरीक्षण, ट्रांसमिशन लाइनों का एक हवाई वीडियो (थर्मल/विजुअल) कैप्चर करता है और हॉटस्पाट, पतंग स्ट्रिंग आदि के संदर्भ में रिपोर्ट की गई विसंगतियों के लिए एक पीडीएफ/एक्सेल शीट रिपोर्ट तैयार करता है। उप्रपाट्रांकालि में, यह प्रत्येक जोन में नमूना आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

य. **उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰ में ई॰आर॰पी॰ का कार्यान्वयन–**01.09.2022 से उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰ में ई॰आर॰पी॰ को पूरी तरह से संचालित किया गया है। सभी पांच मॉड्यूल अर्थात संयंत्र और रखरखाव (पीएम), सामग्री प्रबंधन (एमएम), परियोजना प्रणाली (पीएस), मानव संसाधन (एचआर) और वित्तीय और नियंत्रण (एफआई) मॉड्यूल उक्त तिथि से लाइव हो गए हैं।

नियोजन व वाणिज्यिक गतिविधियाँ :–

(अ) प्रमुख नियोजन गतिविधियाँ हैः–

- एक तकनीकी–आर्थिक अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली विकसित करना।
- डिस्काम/यूपीपीसीएल/एसएलडीसी से मुख्य निविष्ट आंकड़ों अर्थात् भार, मांग, उत्पादन योजना का संग्रहण और तदनुसार भार प्रवाह अध्ययन।
- विकसित प्रणाली में विभिन्न भार और उत्पादन के परिदश्श्यों के लिए पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए।
- सीईए पारेषण योजना मानदंड–नियमावली 2023 के अनुसार योजना और अनुमोदन (आमतौर पर 5 साल की सीमा के लिए), जिसे यूपीपीटीसीएल के निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकृत किया गया है।
- आयात आवश्यकताओं के अनुरूप कुल अंतरण क्षमता (टीटीसी) सुनिश्चित करना।
- प्रमुख कार्यों के लिए सीईए, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) का अनुमोदन प्राप्त करना।

उपरोक्त के अलावा, इस वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद, यूपीईआरसी एमवाईटी विनियम, 2019 के अनुसार, ₹ 20 करोड़ से अधिक की लागत वाली सभी नई परियोजनाओं के लिए तिमाही आधार पर यूपीईआरसी से पूर्व निवेश अनुमोदन लिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 9,700.91 करोड़ की लागत के विभिन्न पारेषण कार्यों को मंजूरी दी गई। यूपीईआरसी विनियमन के अनुपालन में, जीईसी–II परियोजनाओं के अतिरिक्त, ₹ 2,743.33 करोड़ (₹ 20 करोड़ से अधिक की लागत) की परियोजनाओं को निवेश अनुमोदन के लिए यूपीईआरसी को प्रस्तुत किया गया थाः–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	वि॰व॰ 2022–23 का तिमाही	यूपीईआरसी की तिथि
1	₹ 20 करोड़ से अधिक की किसी नई योजना पर विचार नहीं किया गया	प्रथम	–
	टीबीसीबी प्रणाली		
2	400 केवी 2x500एमवीए जीआईएस मेट्रो डिपो उपकेन्द्रो और संबंधित लाइनों का निर्माण		
3	400 केवी 2x500एमवीए जीआईएस जलपुरा उपकेन्द्रो और संबंधित लाइनों का निर्माण		
4	400 केवी 2x500एमवीए जीआईएस जेवर उपकेन्द्रो और संबंधित लाइनों का निर्माण	द्वितीय	20.03.2023

	आरटीएम प्रणाली		
5	जीआईएस बे सहित 400/220/132/33 केवी एस/एस जीआईएस नोएडा सेक्टर–148 पर 2x500 एमवीए से 3x500 एमवीए तक विस्तार।		
6	400/220 केवी एस/एस बरेली पर 3x315 एमवीए से (2x500+1x315) एमवीए तक विस्तार।		
7	132 केवी 2x40 एमवीए ढोलाना एस/एस और संबंधित लाइनों का निर्माण		
8	132 केवी सरोजनीनगर (220)–कुंदन रोड (132) एससी लाइन के एचटीएलएस कंडक्टर द्वारा एसीएसआर पैंथर का प्रतिस्थापन		
	टीबीसीबी प्रणाली	तृतीय	30.08.2023
9	220/33 केवी 3x60 एमवीए वसुंधरा (गाजियाबाद) जीआईएस उपकेन्द्रो और सम्बन्धित लाइनों का निर्माण		
10	220/33 केवी 2x60 एमवीए कैंट चौका घाट वाराणसी जीआईएस उपकेन्द्रो और संबंधित लाइनों का निर्माण।		
11	220/132/33 केवी 2x160+2x40 एमवीए खागा (फतेहपुर) उपकेन्द्रो और संबंधित लाइनों का निर्माण।		
12	400/220 केवी 3x500 एमवीए, जीआईएस एस/एस यीडा सेक्टर–28 गौतमबुद्ध नगर 125 एमवीएआर बस रिएक्टर का निर्माण		
	आरटीएम प्रणाली		
13	132/33 केवी 2x63 एमवीए भंगेल (विस्तार) गौतम बुद्ध नगर जीआईएस उपकेन्द्रो और संबंधित लाइनों का निर्माण		
14	132 केवी 2x40 एमवीए धनौरा (अमरोहा) उपकेन्द्रो और संबंधित लाइनों का निर्माण		
15	132 केवी (1x63+1x40) एमवीए सेसैन बेल्थेरा रोड (बलिया) डबल मेन ट्रांसफर एस/एस का निर्माण		
16	132 केवी दर्शन नगर अयोध्या का 220 केवी 1x160+2x40 एमवीए जीआईएस उपकेन्द्रो में उन्नयन		
17	220/132/33केवी खुर्जा बुलन्दशहर की क्षमता (2x200+2x63+1x40) एमवीए से बढ़ाकर (2x200+1x160+3x63) एमवीए		
18	132 केवी आजमगढ़ (220)–लालगंज लाइन और 132 केवी आजमगढ़ (220)–कोयलसा लाइन के लिए पुराने ब्लैक स्टील टॉवर को नए टॉवर से बदलना		

19	132 केवी आजमगढ़ (220)–मोहम्मदाबाद लाइन, 132 केवी मोहम्मदाबाद–बड़ागांव, 132 केवी बड़ागांव–मऊ पुरानी लाइन के पुराने ब्लैक टॉवर और डॉग कंडक्टर का प्रतिस्थापन		
20	400 केवी बस्ती सबस्टेशन पर 220 केवी सोहावल–गोंडा लाइन का ट्रांसमिशन संबंधी कार्य		
21	220 केवी ग्रेटर नोएडा (पाली)–नोएडा सेक्टर–20 डीसी लाइन के दूसरे सर्किट के जेब्रा कंडक्टर को एचटीएलएस कंडक्टर (एसीसीसी ड्रेक) से बदलना		
	आरटीएम प्रणाली		
22	132 केवी 2x40 एमवीए एस/एस नेवाजगंज (रायबरेली) का निर्माण कार्य		
23	132 केवी 2x40 एमवीए एस/एस दूधली (सहारनपुर) एवं संबंधित लाइन का निर्माण कार्य		
24	मौजूदा 132/33 केवी मवाना, 2x63 एमवीए को 220/132/33 केवी (2x160+3x63) मवाना में उन्नयन करना, जीआईएस मोड पर 220 केवी साइड और पारंपरिक मोड पर 132 केवी साइड (संशोधित योजना)	चतुर्थ	30.08.2023
25	2x60 एमवीए 220/33 केवी बदायूँ रोड (बरेली) एस/एस और उससे जुड़ी लाइनों का निर्माण। (पेट क्रमांक 1844/2022 आदेश दिनांक 28.07.2022 में आस्थगित योजना)		

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान जीईसी–II परियोजनाओं के तहत विभिन्न ट्रांसमिशन कार्यों को मंजूरी दी गई। यूपीईआरसी विनियमन के अनुपालन में ₹ 5,375.85 करोड़ की परियोजनाएं, जैसा कि नीचे बताया गया है, निवेश अनुमोदन के लिए यूपीईआरसी को प्रस्तुत की गईं: –

वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुमोदित संशोधित जीईसी–II परियोजनायें स्वीकृत (यूपीईआरसी याचिका सं॰ 2000/2023 आदेश दिनांक 29.08.2023 में स्वीकृत)	
क्र.सं.	**परियोजना का नाम**
1	765/400/220केवी, 1x1500+2x500 एमवीए तालबेहट (ललितपुर) एवं संबंधित लाइनें
2	400/220 केवी, 3x500 गरोठा (झांसी) और संबंधित लाइनें (765 केवी गरोठा–मैनपुरी लाइन के प्रत्येक छोर पर 240 एमवीएआर लाइन रिएक्टर के साथ)
3	400/220केवी 2x500+2x160 एमवीए फर्रुखाबाद और संबंधित लाइनें

4	400/220/132केवी, 2x500+2x160 केवी महेबा (जालौन) और संबंधित लाइनें
5	400/220 केवी, 2x500 एमवीए चित्रकूट और संबंधित लाइनें
6	मौजूदा 400 केवी बांदा (डबल मेन ट्रांसफर) और संबंधित लाइनों पर 220/132 केवी, 2x160 एमवीए एस/एस
7	220/132/33 केवी, 2x160+2x40 एमवीए हमीरपुर और संबंधित लाइनें
8	220/132/33 केवी, 1x160+1x40 एमवीए चरखारी और संबंधित लाइनें
9	220/132/33 केवी, 1x160+1x40 एमवीए जैतपुर (महोबा) और संबंधित लाइनें
10	220/132/33 केवी, 1x160+1x40 एमवीए मंडवारा (ललितपुर) और संबंधित लाइनें
11	220/132/33 केवी, 1x160+1x40 एमवीए डकौर (जालौन) और संबंधित लाइनें
12	220/132/33 केवी, 1x160+1x40 एमवीए कबरई (महोबा) एवं संबंधित लाइनें
13	220/132/33 केवी, 1x160+1x40 एमवीए बिरधा (ललितपुर) एवं संबंधित लाइनें
14	220/132/33 केवी, 1x160+1x40 एमवीए बामौर (झांसी) और संबंधित लाइनें
15	220/132/33 केवी, 1x160+1x40 एमवीए बंगरा (झांसी) और संबंधित लाइनें
16	132/33 केवी, 2x40 एमवीए/कदौरा (जालौन) और संबंधित लाइनें
17	132/33 केवी, 2x40 एमवीए/कुठोंद, जालौन (डबल मेन ट्रांसफर) और संबंधित लाइनें
18	132/33 केवी, 2x40 एमवीए/गोहांड, हमीरपुर (डबल मेन ट्रांसफर) और संबंधित लाइनें
19	132/33 केवी, 2x40 एमवीए/मुस्करा (हमीरपुर) एवं संबंधित लाइनें
20	132/33 केवी, 2x40 एमवीए/बबेरू (बांदा) एवं संबंधित लाइनें
21	132/33 केवी, 2x40 एमवीए/महरौनी (ललितपुर) और संबंधित लाइनें

ब) <u>प्रमुख वाणिज्यिक गतिविधियां</u>:

(i) बहुवर्षीय टैरिफ विनियमावली, 2019 के अनुसार उपयोगिता को 5 वर्षों के लिए अपनी व्यवसाय योजना और पिछले वर्ष के लिए ट्रू–अप याचिका दाखिल करना है जिसके लिए सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखें उपलब्ध हैं, पुनरीक्षित प्राक्कलनों के आधार पर चालू वर्ष के लिए वार्षिक सम्पादन की समीक्षा (एपीआर) याचिका और अनुमानों के आधार पर आगामी वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) याचिका फाइल करनी होगी।

(ii) टीबीयू इकाई द्वारा डिस्कॉम और निर्बाध अभिगम उपभोक्ता के लिए पारेषण शुल्क मासिक बीजक जारी करने की नियमित निगरानी।

<u>निर्गत टैरिफ आदेश</u>

यूपीईआरसी ने अपने आदेश दिनांक 22.07.2022 (याचिका संख्या 1839/2022) द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ट्रूअप व वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर को अनुमोदन दिया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए पारेषण दर

विवरण	अनुमोदित ट्रू–अप
2022–23 के लिये एआरआर (₹ करोड़)	3,097.17
सम्भाली गई ऊर्जा (एमयू)	1,25,638.50
पारेषण दर (₹ / के॰डब्ल्यू॰एच॰)	0.2465

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू–अप पारेषण दर

विवरण	अनुमोदित ट्रू–अप
2020–21 के लिये ट्रू–अप एआरआर (₹ करोड़)	2,791.66
संभाली गई ऊर्जा (मेवा॰)	1,19,091.98
वि॰व॰ 2020–21 से सम्बन्धित परिचालनों से राजस्व	2,434.28
शुद्ध अन्तर (₹ करोड़ में)	357.38
पारेषण शुल्क (₹ / के॰डब्ल्यू॰एच॰)	0.2344

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू–अप पर ₹ 357.38 करोड़ के शुद्ध अंतर की वसूली की अनुमति दी थी।

भविष्य के लिए पारेषण योजनाः–

उ॰प्र॰ नियामक आयोग (यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰) ने अपने आदेश दिनांक 27.03.2024 (याचिका संख्या 2037 / 2023) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 की अवधि के लिए 05 वर्षीय एसटीयू ट्रांसमिशन योजना को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 के लिए उच्चतम मांग अनुमान नीचे सारणीबद्ध है–

वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 तक उच्चतम मांग अनुमान (मेगावाट में)

वित्तीय वर्ष	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
उच्चतम मांग (मे॰वा॰)	31590	34434	37533	40535	43778

मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 तक उपकेन्द्रो में योजनाबद्ध 102 नंबर जोड़ने उनकी परिवर्तन क्षमता में 66,490 एमवीए जोडने और लगभग 7,529 सर्किट किमी. ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की योजना बनाई गई है।

प्रगति एवं उपलब्धियाँ :

वित्त वर्ष 2022–23 में यूपीपीटीसीएल ने 28 नए उपकेन्द्रो (01 नग 765 केवी, 04 नग 400 केवी, 16 नग 220 केवी और 07 नग 132 केवी सबस्टेशन सहित), 3,847 सर्किट किमी लाइनें और 17,486 एमवीए परिवर्तन क्षमता जोड़े।

मार्च 2023 तक इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क

	वोल्टेज	मार्च, 2022 तक	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अतिरिक्त	मार्च 2023 तक
उपकेन्द्रो की संख्या	765	05	1	6
	400	33	4	37
	220	137	16	153
	132	456	7	463
कुल		**615**	**16**	**659**
परिवर्तन क्षमता (एमवीए में)	765	13,000	3,000	16,000
	400	31,740	4,515	36,285
	220	52,180	6,680	58,860
	132	57,906	3,291	61,197
कुल		**1,54,826**	**10,861**	**1,72,342**
पारेषण लाइन की लंबाई (सीकेटी किमी)	765	2,532	533	3,065
	400	7,728	833	8,561
	220	13,910	1,291	15,200
	132	26,562	1,190	27,752
कुल		**50,732**	**3,847**	**54,578**

परिचालन उपलब्धियाँ :

वित्त वर्ष **2022–23** के लिए परिचालन उपलब्धियों का सारांश

प्राचल	यूपीईआरसी द्वारा स्वीकृत	उपलब्ध किया
उच्चतम मांग (मेगावाट)	27,212	26,589
टीटीसी (मेगावाट)	14,000	14,000
पारेषण हानियाँ	3.27%	3.30%
पारेषण प्रणाली उपलब्धता	98%	99.44%

नियामक द्वारा पारित आदेश :–

वित्तीय वर्ष 2021–22 और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अनुमोदित टैरिफ और निवेश से संबंधित यूपीईआरसी द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में टैरिफ और निवेश से संबंधित यूपीईआरसी द्वारा जारी आदेश को मंजूरी

क्र॰सं॰	प्रकार	नाम	आदेश की तिथि
1.	टैरिफ आदेश	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू–अप के लिए टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष के लिए एपीआर 2021–22, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर और टैरिफ	20.07.2022
2.	तिमाही निवेश	वित्त वर्ष 2021–22 की दूसरी तिमाही में निवेश ₹ 20 करोड़ से ऊपर।	07.04.2022
3.	तिमाही निवेश	वित्त वर्ष 2021–22 की तीसरी तिमाही में निवेश ₹ 20 करोड़ से ऊपर	28.07.2022
4.	तिमाही निवेश	वित्त वर्ष 2021–22 की चौथी तिमाही में निवेश ₹ 20 करोड़ से ऊपर	23.09.2022
5.	तिमाही निवेश	वित्त वर्ष 2022–23 की दूसरी तिमाही में निवेश ₹ 20 करोड़ से ऊपर	20.03.2023

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 से सम्बन्धित प्रकटीकरण :–

कम्पनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित और कार्य अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है। कम्पनी ने तद्नुसार पूर्वोक्त अधिनियम के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत शून्य प्रकरण प्रत्यावेदित किये गये है।

मानव संसाधन विकास :–

मानव संसाधन विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है:–

भर्ती और जनशक्ति वृद्धि :

यूपीपीटीसीएल के लिए सभी प्रकार की नई–नियुक्तियां यूपीपीसीएल द्वारा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान भर्ती और जनशक्ति वृद्धि का सारांश नीचे दिया गया है:–

अ. सीधी भर्ती से कुल 75 जूनियर इंजीनियर (46–ईएंडएम और 29–सिविल) और 69 पदोन्नत जूनियर इंजीनियर (68–ईएंडएम और 1–सिविल) को जनशक्ति में जोड़ने के लिए यूपीपीटीसीएल को आवंटित किया गया था।

ब. सीधी भर्ती से कुल 49 लेखा लिपिक यूपीपीटीसीएल को आवंटित किये गये।

पदोन्नति :

अ. सामान्य संवर्ग अर्थात सहायक अभियन्ता (ए॰ई॰), अधिशासी अभियन्ता (ई॰ई॰) और उससे ऊपर की पदोन्नति यूपीपीसीएल द्वारा की जाती है और फिर यूपीपीटीसीएल को आवंटित की जाती है।

ब. लेखा संवर्ग अर्थात लेखाधिकारी (ए॰ओ॰) और उससे ऊपर की पदोन्नति यूपीपीसीएल द्वारा की जाती है और फिर यूपीपीटीसीएल को आवंटित की जाती है।

इस दौरान कुल 128 अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रोन्नति दी गयी. वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान पदोन्नति का सारांश नीचे दिया गया है:–

अ. 109 सहायक लेखाकार को लेखाकार में प्रोन्नति दी गयी.

ब. 6 ओए–I को ओएस–एसजी में पदोन्नत किया गया।

स. 6 स्टेनो ग्रेड–II को स्टेनो ग्रेड–I में पदोन्नत किया गया।

द. 7 स्टेनो ग्रेड–III को स्टेनो ग्रेड–II में पदोन्नत किया गया।

सामान्य संवर्ग यानी जेई, एई, ईई और उससे ऊपर की पदोन्नतियां यूपीपीसीएल द्वारा की जाती है और फिर यूपीपीटीसीएल को आवंटित की जाती है।

प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम :

अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी के लिए उनकी क्षमताओं और व्यवहार को बढ़ाने के लिए विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत आयोजित किए गए, : –

विषय	सीई	एसई	ईई	एई	जेई	आरओ	एआरओ	ओए–I
ईएचवी के लिए डिजाइन, निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण	0	1	1	0	0	0	0	0
विद्युत सुरक्षा प्रक्रियाएँ एवं दुर्घटना निवारण	0	0	1	0	0	0	0	0
पावर ट्रांसमिशन (आरईसी) में सर्वोत्तम प्रथायें	1	0	13	5	1	0	0	0
एलएमए	0	0	1	0	0	2	1	1
आरईसीआईपीएमटी और सीबी व आईपी	0	0	20	0	0	0	0	0
ईएससीआई	0	0	0	2	0	0	0	0
सीबीआईपी	0	0	5	0	0	0	0	0
आरईसीआईपीएमटी	0	0	1	0	0	0	0	0
कुल	**1**	**1**	**42**	**7**	**1**	**2**	**1**	**1**

प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण:

यूपीपीटीसीएल के कर्मचारियों को संगठन के भीतर उनकी वर्तमान भूमिकाओं या भविष्य की भूमिकाओं के लिए आवश्यक कौशल के साथ कर्मचारियों के वर्तमान कौशल और दक्षताओं का प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण शुरू हुआ।

कर्मचारी संबंध :

इस अवधि के दौरान कर्मचारी–प्रबंधन संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण और अनुशासित थे।

कल्याण गतिविधियाँ :

प्रबंधन द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम एवं कार्य किये गये। सेवाकाल में दिवंगत विभागीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही की गई। संविदा कर्मचारियों का भुगतान सुनिश्चित किया गया और प्रबंधन द्वारा प्रतिपरीक्षण भी किया गया।

पुरस्कार और मान्यता :

समय–समय पर कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किये गये।

वार्षिक विवरणी :–

अधिनियम की धारा 134(3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार, वार्षिक विवरणी 31 मार्च, 2023 कंपनी की वेबसाइट–एचटीटीपीएसः / / यूपीपीटीसीएल.ओआरजी / एसआईटीई / डब्ल्युआरआईटीईआरईएडीडीएटीए / एएसटीईसीओएनटीईएनटी / एएनएनयुएएल –आरईटीयूआरएन _200423.पीडीएफ पर उपलब्ध है।

अभिस्वीकृति :–

निदेशक मण्डल विभिन्न केन्द्रीय व राजकीय सरकारी विभागों, उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग, सी॰ई॰आर॰सी॰, केन्द्रीय ऊर्जा उपयोगिताओं, पी॰एफ॰सी॰, आर॰ई॰सी॰, बैंको व अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा किये गये सहयोग तथा सतत समर्थन का आभार व्यक्त करती है। उपरोक्त के अलावा, निगम, यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰, एम॰वी॰वी॰एन॰एल॰, डी॰वी॰वी॰एन॰एल॰, पी॰यू॰वी॰वी॰एन॰एल॰, और पी॰वी॰वी॰एन॰एल॰ और केस्को का सहयोग और समर्थन करता है। निदेशक मण्डल ठेकेदारों, विक्रेताओं व सलाहकारों के परियोजनाओं को समय से पूर्ण किये जाने के प्रयास में उनके योगदान की सराहना करता है।

निदेशक मण्डल सांविधिक सम्प्रेक्षकों, लागत सम्प्रेक्षको, सचिवीय सम्प्रेक्षक और भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार परीक्षक कार्यालय द्वारा दिये गये सहयोग की भी गहन सराहना करता हैं। निदेशकगण कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा दिये गये योगदान की प्रशंसा करते हैं जो आपकी कम्पनी को उस मंच तक ले गये हैं जहॉ यह आज खड़ी है और विश्वास करते हैं कि उनकी सतत निष्ठा आपकी कम्पनी को भारत में विद्युत पारेषण गतिविधियों में निकट भविष्य में एक और जयपत्र प्राप्त करने में सक्षम होगी।

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

–ह॰–	–ह॰–
(समीर कुमार स्वैन)	**(रणवीर प्रसाद)**
निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन नं॰–08721075	डीआईएन नं॰–06684884

दिनांक : 30-09-2024

स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–I

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ के दिनांक 31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर संवैधानिक सम्प्रेक्षको के प्रतिवेदन पर प्रबन्धन के उत्तर

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
सेवा में, **सदस्यगण,** **उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड,** **शक्ति भवन, लखनऊ।** **एकल वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर प्रतिवेदन** **अभिमत :** हमने उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों का सम्प्रेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समता में परिवर्तनों का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, संक्षिप्त में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ जिसमें छः पारेषण परिक्षेत्रों के लेखे, जो अन्य सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित हैं, सम्मिलित हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
हमारे अभिमत में एवं हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, परिमित अभिमत के आधार भाग में हमारी रिपोर्ट में वर्णित किये गये मामलों के प्रभाव को छोड़कर, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अन्तर्गत आवश्यक सूचना अपेक्षित ढंग से देते हैं तथा 31 मार्च, 2023 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, और इसके लाभ, अन्य व्यापक आय सहित, समता में परिवर्तन और इसके रोकड़ प्रवाह तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित (''इन्ड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते है।	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
परिमित अभिमत का आधार : हम 'अनुलग्नक–I' में वर्णित प्रकरणों जिनका प्रभाव, व्यक्तिगत रूप से या समूह में, वित्तीय विवरणों के लिये महत्वपूर्ण किन्तु व्यापक नहीं है एवं उन प्रकरणों जिनमें हम पर्याप्त व उपयुक्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, पर ध्यानाकृष्ट करते हैं। इन प्रकरणों के सम्बन्ध में हमारा अभिमत परिमित है।	कोई टिप्पणी नहीं
हमने एकल वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्दिष्ट सम्प्रेक्षा मानकों (एस॰ए॰) की अनुरूपता में सम्पन्न की है। इन मानको के अन्तर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को एकल वित्तीय विवरणों के प्रतिवेदन में सम्प्रेक्षक के उत्तरदायित्व भाग में वर्णित किया गया है। हमारे वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा अधिनियम के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया (आई॰सी॰ए.आई॰) द्वारा निर्गत आचार संहिता के साथ–साथ नैतिकता की आवश्यकता के अनुसार हम कम्पनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा आई॰सी॰ए॰आई॰ की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि जो सम्प्रेक्षा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है वह हमारे वित्तीय विवरणों पर सम्प्रेक्षा अभिमत का आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है।	कोई टिप्पणी नहीं
विषय अनुच्छेद का महत्व : ● उ॰प्र॰ पावर कॉर्पोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट और यूपी स्टेट पावर सेक्टर एम्प्लॉइज ट्रस्ट ने अधिशेष संचित निधि को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सावधि जमा में निवेश किया। उक्त कंपनी के दिवालिया होने के कारण, इसमें निवेश की गई राशि, अप्राप्त ब्याज और उस पर अनुमानित ब्याज सहित नष्ट हो गई है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि डी॰एच॰एफ॰एल॰ में खोई गई राशि उ॰प्र॰ पावर	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
कॉरपोरेशन लिमिटेड, उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, डिस्कॉम, उ॰प्र॰ राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड और उ॰प्र॰ जल विद्युत निगम लिमिटेड से ट्रस्ट द्वारा उनके जीपीएफ/सीपीएफ अंशदान के अनुपात में प्राप्त की जाएगी। इस संदर्भ में, कंपनी ने ₹ 2,479.98 लाख का प्रावधान किया है और असाधारण मद के रूप में वित्तीय विवरण में प्रकटित किया है। इसे निदेशक मंडल द्वारा अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है । ● कंपनी पृथक रूप से एसएलडीसी का कार्य भी संभाल रही है। हालाँकि, उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र क्रमांक 108/24–उ.नि.नि.प्रा/22–525 टी.सी. दिनांक 22.07.2022 द्वारा आदेश के अनुपालन में एसएलडीसी, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एसएलडीसी इकाई, कंपनी से पृथक करके एक नई कंपनी ''उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर लिमिटेड या यूपी एसएलडीसी लिमिटेड'' दिनांक 22.08.2022 से सीआईएन नं. यू40106यूपी2022एसजीसी169330, पैन नंबर एएडीसीयू1676क्यू और टैन नं.एलकेएनयू 07835सी के साथ स्थापित की गई है। तदनुसार, एसएलडीसी के कार्यों को भी नई अलग इकाई, अर्थात् यूपी एसएलडीसी लिमिटेड को दिनांक 22.08.2022 से उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 30/XXIV–यूएनएनपी– 23–525–2008 दिनांक 24.05.2023 के अनुसार अन्तरित कर दिया गया। अधिसूचित अन्तरण योजना के अनुसार संपत्ति/देनदारियां यूपीपीटीसीएल से यूपी एसएलडीसी लिमिटेड को अन्तरित कर दी गई हैं। इस मामले में हमारे अभिमत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।	
सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले : सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले वे मामले हैं जो कि हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
सम्प्रेक्षा में अत्यन्त महत्व के हैं। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपना अभिमत बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम अनुलग्नक–I में वर्णित मामलों को छोड़कर इन मामलों पर अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं।	
वित्तीय विवरणों तथा उस पर सम्प्रेक्षा के प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचनायें : कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनायें तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल सूचनाएँ सम्मिलित हैं किन्तु वित्तीय विवरण तथा उस पर हमारा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को आवरित नहीं करता है तथा हम उस पर किसी तरह का निष्कर्ष तथा आश्वासन व्यक्त नही करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा के सम्बन्ध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना को पढ़ना है तथा, ऐसा करने में, विचार करना है कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणों या सम्प्रेक्षा के दौरान प्राप्त की गयी हमारी जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या वर्णित प्रतीत होती है।	कोई टिप्पणी नहीं
यदि, हमारे द्वारा सम्पादित कार्य के आधार पर जब हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें अन्य सूचना का कोई महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन है, तो हम इस तथ्य को शासन से प्रभारित लोगों को संज्ञानित कराने तथा परिस्थितियों की आवश्यकता तथा लागू कानूनों विनियमों द्वारा आवश्यक उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।	कोई टिप्पणी नहीं
निदेशक मण्डल प्रतिवेदन को लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। हमें इस सम्बन्ध में कुछ भी सूचित नहीं करना है।	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
वित्तीय प्रपत्रों हेतु प्रबन्धन तथा ''जो शासन हेतु अधिकृत है'' का उत्तरदायित्व : संलग्न वित्तीय विवरणों को कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट प्रावधानानुसार इन वित्तीय प्रपत्रों को अधिनियम की धारा–133 सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित (''इन्ड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखीय सिद्धांतों की अनुरूपता में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय उपलब्धि, समता में परिवर्तन व रोकड़ प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते हुए तैयार कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक मण्डल का है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानानुसार कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं जानकारी, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन तथा क्रियान्वयन, ऐसे अनुमान एवं निर्णय जोकि उचित एवं युक्तियुक्त हो, हेतु समुचित लेखांकन अभिलेखों का रख–रखाव तथा सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते वित्तीय प्रपत्रों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु कि वे महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन, धोखाधड़ी अथवा भूल–चूक से मुक्त हो के सम्बन्ध में प्रासंगिक समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जोकि लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णताः सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से क्रियाशील हो की रचना, क्रियान्वयन तथा रख–रखाव सन्निहित हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कम्पनी की सतत व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता को निर्धारण, प्रकट करते हुये, जैसा लागू हो, व सतत व्यवसाय से सम्बन्धित मामले तथा लेखांकन के सतत व्यवसाय आधार का प्रयोग करने के लिये जब तक कि प्रबन्धन या तो कम्पनी के समापन या परिचालनों को समाप्त करने का इरादा रखती है या ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, प्रबन्धन उत्तरदायी है।	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की निगरानी के लिये भी उत्तरदायी है।	कोई टिप्पणी नहीं
वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा के लिए सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व : हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्रता में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी से हो अथवा त्रुटि के कारण, तथा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन निर्गत करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है किन्तु यह इस बात कि गारन्टी नहीं है कि अंकेक्षण प्रमापो के अनुसार सम्पादित की गई सम्प्रेक्षा सदैव मिथ्यावर्णन, जब यह विद्यमान हो, का पता लगायेगी। मिथ्यावर्णन धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकता है तथा यह महत्वपूर्ण माना जाता है यदि एकल रूप में या समग्रता में, इनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की यथोचित आशा हो।	कोई टिप्पणी नहीं
अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट सम्प्रेक्षा मानकों के अनुरूप सम्प्रेक्षा के एक भाग के रूप मे,हम व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद को सम्प्रेक्षा में सर्वत्र बनाये रखते हैं। हम :— ● वित्तीय प्रपत्रों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों को चिन्हित व निर्धारित करते हैं, उन जोखिमों के लिये उत्तरदायी सम्प्रेक्षा प्रक्रिया की अभिकल्पना व सम्पादन करते हैं तथा सम्प्रेक्षा साक्ष्य जो हमारे अभिमत को आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है, प्राप्त करते हैं। त्रुटि की अपेक्षा धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम ज्यादा बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जान बूझ कर चूक, तोड़ मरोड़ व आन्तरिक नियन्त्रण की अवहेलना सम्मिलित है।	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
• ऐसी सम्प्रेक्षा प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, जो परिस्थितियों के लिये उपयुक्त है, करने के लिये सम्प्रेक्षा से सम्बद्ध आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कम्पनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अनुसार हम अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली व इन नियन्त्रणों की प्रभावशीलता है।	कोई टिप्पणी नहीं
• प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखा अनुमानों तथा सम्बन्धित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
• प्रबन्धन द्वारा प्रयोग की जा रही लेखांकन के सतत् व्यवसाय आधार की उपयुक्तता तथा, प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो कम्पनी की सतत् व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता पर महत्वपूर्ण सन्देह पैदा कर सकती है, पर निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने सम्प्रेक्षक प्रतिवदेन में वित्तीय प्रपत्रों में सम्बन्धित प्रकटन की ओर ध्यानाकर्षण करने या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने अभिमत में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। हमारे निष्कर्ष हमारे सम्प्रेक्षा प्रतिवदेन की तिथि तक प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनायें व दशायें कम्पनी के सतत् व्यवसाय के रूप में चलते रहने की समाप्ति का कारण बन सकती हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
• प्रकटन समेत वित्तीय प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण, संरचना व विषय वस्तु तथा क्या वित्तीय प्रपत्र अन्तर्निहित सम्व्यवहारों एवं घटनाओं का इस ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें निष्पक्ष प्रस्तुति हो, का समग्र मूल्यांकन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
''सारपूर्णता'' वित्तीय प्रपत्रों में महत्व मिथ्याकथनों का परिमाण है जो एकल रूप में या समग्रता में वित्तीय प्रपत्रों के यथोचित सुविज्ञ प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकने को संभाव्य बनाता हैं। हम मात्रात्मक महत्व व गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) अपने सम्प्रेक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाने व अपने कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करने में एवं (ii) वित्तीय प्रपत्रों में किसी चिन्हित मिथ्याकथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में।	कोई टिप्पणी नहीं
हम उनके नियंत्रक प्रभारी से सम्बन्धित अन्य मामलों के साथ–साथ सम्प्रेक्षा हेतु नियोजित कार्यक्षेत्र एवं सम्प्रेक्षा का समय तथा हमारे द्वारा सम्प्रेक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी कोई अन्य महत्वपूर्ण कमी को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सम्प्रेक्षा तथ्यों का संवाद करते है।	कोई टिप्पणी नहीं
हम नियंत्रण प्रभारियों को वक्तव्य प्रदान करते हैं कि स्वतंत्रता के सम्बन्ध में हमने प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी सम्बन्धों व अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिन पर हमारी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए जो उचित हो तथा जहाँ लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षा उपायों को संवादित करते है।	कोई टिप्पणी नहीं।
नियंत्रण प्रभारियों को सूचित किये गये मामलों में से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय प्रपत्रों की सम्प्रेक्षा में सर्वाधिक महत्व के थे एवं इसलिये प्रमुख मामले हैं। हम अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवदेन में इन मामलों को वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या नियमावली मामलों के सार्वजनिक प्रकटन को न रोके या, जब अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियाँ हो, हम निर्धारित करते हैं कि एक मामले को हमारे प्रतिवदेन में नहीं सूचित किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों के पछाड़ने के रूप में यथोचित अपेक्षित होंगे।	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
अन्य मामले : कम्पनी के वित्तीय प्रपत्रों में सम्मिलित प्रयागराज परिक्षेत्र, गोरखपुर परिक्षेत्र, लखनऊ परिक्षेत्र, मेरठ परिक्षेत्र, आगरा परिक्षेत्र और झांसी परिक्षेत्र में स्थित परिक्षेत्रों के वित्तीय प्रपत्रों/सूचनाओं की सम्प्रेक्षा हमारे द्वारा नहीं की गयी है। इन परिक्षेत्र के वित्तीय प्रपत्रों/सूचनाओं की सम्प्रेक्षा शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा की गई है जिनके प्रतिवेदन हमें प्रदान किये गये हैं, एवं हमारे अभिमत में जहाँ तक यह धनराशियां एवं प्रकटन परिक्षेत्र से सम्बन्धित हैं, केवल ऐसे परिक्षेत्र सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदनों पर आधारित हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन : 1. अपनी सम्प्रेक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि अधिनियम की धारा 197 सपठित अनुसूची V के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं चूंकि कम्पनी एक सार्वजनिक कम्पनी नहीं है जैसाकि अधिनियम की धारा 2(71) में परिभाषित है। तदनुसार, धारा 197(16) के अनुसार रिपोर्टिंग लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') द्वारा जैसाकि वांछित है हम ''अनुलग्नक–II'' में इस आदेश के प्रस्तर 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
3. अधिनियम की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निर्देशों एवं उप–निर्देशों की आवश्यकतानुसार, हम ''अनुलग्नक III (ए) एवं III(बी)'' पर निर्देशों तथा उप निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
4. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा जैसा वांछित है, हम अपने सम्प्रेक्षा के आधार पर लागू सीमा तक सूचित करते है कि :	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
अ) सिवाय उन मामलों के जो परिमित अभिमत के लिये आधार में वर्णित हैं, हमने सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त कर लिए जो हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे सम्प्रेक्षण के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।	
ब) हमारे अभिमत में और ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अनुभाग में वर्णित मामलों को छोड़कर, कानून के अनुसार कंपनी द्वारा उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसाकि उन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है तथा हमारे सम्प्रेक्षा के प्रयोजन हेतु समुचित विवरणियाँ कम्पनी के परिक्षेत्र जिनका दौरा एवं अंकेक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है प्राप्त कर ली गयी है।	कोई टिप्पणी नहीं।
स) अधिनियम की धारा 143(8) के अन्तर्गत परिक्षेत्र के सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनी की परिक्षेत्रों के लेखों पर प्रतिवेदन हमें प्रेषित किये गये हैं तथा उन्हें इस प्रतिवेदन को तैयार करने में उचित रूप से विचारित किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
द) इस रिपोर्ट में व्यवहृत तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और समता में परिवर्तन का विवरण संगत लेखा पुस्तकों से मेल खाते है।	कोई टिप्पणी नहीं।
य) सिवाय उन मामलों के जो ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अंश में वर्णित हैं, हमारे अभिमत में, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों ''इंड एएस'' सपठित कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 का अनुपालन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
र) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 164 उपधारा (2) के अन्तर्गत निदेशकों की अयोग्यता से सम्बन्धित प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
ल) कम्पनी की वित्तीय सूचनाओं पर आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी रूप से परिचालन के सम्बन्ध में हमारे प्रतिवेदन के ''अनुलग्नक–IV'' में रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें।	कोई टिप्पणी नहीं।
व) अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिन्हें कम्पनी (सम्प्रेक्षा एवं सम्प्रेक्षक) नियमावली, 2014(यथा संषोधित) के नियम 11 के अनुसार सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किया जाना है, हमारे अभिमत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार–	कोई टिप्पणी नहीं।
i. ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अंश में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने इसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित वादों के प्रभाव को अपने 31 मार्च 2023 के वित्तीय विवरण में प्रकटित किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएँ नहीं थी, जिनके सापेक्ष 31 मार्च 2023 तक कोई महत्वपूर्ण हानियाँ पूर्वानुमेय थी।	कोई टिप्पणी नहीं।
iii. 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में कोई राशि नहीं थी जिसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कम्पनी द्वारा अंतरित किया जाना था।	कोई टिप्पणी नहीं।
iv. (ए) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, सिवाय जैसा कि लेखों पर टिप्पणी में वर्णित है, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं, विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थ'') सहित में कोई फंड अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ यह करेगा : कंपनी द्वारा या उसकी	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दें या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई सुरक्षा प्रदान करे।	
(बी) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि , अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, सिवाय जैसा कि लेखों पर टिप्पणी में वर्णित है, कंपनी को विदेशी संस्थाओं (''फंडिंग पार्टियों'') सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी यह करेगीः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') को उधार दे या निवेश करे या अंतिम लाभार्थियों से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।	कोई टिप्पणी नहीं।
(सी) निष्पादित सम्प्रेक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नीचे दिए गए अभ्यावेदन में उपरोक्त खंड (ए) और (बी) में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।	कोई टिप्पणी नहीं।
v. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

—ह॰—
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰
(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—
(समीर कुमार स्वैन)
निदेशक (वित्त)

—ह॰—
(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक–I

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसके भाग

क्र.सं.	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
ए.	अंतर इकाई अन्तरण की राशि ₹ 25,002.42 लाख समाधान और परिणामी समायोजन के अधीन हैं। हालाँकि वित्तीय वर्ष 2017–18 के बाद से कोई भी असमाधानित लेन–देन नहीं हुआ है। (नोट–10 और नोट–32 का पैरा क्रमांक 18 देखें)।	अंतर इकाई लेनदेन समाधान एक सतत प्रक्रिया है और यह प्रगति पर है। यद्यपि, कंपनी में ईआरपी के कार्यान्वयन के साथ अंतर इकाई लेनदेन का सम्पूर्ण विवरण ई॰आर॰पी॰ से प्राप्त किया जा सकता है।
बी.	सीडब्ल्यूआईपी का एजिंग शेड्यूल हमें नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (नोट क्रमांक 3 और नोट क्रमांक 32(14) (सी) देखें)।	इकाई स्तर पर चल रहे सभी पूंजीगत कार्यों का आयुवार विवरण का संकलन प्रगति पर हैं और वित्त वर्ष 2024–25 में पूरा होने का अनुमान है। प्रगतिशील कार्यो का आयुवार तदनुसार प्रकटन वित्त वर्ष 2024–25 के लेखो में किया जाएगा।
सी.	मेरठ परिक्षेत्र ने ₹ 9,37 करोड़ की संपत्ति का परित्याग कर दिया था और पारेषण और जानपद परिक्षेत्र के सामग्री रहतिया खाते में परिसंपत्तियों को त्यागने के महीने तक मूल्यह्रास प्रभारित करने के बाद ₹ 5.59 करोड़ दिखाए गए। हमारी राय में ऐसी विधि परिसंपत्तियों की क्षति के भारतीय लेखा मानक–36 और इन्वेन्ट्री के भारतीय लेखा मानक–2 का उल्लंघन है।	लेखों में आवश्यक सुधार हेतु निर्देशित किया जा चुका है। जिनका समायोजन/त्रुटि सुधार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखों में कर लिया जायेगा।
डी.	भारतीय लेखा मानक–16 के अनुसार, कंपनी को प्लांट और मशीनरी के साथ–साथ इन्वेंट्री में रखे गए अनिवार्य पुर्जों का पूंजीकरण करने की आवश्यकता है जिनका जीवन संयंत्र के जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा और उन्हें मूल्यह्रास और पूंजीकृत करने की आवश्यकता है, लेकिन मेरठ क्षेत्र में ऐसी कोई प्रथा नहीं अपनाई जा रही है।	कंपनी पहले से ही परिसंपत्तियों के साथ अनिवार्य पुर्जों का पूंजीकरण कर रही है। अग्रेतर, किसी भी चूक की समीक्षा करने और सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित परिक्षेत्रीय कार्यालय को आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए। वित्तीय वर्ष 2023–24 के सम्प्रेक्षा के दौरान लेखा परीक्षकों द्वारा उक्त गैर–अनुपालन का कोई भी उल्लेख रिपोर्ट नहीं किया गया है।
ई.	सामग्री मूल्य ₹ 658.56 करोड़ (ठेकेदार–पूंजी) और ₹ 0.34 करोड़ (ठेकेदार–ओ एंड एम) ठेकेदारों को निर्गत की गई। ₹ 10.42 करोड के संबंध में कोई	परिक्षेत्रीय कार्यालय को ठेकेदारों को जारी की गई सामग्री के पूर्ण अभिलेख तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, सामग्री अग्रिम की कार्यक्षमता को ईआरपी

क्र.सं.	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
	विवरण नहीं उपलब्ध कराये गये। कार्य आदेश की आवश्यकता के अनुसार ठेकेदार द्वारा रखी गई सामग्री की आवधिक पुष्टि, मिलान और जांच करने की मेरठ परिक्षेत्र में कोई उचित व्यवस्था नहीं है। समायोजन, यदि कोई हो, समाधान के समय उत्पन्न हो सकता है, इस स्तर पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	पर विकसित और कार्यान्वित किया गया है। विक्रेतावार सामग्री अग्रिम ईआरपी पर उपलब्ध है।
एफ.	गोरखपुर परिक्षेत्र की विभिन्न इकाइयों द्वारा अनुपयोगी संयंत्र एवं मशीनरी, वाहन, फर्नीचर एवं फिक्सचर, कार्यालय उपकरण और लाइन्स केबल नेटवर्क की पहचान की जाती है लेकिन परिक्षेत्र/इकाइयों द्वारा ऐसे अनुपयोगी और अप्रचलित के लिए प्रावधान नहीं किया जा सका क्योंकि इन अप्रचलित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की विधि उपलब्ध नहीं है। इसलिए तलपट पर इसके प्रभाव को निश्चित नहीं किया जा सका।	परिक्षेत्रीय कार्यालय ने मामले पर अनुपालन रिपोर्ट दी है. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023–24 के ऑडिट के दौरान लेखा परीक्षकों द्वारा उक्त गैर–अनुपालन का कोई भी उल्लेख रिपोर्ट नहीं किया गया है।
जी.	सामग्री रहतिया और पूंजीगत डब्ल्यूआईपी का मूल्यांकन लागत पर किया गया है, न कि लागत या वसूली योग्य मूल्य से कम पर, जैसा कि मानक के तहत निर्धारित किया गया है। सामग्री रहतिया में प्रयोग में न लाई जा रही परिसम्पत्तियां तथा पूंजी डब्ल्यूआईपी में पुरानी, परित्यक्त परियोजनायें जिन्हे अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया है, सम्मिलित हैं। ऐसी परिसम्पत्तियों/सामग्री के वसूली योग्य मूल्य में अनुमानित कमी का प्रावधान लेखों में नहीं किया गया है।	सामग्री स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। हालाँकि, अप्रचलित/अनुपयोगी सामग्री के मूल्य में कमी हेतु लेखांकन नीति के अनुसार उपयुक्त रूप से प्रावधान किया जाता है।इसलिए, नीति लागू लेखांकन मानक के अनुरूप है।
एच.	भारतीय लेखा मानक 16 के पैरा 16 (बी) और पैरा 17 (ए) के अनुसार–कोई भी लागत जो सीधे तौर पर प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए संपत्तियों को स्थान और आवश्यक स्थिति में लाने'' पर आरोप्य हो को पूंजीकृत किया जाएगा।	कर्मचारियों की लागत सीधे तौर पर चल रही पूंजीगत परियोजनाओं से जुड़ी है। हालाँकि, इकाइयों में सौंपे गए कार्यों की बहुलता के कारण, लागत को विद्युत आपूर्ति वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अनुरूप कुल पूंजीगत व्यय के एक निश्चित प्रतिशत पर विभाजित किया गया है।

क्र.सं.	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
	कंपनी की नीति के अनुसार, कर्मचारियों की लागत पारेषण कार्य (132 केवी और 220 केवी) पर 9% 400केवी पारेषण कार्यों पर 7%, 400केवी से अधिक पारेषण पर 5%, अन्य कार्यों पर 10% और जमा कार्यों पर 15% तदर्थ आधार पर कुल व्यय पर पर पूंजीकृत की गई है। झाँसी परिक्षेत्र की उपरोक्त नीति भारतीय लेखा मानक–16 के अनुपालन में नहीं है।	
आई.	₹ 3,42,10,372/–की राशि कालातीत चेक के लिए देयता जारी किए गए लेकिन पिछले कई वर्षों से भुगतान के लिए बकाया चेक से संबंधित है। इन चेकों को भुनाने की वैधता समाप्त हो चुकी है। कई मामलों में बकाया चेक में फसल मुआवजे का भुगतान भी शामिल है। इस दायित्व को निपटाने के प्रयास नहीं किये गये।	देयता शीर्षों के अंतर्गत अवशेषों की समीक्षा की गई है और उचित रूप से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखों में लेखांकित/अपलिखित किया गया।
जे.	परिसंपत्तियों और इन्वेंटरी की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की नहीं गई है। प्रबंधन ने बताया है कि परिसंपत्तियों और इन्वेंट्री के अभिलेख उपकेन्द्रों/खण्ड स्तर पर, जहां परिसंपत्तियां और इन्वेंटरी भौतिक रूप से स्थित हैं, पर रखा जाता है। यह अभिलेख आंतरिक और साथ ही शाखा वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षित किये जाते हैं। परिसंपत्तियों और इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन नियमित अंतराल पर आवश्यक है।	स्टोर के साथ–साथ परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।
के.	हमारे समक्ष प्रस्तुत स्थाई संपत्ति रजिस्टर, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में नहीं है।	ईआरपी पर व्यक्तिगत परिसंपत्ति आईडी के साथ स्थाई परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं।
एल.	प्रयागराज परिक्षेत्र ने बताया कि लेखा शीर्ष एजी–25 आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार को अग्रिम (पूंजी), एजी–26 आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम (ओ एंड एम), एजी–42 पूंजीगत आपूर्ति और कार्य के लिए दायित्व और एजी–43 सामग्री की आपूर्ति के लिए दायित्व–ओ	संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि की समीक्षा की गई है और उचित रूप सेवित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखों में लेखांकित/अपलिखित किया गया।

क्र.सं.	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
	एंड एम में पुराने शेष शामिल हैं, कई मामलों में विक्रेता/पार्टीवार विवरण द्वारा समर्थित नहीं हैं और संबंधित डेबिट/क्रेडिट शेष राशि के साथ परस्पर लिंक करने, लंबित समाधान और परिणामी समायोजन के अधीन हैं।	
एम.	प्रयागराज परिक्षेत्र ने बताया कि एजी–14 और एजी–25.7 लेखा शीर्ष के तहत ठेकेदारों के पास बकाया पूंजीगत डब्ल्यूआईपी और सामग्री की शेष राशि, अंतिम लेखांकन और लाइन/बे पुष्टिकरण के ऊर्जाकरण, अग्रिम और देनदारियों के साथ अंतर मिलान, समाधान व परिणामी समायोजन और पूंजीगत कार्यों को बंद करने के लिए लंबित है।	अग्रिम सामग्री की रिपोर्ट व अन्य सूचना हेतु ई॰आर॰पी॰ विकसित एवं कार्यावित कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखों में आवश्यक लेखांकन भी कर लिया गया है।
एन.	प्रयागराज परिक्षेत्र ने बताया कि प्रतिधारण और मार्जिन राशि एजी–46.104 और बयाना मनी एजी–46.103 लेखा शीर्षों के अंतर्गत शामिल पुराने बकाये पुष्टिकरण और समायोजन के अधीन हैं।	संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि की समीक्षा की गई है और उचित रूप से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखों में लेखांकित/अपलिखित किया गया।
ओ.	प्रयागराज परिक्षेत्र ने बताया कि यूपीपीसीएल, केस्को, एमवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल और यूपीएसईबी से पृथक हो गईं अन्य संस्थाओं के पुराने बकाया लेखा शीर्ष एजी–46.98 के अंतर्गत ₹ 20.81 करोड़ के एकत्रित शुद्ध क्रेडिट को और अन्य प्राप्य लेखा शीर्ष एजी–28.8 के तहत ₹ 22.26 करोड का शुद्ध डेबिट़ पुष्टि, परिणामी समाधान और अंतिम समायोजन के अधीन हैं।	ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों के मध्य लेनदेन नियमित रूप से होते हैं। अतः अन्तर कम्पनी लेनदेनों का समाधान एक सतत् प्रक्रिया है और यह प्रगति पर है।

–ह॰–	–ह॰–	–ह॰–
(श्रवण बब्बर)	**(समीर कुमार स्वैन)**	**(रणवीर प्रसाद)**
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰ (वित्त एवं लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–II

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के ''अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन'' खण्ड के अन्तर्गत अनुच्छेद 2 में सन्दर्भित

हमारी सम्प्रेक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर। हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क्र.सं.	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
i)	ए) क) कम्पनी ने सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर का मात्रात्मक ब्यौरा एवं उनकी अवस्थिति इंगित करते हुए पूर्ण विवरण सहित उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है। ख) कम्पनी ने अमूर्त परिसम्पत्तियों का पूर्ण विवरण सहित उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।	ईआरपी पर विशिष्ट संपत्ति आईडी वार स्थाई परिसंपत्ति रजिस्टर को पुस्तकों के साथ विधिवत तैयार कर लिया गया है।
	बी) कम्पनी द्वारा सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है, अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ है कि क्या इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पाई गयी अथवा नही।	कंपनी ने भण्डारों और स्थाई परिसंपत्तियों के नियमित भौतिक सत्यापन की नीति लागू की है। अग्रेतर सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर के भौतिक सत्यापन के लिए विशिष्ट निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।
	सी) कंपनी द्वारा धारित सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख का (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) वित्तीय विवरणों में प्रकटन कंपनी के नाम पर किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
	डी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर या अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (i)(डी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
	ई) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके	कोई टिप्पणी नहीं

क्र.सं.	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
	तहत बनाए गए नियम के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (i) (ई) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	
ii)	(अ)भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा कराया गया है। परिक्षेत्रों के सम्प्रेक्षको ने निम्नवत सूचित किया है:— लखनऊ परिक्षेत्र ने सूचित किया है कि संबंधित इकाई द्वारा मात्रा का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है किन्तु मूल्यांकन सहित इन्वेन्टरी के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं थे तथा वित्तीय वर्ष के अंत में इन्वेन्टरी के मूल्यांकन का मदवार विवरण उपलब्ध नहीं था। इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई भौतिक विसंगतियां देखी गई थीं और यदि हां, तो क्या उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित प्रकार से निपटाया गया है।	सामग्री की प्राप्ति, निर्गमन और अंतरण वास्तविक समय के आधार पर ईआरपी के माध्यम से किया जा रहा है। ई॰आर॰पी॰ के माध्यम से मूविंग एवरेज प्राइस पर निर्गमन और अंतरण किए जा रहे हैं। किसी विशेष तिथि पर मूल्यांकन रिपोर्ट ईआरपी पर उपलब्ध है।
	बी) वर्ष के किसी भी समय के दौरान कम्पनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (ii)(बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
iii)	हमारे अभिमत में और कम्पनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझीदारी या कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 189 के अन्तर्गत अनुरक्षित रजिस्टर से आच्छादित अन्य पक्षों को कोई ऋण	कोई टिप्पणी नहीं

क्र.सं.	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
	संरक्षित या असंरक्षित, स्वीकृत नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (iii) (ए)(बी) व (सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	
iv)	कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अंतर्गत आच्छादित कोई लेन–देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।	कोई टिप्पणी नहीं
v)	हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जमा स्वीकार नहीं किया है या ऐसी कोई राशि नहीं है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 के प्रावधान, और कंपनियां (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के संदर्भ में जनता से जमा राशि मानी जाती है। तदनुसार, इस खण्ड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
vi)	लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेख कम्पनी द्वारा बनाये गए हैं। हालाँकि नमूने के आधार पर हमने जाँच कर ली है।	कोई टिप्पणी नहीं
vii)	ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जीएसटी, पीएफ ईएसआई, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकाया, जैसा लागू हो, सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया, उपयुक्त प्राधिकारियो के पास जमा करने में कम्पनी आम तौर पर नियमित रही हैं। हालाँकि कुछ मामलों में थोड़ी देरी हुई है।	ईआरपी लागू होने से समय पर वैधानिक बकाये का डिस्चार्ज सुनिश्चित किया जा रहा है। अपवादिक मामलों में देरी पर भी नजर रखी जा रही है। दिनांक 31.03.2024 तक अविवादित बकाया शून्य है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>
लखनऊ परिक्षेत्र ने सूचित किया है कि निम्नलिखित अविवदित वैधानिक बकाया भुगतान हेतु 6 माह से अधिक अवधि के लिये लम्बित हैं।
<table>
<tr><th>माँग की प्रकृति</th><th>एजी कोड</th><th>31.03.2023 को भुगतान हेतु 6 माह से अधिक अवधि के लिये लम्बित निर्विवाद धनराशियां</th></tr>
<tr><td>आय कर–टीडीएस (कर्मचारी)</td><td>44.401</td><td>319.00</td></tr>
<tr><td>आय कर–टीडीएस (ठेकेदार)</td><td>46.924</td><td>65385.79</td></tr>
<tr><td>आईजीएसटी–आरसीएम</td><td>46.9423</td><td>612.00</td></tr>
<tr><td>आईजीएसटी</td><td>46.9413</td><td>6309.56</td></tr>
<tr><td>डब्ल्यू सी टी–बिक्री कर</td><td>46.928</td><td>50577.20</td></tr>
</table>
बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित न्यायालय वादों को आकस्मिक दायित्व के रूप में दिखाया गया है। धनराशि वार ब्रेक अप तथा फोरम जहाँ विवाद लम्बित है, जैसा कि गोरखपुर परिक्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया है, निम्नवत हैः
<table>
<tr><th>इकाई का नाम</th><th>धनराशियां</th><th>फोरम जहाँ विवाद लम्बित है</th><th>स्थिति</th></tr>
<tr><td>ईटीडी–I बस्ती</td><td>32,49,201.00</td><td>इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज</td><td>वाद लम्बित</td></tr>
<tr><td>ईटीसीडी–आजमगढ़</td><td>29,87,847.79</td><td>इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज</td><td>वाद लम्बित</td></tr>
</table>
</td><td>इन मामलों में प्रत्येक वाद के सामने दर्शित फोरम के समक्ष मुकदमे लंबित हैं। इनका नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन				उत्तर
	ईटीडी– आजमगढ़	50,04,552.00	₹ 6,66,602.00 निचली अदालत तथा ₹ 43,37,950.00 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज	वाद लम्बित	वाणिज्यिक कर विभाग और आयकर आयुक्त (नेशनल फेसलेस अपील सेंटर दिल्ली) को अपील दायर की गई है।
	ईटीडी–देवरिया	2,30,42,520.00	सिविल कोर्ट, देवरिया	वाद लम्बित	
	ईटीडी–I गोरखपुर	3,12,702.00	उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ	वाद लम्बित	
	ईटीडी–II गोरखपुर	2,14,392.00	₹ 1,34,307.00 उच्च न्यायालय व ₹ 80,085.00 निचली अदालत	वाद लम्बित	
	सी) लखनऊ परिक्षेत्र ने आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क, उपकर, जीएसटी या सेवा कर के संबंध में वैधानिक बकाया के विरुद्ध विवादों जो 31 मार्च 2023 तक किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं किए गए हैं का विवरण निम्नवत दिया है–				
	माँग की प्रकृति	**धनराशियां**			
	बिक्री कर	2,29,44,625.00			
	टीडीएस	35,26,000.00			
viii)	हमारी राय में और प्रदत्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो लेखापुस्तकों में दर्ज न किया गया हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकटित किया गया हो, जो लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।				कोई टिप्पणी नहीं
ix)	ए) हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने किसी ऋणदाता के अपने ऋणों या उधारी की अदायगी अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।				कोई टिप्पणी नहीं
	बी) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी बैंक				कोई टिप्पणी नहीं

क्र.सं.	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
	या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर व्यक्तिकर्मी घोषित नहीं किया गया।	
	सी) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।	कोई टिप्पणी नहीं
	डी) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई कोई ऐसी निधि नहीं है जिसका उपयोग लंबी अवधि उद्देश्य के लिए किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
	ई) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों सहयोगी या संयुक्त उद्यम के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।	कोई टिप्पणी नहीं
	एफ) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतिया गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं उठाया है।	कोई टिप्पणी नहीं
x)	ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेख सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं उठायी।	कोई टिप्पणी नहीं
	बी) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अंशो का कोई अधिमानी आवंटन या प्राईवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर नहीं किया है, न तो परिवर्तनीय ऋणपत्र पूर्णतः या अंशतः या वैकल्पिक परिवर्तनीय में परिवर्तित किये गये हैं। तदनुसार, आदेश के परिच्छेद 3(x)(बी) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं

क्र.सं.	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
xi)	ए) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, हमारी सम्प्रेक्षा द्वारा आवरित अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या प्रतिवेदित नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
	बी) वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में ऑडिटर द्वारा केंद्र सरकार के पास कोई भी रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
	सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी व्हिसिल–ब्लोअर शिकायतें प्राप्त नहीं की गई हैं;	कोई टिप्पणी नहीं
xii)	कंपनी निधि कम्पनी नहीं है और इस पर निधि नियम, 2014 लागू नहीं है, इसलिए यह परिच्छेद लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
xiii)	हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेनदेन अधिनियम की धारा 188 के अनुपालन में हैं। ऐसे संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण वित्तीय विवरणों आदि में प्रकट किया गया है; जैसा कि अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 24, कंपनियों में निर्दिष्ट संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत आवश्यक है।	कोई टिप्पणी नहीं
xiv)	ए) हमारी राय में और जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण में, कंपनी के पास अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान के अनुसार	कोई टिप्पणी नहीं

क्र.सं.	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है, जो इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।	
	बी) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए कंपनी द्वारा अब तक आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी की गई रिपोर्ट पर विचार किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
xv)	कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर व हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत निर्दिष्ट निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। अतः आदेश के परिच्छेद 3(xv) के प्रावधान लागू नहीं होते।	कोई टिप्पणी नहीं
xvi)	कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आई.ए. के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के परिच्छेद 3(xvi) (ए)(बी) व (सी) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
xvii)	कंपनी को वित्तीय वर्ष और अंतिम वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।	कोई टिप्पणी नहीं
xviii)	वर्ष के दौरान पूर्व वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई त्याग पत्र नहीं हुआ है। तदनुसार, इस परिच्छेद के अन्तर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
xix)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर, आयुवार और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि कोई भी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि के अनुसार महत्वपूर्ण	कोई टिप्पणी नहीं

क्र.सं.	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
	अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब भी वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं। हालाँकि, हमारे अनुसार यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाएगा जब भी वे देय हों।	
xx)	ए) चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) का दूसरा परंतुक, के अनुपालन में कोई भी अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह की अवधि के भीतर हस्तांतरित नहीं की है।	कोई टिप्पणी नहीं
	बी) किसी भी चालू परियोजना के अनुसरण में कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के तहत व्यय न की गई कोई धनराशि उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
xxi)	आदेश के परिच्छेद 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के तहत उक्त परिच्छेद के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं

—ह०—
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी०एफ०ओ०
(वित्त एवं लेखा)

—ह०—
(समीर कुमार स्वैन)
निदेशक (वित्त)

—ह०—
(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक III (अ)

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार के निर्देश

क्र.सं.	निर्देश	टिप्पणी	प्रबन्धन के उत्तर
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संशोधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के वाह्य लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, इंगित किया जा सकता है।	अगस्त 2022 तक इकाई स्तर पर लेखांकन प्रविष्टियाँ मैन्युअल तरीके से की गईं, प्रत्येक इकाई अपने लेखे कम्प्यूटरीकृत प्रारूप में तैयार कर रही थी और उसे परिक्षेत्र स्तर पर प्रस्तुत किया जाता था। परिक्षेत्र इकाई के दर्ज किए गए लेखों को प्रधान कार्यालय स्तर पर अग्रसारित करता था, लेकिन सितंबर 2022 से कंपनी ने अपने लेखों को अनुरक्षित करने के लिए सैप सॉफ्टवेयर स्थापित किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रत्यारोपण के बारे में इंगित किया जा सकता है।	वर्ष के दौरान ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए मौजूदा ऋण की पुनर्रचना एवं ऋण /कर्ज/ब्याज आदि की माफी/ अपलेखन करने का कोई मामला नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	मुख्यालय में प्राप्त निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग के लिए संबंधित परिक्षेत्र को प्रेषित किया जाता है। परिक्षेत्र सम्प्रेक्षकों ने इस संबंध में विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

—ह॰—
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰
(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—
(समीर कुमार स्वैन)
निदेशक (वित्त)

—ह॰—
(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक III (ब)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

विषय : कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के उपनिर्देश –

क्र.सं.	उपनिर्देश	टिप्पणी	प्रबन्धन के उत्तर
1.	कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त खाली भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु उठाए गए कदमों की पर्याप्तता। यदि भूमि अतिक्रमित, विवादित, उपयोग में नहीं लाई गई अथवा अधिशेष घोषित की गई है तो, विवरण उपलब्ध कराए।	कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार, उन्होने कोई भी भूमि को अधिशेष घोषित नहीं किया है तथा अग्रेतर सम्प्रेक्षाधीन वर्ष के दौरान इकाईयों द्वारा अतिक्रमण की कोई भी घटनाए सूचित नहीं की गयी है। कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु उचित कदम उठाए जा रहे हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	नई परियोजनाएँ स्थापित करने में जहां कहीं भी भूमि अधिग्रहण सम्मिलित है, वहां पर क्या सभी प्रकरणों में देयों का त्वरित तथा पारदर्शी रूप से निस्तारण किया जा रहा है, पर प्रतिवेदन दें। विचलन के प्रकरणों में कृपया विस्तार पूर्वक विवरण दें।	भूमि अधिग्रहण नई परियोजनाओं की स्थापना में शामिल है और बकाया राशि का निपटान तेजी से किया जाता है। परिक्षेत्रीय सम्प्रेक्षकों द्वारा विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया गया था।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	क्या उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण हेतु उपलब्ध ऊर्जा के लिए ऊर्जा की निकासी हेतु प्रणाली सामंजस्यपूर्ण है? यदि नहीं, तो उत्पादन कम्पनी द्वारा किए गए हानि के दावे पर टिप्पणी दें।	विद्युत के निष्क्रमण की पारेषण प्रणाली राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण के लिए उपलब्ध विद्युत के अनुरूप है।	कोई टिप्पणी नहीं।

क्र.सं.	उपनिर्देश	टिप्पणी	प्रबन्धन के उत्तर
4.	वर्ष के दौरान कितनी पारेषण हानियां निर्धारित मानकों से अधिक रहीं तथा क्या उनका लेखा पुस्तकों में समुचित लेखांकन किया गया है अथवा नहीं?	उ॰प्र॰वि॰नि॰आ॰, एक राज्य आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.27% अनुमोदित की है। उ॰प्र॰पा॰ट्रा॰का॰लि॰ को वास्तविक अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.30% हुई जो कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अनुमोदित अन्तःराज्यीय पारेषण हानि की सीमा के लगभग अंतर्गत है।	कोई टिप्पणी नहीं।
5.	क्या अन्य एजेन्सियों हेतु निर्मित तथा पूर्ण की गई आस्तियों को उन्हें हस्तगत कर दिया गया है तथा उनका वित्तीय प्रपत्रों में समुचित लेखांकन किया गया है?	संपत्ति का निर्माण कंपनी द्वारा लाभार्थी एजेंसी के अनुरोध पर किया जाता है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, यदि जमा कार्य पूरा होने पर संपत्ति एजेंसी की संपत्ति बन जाती है, तो इसे एजेंसी को मद अथवा कार्यवार दिखाते हुए कुल व्यय के विवरण के साथ हस्तगत कर दिया जाता है। तथापि, यदि निक्षेप कार्यों से बनाई गई संपत्ति समझौते के संदर्भ में निगम की संपत्ति/परिसंपत्ति बन जाती है, तो इसे पूंजीकृत किया जाता है और सृजनात्मक संपत्ति के लिए योगदान के विरुद्ध निगम की पुस्तक में दर्ज किया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं।

—ह॰—
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰
(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—
(समीर कुमार स्वैन)
निदेशक (वित्त)

—ह॰—
(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक–IV

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (I) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ, हमने उस तिथि के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परिक्षित किया है।

निर्देश	प्रबन्धन के उत्तर
आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व कम्पनी का निदेशक मंडल भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आई॰सी॰ए.आई॰) द्वारा निर्गत वित्तीय सूचना पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की सम्प्रेक्षा पर दिशा निर्देश वित्तीय लेखा टिप्पणी (गाइडेन्स नोट) में इंगित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक घटको को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना कसौटी पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने एवं रख रखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त वित्तीय नियन्त्रणों की रूप रेखा बनाना, कार्यान्वयन तथा रख रखाव सम्मिलित है जो कम्पनियों की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधडी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की यर्थाथता एवं पूर्णता तथा अधिनियम के अन्तर्गत जैसा आवश्यक है, ससमय विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित, कम्पनी के व्यवसाय के सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से क्रियाशील थे।	कोई टिप्पणी नहीं।
वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व हमारा उत्तरदायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपना सम्प्रेक्षण भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्थान (आईसीएआई) द्वारा	कोई टिप्पणी नहीं।

निर्देश	प्रबन्धन के उत्तर
निर्गत सम्प्रेक्षा के मानको के अनुसार सम्पादित किया जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है तथा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लागू सीमा तक आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की सम्प्रेक्षा पर प्रभावी है तथा आईसीएआई द्वारा निर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की सम्प्रेक्षण पर दिशानिर्देश लेख (गाइडेन्स नोट) के अनुसार। उन मानक एवं दिशानिर्देश लेख द्वारा अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करे तथा सम्प्रेक्षा की कार्ययोजना एवं निष्पादन उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित किया गया एवं बनाये रखा गया तथा क्या ऐसे नियन्त्रण सभी महत्वपूर्ण सम्बन्धों में प्रभावी रूप से परिचालित थे।	
हमारे सम्प्रेक्षण में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन के प्रभाव के बारे में सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के हमारे सम्प्रेक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमजोरी विद्यमान होने सम्बन्धी जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर तैयार किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की कार्य साधकता एवं अभिकल्प का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया, वित्तीय विवरणो की महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश हो की जोखिम के निर्धारण सहित, सम्प्रेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
हम विश्वास करते है कि उपलब्ध किये गये सम्प्रेक्षा साक्ष्य कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर हमारे सम्प्रेक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।

निर्देश	प्रबन्धन के उत्तर
वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण से तात्पर्य कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य एक ऐसी सुदृढ़ प्रक्रिया तैयार किये जाने से है जिससे बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का प्रस्तुतीकरण एवं वित्तीय प्रपत्रों का सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में तैयार किया गया होने सम्बन्धी समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके। कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में वह नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है जो (1) अभिलेखों के रख रखाव से सम्बन्धित होती है, उचित विवरण में, सही ढंग से तथा काफी हद तक लेन देनों तथा कम्पनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। (2) पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है कि लेनदेनों को अभिलेखबद्ध किया जाता है जैसा कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की अनुज्ञा के लिए आवश्यक है तथा कम्पनी की प्राप्तियां एवं व्यय कम्पनी के प्रबन्धन तथा निदेशको के अधिकार पत्रों के अनुसार ही किये जा रहे है। (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं परित्यक्तता जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम या समय से पता लगाने के सम्बन्ध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हो सकता हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधियों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के	कोई टिप्पणी नहीं।

निर्देश	प्रबन्धन के उत्तर
अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या अनुपालन की मात्रा के कारण नीतियाँ या प्रक्रियाएँ बिगड़ सकती हैं।	
अभिमत हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हमारा अभिमत है कि कम्पनी सभी महत्वपूर्ण विषयों में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली रखती है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण 31.03.2023 को प्रभावी रूप से परिचालित थे, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा निर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की सम्प्रेक्षा पर मार्गदर्शीय टिप्पणी में वर्णित आन्तरिक नियन्त्रण के महत्वपूर्ण भागों को विचारित कर कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियन्त्रण कसौटी पर आधारित है सिवाय उन कमियो के जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक I व II पर वर्णित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
अ) लखनऊ परिक्षेत्र ● परिक्षेत्र में भण्डार सामग्री के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।	सभी सामग्री प्राप्तियां, निर्गमन और अंतरण ईआरपी के माध्यम से किए जा रहे हैं। इसलिए, सभी नियंत्रण लागू कर दिए गए हैं और विवरण ईआरपी पर उपलब्ध हैं।
● आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, कर्मचारियों और अन्य पार्टियों के साथ सुलह और/या शेष राशि की पुष्टि की कोई प्रणाली नहीं है और कुछ मामलों में लेखें प्रतिकूल शेष राशि को दर्शाते हैं। यह संभावित रूप से एमटीबी में आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, कर्मचारियों और अन्य पार्टियों के अवशेषों के मिथ्याकथन का परिणाम हो सकता है।	सभी प्राप्य/देय शेषों की समीक्षा की गई है और तथ्यात्मक परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन/अपलेखन किया गया है। शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने के निर्देश भी जारी किये गये हैं।
● कुछ खण्डों में, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं पर दिये गए उत्तर/कृत कार्रवाई अभिलेख	सभी परिक्षेत्रों को लेखा परीक्षा बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.। वास्तव में,

निर्देश	प्रबन्धन के उत्तर
में नहीं थी। हालाँकि 31 मार्च, 2022 तक कार्रवाई की गई।	कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर बोर्ड के समक्ष रखी जा चुकी है।
• इकाई/क्षेत्र स्तर पर अंतर–इकाई खातों के समाधान की प्रणाली बहुत कमजोर है व इसमें सुधार की आवश्यकता है क्योंकि अवशेष का बड़ा भाग लम्बित है।	वित्तीय वर्ष 2017–18 से अन्तर इकाई लेनदेन पूरी तरह से समायोजित हो गए हैं। इसके अलावा, ईआरपी के कार्यान्वयन के साथ सभी आईयूटी पूर्ण रूप से पता लगाने योग्य हैं।
ब) **गोरखपुर परिक्षेत्र** • परिक्षेत्र की सभी इकाइयों में बैंकिंग और नकद लेनदेन पर दोहरा नियंत्रण आवश्यक है,	ईआरपी पर मासिक आधार पर बैंक खातों का मिलान किया जा रहा है। इसके अलावा, कोई नकद लेनदेन नहीं है।
• किसी विशेष तिथि पर रोकड़ शेष का पता लगाने के लिए रोकड़ बही के दैनिक नकद अवशेष की संस्तुति की जाती है।	वास्तविक समय के आधार पर ईआरपी पर कैश बुक का रखरखाव किया जा रहा है। इसलिए, नकदी/बैंक अवषेश स्वचालित कर दिया गया है।
स) **प्रयागराज परिक्षेत्र** • अग्रिमों, देनदारियों, जमाओं, अंतर इकाई लेनदेन/अवशेष राशि से संबंधित उच्च मूल्य वाले पुराने शेषों से संबंधित आवधिक समीक्षा, लेखांकन और समायोजन।	अग्रिमों, देनदारियों से संबंधित सभी पुराने शेष, जमा, अंतर–इकाई लेनदेन की समीक्षा की गई है और तथ्यात्मक परिस्थितियों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन/अपलेखन किया गया है।
• उच्च मूल्य के अनुबंध कार्यों की उचित स्तर पर समय–समय पर समीक्षा, पूर्ण लेकिन लंबित कार्यों को समय पर पूरा करना/बंद करना और अग्रिमों आदि के समायोजन के साथ संबंधित सामग्रियों के लिए लंबित लेखांकन।	डिजाइन सर्किल (मुख्यालय) और संबंधित परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालयों से नियमित अंतराल पर उच्च मूल्य वाले संविदात्मक कार्यों की समीक्षा की जा रही है।
• कच्चे माल और तैयार माल का भौतिक सत्यापन प्रबन्धन द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु अनुमोदित नीति उसी इकाई/विभाग के व्यक्तियों के स्थान पर एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।	कंपनी के पास कच्चे माल या तैयार माल की कोई इन्वेन्टरी नहीं है। अभी भी कंपनी की नीति के अनुसार रखरखाव के लिए रखे गए स्टोर की समीक्षा और भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।

–ह०–	–ह०–	–ह०–
(श्रवण बब्बर)	**(समीर कुमार स्वैन)**	**(रणवीर प्रसाद)**
उपमहाप्रबन्धक एवं सी०एफ०ओ० (वित्त एवं लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबन्धन के उत्तर

सी॰ए॰जी॰ की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का उत्तर
कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा की अनुरूपता में उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), हेतु 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबन्धन का है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित सम्प्रेक्षा मानकों की अनुरूपता में कम्पनी अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय प्रपत्रों पर अभिमत प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 30 सितम्बर, 2023 के माध्यम से किया गया होना इंगित है। मेरे द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, की धारा 143(6)(ए) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों की पूरक सम्प्रेक्षा सम्पन्न की गयी। यह पूरक सम्प्रेक्षा, वैधानिक सम्प्रेक्षकों के कार्याभिलेखों को प्राप्त किये बिना स्वतंत्र रूप से सम्पादित की गयी है तथा मुख्यतः वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से पडताल, तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षण तक ही सीमित है। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर, अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय प्रपत्रों एवं सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को श्रेष्ठर समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है, को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगा :	कोई टिप्पणी नहीं।

सी॰ए॰जी॰ की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का उत्तर
अ. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ **लाभ एवं हानि का विवरण** **परिचालन से राजस्व (नोट–21): ₹ 3575.77 करोड़**	
1. उपरोक्त में कंपनी की ईएचटी लाइनों पर बिछाए गए ओपीजीडब्ल्यू के डार्क फाइबर का ₹ 1.15 करोड़ का पट्टा किराया शामिल नहीं है। जून 2023 में मेसर्स सिफी टेक्नोलजी लिमिटेड को जारी किए गए 04 नवंबर 2022 के एलओआई और ₹ 2.84 करोड़ के बीजक (जीएसटी को छोड़कर) के अनुसार, कंपनी द्वारा 04 नवंबर 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए ₹ 1.15 करोड़ का पट्टा किराया प्राप्य था। कंपनी ने वर्ष 2022–23 के दौरान उपरोक्त पट्टा किराया का लेखांकन नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप परिचालन से राजस्व और वित्तीय संपत्तियां–व्यापारिक प्राप्य को ₹ 1.15 करोड़ से कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ को भी उसी सीमा तक कमतर आंका गया।	ओपीजीडब्ल्यू डार्क फाइबर (मैसर्स सिफी टेक्नोलजी लिमिटेड सहित) को किराये पर लेने से प्राप्त कुल राजस्व की समीक्षा किराया समझौते की शर्तों और तथ्यात्मक परिस्थितियों के अनुसार की गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अर्जित कुल राजस्व ₹ 1.09 करोड़ आंका गया है और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अर्जित राजस्व की बहाली के लिए उपयुक्त सुधार भी वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखों में किया गया है।
ब. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ **गैर चालू परिसम्पत्तियां** **सम्पत्ति संयत्र एवं उपकरण (नोट–2) :** **₹ 26647.68 करोड़**	
2. उपरोक्त में ₹ 9.38 करोड़. पर्यवेक्षण प्रभार का पूंजीकरण शामिल है। अगस्त 2019 के निदेशक मण्डल, निर्णयानुसार एनएचएआई/प्राधिकरण/एक्सप्रेसवे/यूपीईआईडीए द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर 5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभार लागू था। तदनुसार, पर्यवेक्षण प्रभार ₹ 63.18 करोड़ की आधार लागत पर 5 प्रतिशत की दर से ₹ 3.16 करोड़ हुआ। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य इक्विटी को ₹ 6.22 करोड़ से आधिक्य है।	कुल ₹ 6.22 करोड़ में से ₹ 5.99 करोड़ मेसर्स आईआईटीजीएनएल और मेसर्स डीएफसीसी के लिए निक्षेप कार्यों से संबंधित हैं, जो रियायती पर्यवेक्षण प्रभार पर मंडल के निर्णय से पूर्व प्रारम्भ किए गए थे। इसके अलावा ₹ 0.12 करोड़ मेसर्स एनएचएआई के लिए निक्षेप कार्यों से संबंधित हैं जिन्हें यूपीपीटीसीएल द्वारा निष्पादित किया गया था और इसलिए 10% पर्यवेक्षण प्रभार सही तरीके से लागू किया गया था। शेष ₹ 0.11 करोड़ की भी समीक्षा की गई है और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखों में उचित सुधार कर लिया गया है।

सी॰ए॰जी॰ की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का उत्तर
स. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ	
3. तथ्यानुसार कि 400 केवीए अनपरा–वाराणसी लाइन के लिए 319.28 हेक्टेयर वन भूमि के संबंध में मार्च 2014 में समाप्त पट्टे के लिए नवीनीकरण का आवेदन किया गया था, लेखों पर टिप्पणियों में प्रकटित नहीं किया गया है। इस प्रकार, उपरोक्त सीमा तक लेखों पर टिप्पणियाँ अपूर्ण हैं।	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखों में आवश्यक प्रकटन किया गया है।
4. कंपनी ने क्रमशः बागपत, शाहजहाँपुर एवं सोहावल में 400 केवी उपकेन्द्रों के लिए केन्द्रिय विद्युत नियामक आयोग के अक्टूबर-2019 और जनवरी-2020 के आदेशों के अनुपालन में द्विपक्षीय पारेषण शुल्क के संबंध में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को ₹ 48.79 करोड़ की राशि का भुगतान किया है (जून 2022) जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में अन्य प्राप्य के रूप में लेखांकन किया गया है। कंपनी ने विरोध के अन्तर्गत पीजीसीआईएल की राशि का भुगतान किया और विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सीईआरसी के उक्त आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की, जिस पर निर्णय लंबित था। हालाँकि, लेखों पर टिप्पणियों में इस महत्वपूर्ण तथ्य का प्रकटन नहीं किया गया है। इस प्रकार, इस सीमा तक लेखों पर टिप्पणियाँ अपूर्ण हैं। वर्ष 2021–22 के लेखों पर सीएजी द्वारा समान टिप्पणी में दर्शाने के उपरान्त भी प्रबन्धन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	प्रतिवाद के तहत पीजीसीआईएल को भुगतान की गई राशि को वित्तीय वर्ष 2022–23 में ही प्राप्य के रूप में उचित रूप से लेखांकन में लिया गया था, जिसे 'नोट –10 अन्य चालू परिसंपत्तियां' के तहत दिखाया गया है। तथापि इन टिप्पणियों के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखों में एक प्रकटन भी किया गया है।
5. समता अंश पूंजी (नोट 11) में ₹ 180.72 करोड़ की राशि शामिल है, जो कंपनी द्वारा यूपीपीसीएल के स्थान पर उ॰प्र॰ सरकार को गलत तरीके से आवंटित	इस मामले में उ॰प्र॰ सरकार से अंतिम पुष्टि पर उ॰प्र॰ सरकार के यूपीपीसीएल को अंशनिर्गत करने की आवश्यकता है, लेकिन इसका कोई शुद्ध वित्तीय प्रभाव नहीं है। फिर भी

सी॰ए॰जी॰ की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का उत्तर
किये गये समान राशि के अंश हैं, जिसके लिए मामला यूपी सरकार के समक्ष लंबित है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसका प्रकटन लेखों पर टिप्पणियों में किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, इस सीमा तक लेखों पर टिप्पणियाँ अपूर्ण हैं।	इन टिप्पणियों के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखों में एक प्रकटन भी किया गया है।
द. अन्य टिप्पणियाँ	
6. कंपनी ने कर्मचारी लागत के तहत यूपीपीसीएल द्वारा आवंटित ₹ 18.42 करोड़ {कर्मचारी लागत (₹ 17.71 करोड़) प्रशासनिक लागत (₹ 0.16 करोड़) और आर एंड एम लागत (₹ 0.55 करोड़)} के सापेक्ष ₹ 14.45 करोड़ का सामान्य व्यय दर्ज किया है और वर्ष 2022–23 के लिए अपने लेखों में दर्शाया है, परिणामस्वरूप ₹ 3.97 करोड़ का अंतर आया। इसी प्रकार, कंपनी ने वर्ष 2021–22 के लिए यूपीपीसीएल द्वारा आवंटित 18.84 करोड़ {कर्मचारी लागत (₹ 17.38 करोड़), प्रशासनिक लागत (₹ 0.66 करोड़) और आर एंड एम लागत (₹ 0.81 करोड़)} के भाँति कर्मचारी लागत और प्रशासनिक लागत के तहत क्रमशः ₹ 25.55 करोड़ और ₹ 0.34 करोड़ का सामान्य व्यय दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.05 करोड़ का अंतर आया। कंपनी को यूपीपीसीएल द्वारा आवंटित समरूप सामान्य व्यय की बुकिंग के लिए उपरोक्त अंतर का समाधान करना चाहिए था।	वार्षिक लेखे को अंतिम रूप देने तक यूपीपीसीएल द्वारा सूचित सामान्य व्यय के लिए सभी डेबिट/क्रेडिट नोट्स का वित्तीय वर्ष 2022–23 में ही उचित लेखांकन किया गया था। इनकी राशि ₹ 14.35 करोड़ थी (अंतिम टिप्पणियों में भूल से ₹ 14.45 करोड़ का उल्लेख किया गया था)। इसके अलावा, ₹ 3.85 करोड़ के डेबिट/क्रेडिट नोट (अंतिम टिप्पणियों में शामिल) और ₹ 3.76 करोड़ के क्रेडिट नोट (अंतिम टिप्पणियों में शामिल नहीं) पूरक सम्प्रेक्षा के समापन के बाद यूपीपीटीसीएल को सूचित कर दिए गए हैं। इनका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023–24 में किया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित सामान्य व्यय की सुधार प्रविष्टियाँ भी वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखों में की गई हैं।

—ह॰—	—ह॰—	—ह॰—
(श्रवण बब्बर)	**(समीर कुमार स्वैन)**	**(रणवीर प्रसाद)**
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰ (वित्त एवं लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर जारी टिप्पणियों पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रबंधन का ध्यान आकर्षित कराने हेतु प्रबंधन के पत्र क्रमांक म॰ले॰(आडिट–II)/ए॰एम॰जी॰–II/ लेखा/उ॰प्र॰पा॰टा॰का॰लि॰/2022–23 दिनांक 28.07.2024 का अनुलग्नक

क्र॰सं॰	सी॰ए॰जी॰ का अवलोकन	प्रबन्धन का उत्तर
अ.	**वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ** **अन्य चालू परिसंपत्तियां (नोट–10)** **प्राप्य– अन्यः ₹ 104.38 करोड़**	
1.	उपरोक्त में एफडीआर और निवेश पर उपार्जित किन्तु देय नहीं ब्याज ₹ 2.09 करोड़ शामिल है जिसका लेखांकन 'उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं' के शीर्ष के तहत किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.09 करोड़ से प्राप्य–अन्य को अधिक बताया गया है और उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं को कम बताया गया है।	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखों में आवश्यक वर्गीकरण कर दिया गया है।
2.	**चालूदेयताएं–पट्टा देयता (नोट 17) ₹ 6.02 करोड़** उपरोक्त में ₹ 1.33 करोड़ शामिल नहीं है क्योंकि ओपीओडब्लू के डार्क फाइबर के पट्टे में प्राप्त राशि का कम लेखांकन किया गया है। कंपनी को वर्ष 2022–23 के दौरान ओपीजीडब्ल्यू के डार्क फाइबर के पट्टे के संबंध ा में ₹ 55.91 करोड़ (जीएसए को छोड़कर) प्राप्त हुए थे। इस राशि में से, केवल ₹ 6.07 करोड़ को आय के रूप में दर्ज किया गया था और शेष राशि को चालू और गैर–चालू देयता के रूप में दर्ज किया गया था। कंपनी ने चालू देयताओं–पट्टा देयता की गलत गणना ₹ 1. 33 करोड़ (₹ 7.35 करोड़ – ₹ 6.02 करोड़) से की और इसे गैर–चालू देयताओं–पट्टा देयता में अधिक दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड से चालू देयताओं–पट्टा देयता को कम और गैर–चालू देयताओं–पट्टा देयता को अधिक करके आंका गया है।	ओपीजीडब्ल्यू डार्क फाइबर के किराये से राजस्व की गणना प्रोद्भूत आधार पर की गई है और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखों में आवश्यक सुधार किए गए हैं।
ब.	**प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ**	
3.	मध्यस्थता मामला संख्या 23/2017 के निर्णय (02 मार्च 2020) पर मध्यस्थ शुद्धिपत्र (जून 2020) के	उक्त विवादित राशि को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लेखों पर टिप्पणियाँ में आकस्मिक देयताके रूप में शामिल और प्रकटित किया गया है।

क्र॰सं॰	सी॰ए॰जी॰ का अवलोकन	प्रबन्धन का उत्तर
	अनुसार, कंपनी को मेसर्स महाराष्ट्र पावर ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) को ₹ 45.89 करोड़ का भुगतान किया जाएगा, जिसके विरुद्ध कंपनी ने वाणिज्यिक न्यायालय में अपील दायर की थी। हालाँकि, ₹ 45,89 करोड़ राशि के विवाद का लेखों पर टिप्पणियाँ में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन नहीं किया गया है।	
4.	उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 24.05.2023 के अनुसार, ''एसएलडीसी और क्षेत्र/क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा कब्जे और उपयोग की जाने वाली भूमि और भवन यूपी एसएलडीसी लिमिटेड को प्रति वर्ष ₹ 1 (केवल एक रुपया) के टोकन किराए पर पट्टे के आधार पर दिए जाते हैं।'' हालाँकि, यूपीपीटीसीएल के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने अर्थात 30.09.2023 तक ऐसा कोई पट्टा निष्पादित नहीं किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य होने के कारण, इसका प्रकटन लेखों पर टिप्पणियाँ में किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, लेखों पर टिप्पणियाँ उस सीमा तक अपूर्ण हैं।	हम वित्तीय वर्ष 2024–25 में सुधारात्मक कार्रवाई और लेखों में आवश्यक प्रकटन सुनिश्चित करेंगे क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखों को अंतिम रूप दे दिया गया है और लेखा परीक्षा पूर्ण हो चुकी है।
5.	कंपनी को वर्ष 2022–23 के दौरान सरकार से 28 हेक्टेयर के तीन भूमि पार्सल प्राप्त हुए थे जिनका लेखांकन अंकित मूल्य पर किया गया था। हालाँकि, नाममात्र मूल्य पर ली गई भूमि का प्रकटन लेखों पर टिप्पणियाँ में किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, लेखों पर टिप्पणियाँ उस सीमा तक अपूर्ण हैं।	हम वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखों में यह प्रकटन सुनिश्चित करेंगे क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखों को अंतिम रूप दे दिया गया है और लेखा परीक्षा पूर्ण हो चुकी है।

—ह॰—	—ह॰—	—ह॰—
(श्रवण बब्बर)	**(समीर कुमार स्वैन)**	**(रणवीर प्रसाद)**
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰ (वित्त एवं लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–III

31 मार्च, 2023 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय सम्प्रेक्षक के प्रतिवेदन पर प्रबन्धन के उत्तर

	टिप्पणी	प्रबन्धन का उत्तर
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 सपठित धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के सम्प्रेक्षित वित्तीय विवरण को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर अर्थात 30.09.2022 तक अंगीकृत किया जाना आवश्यक था। वार्षिक साधारण सभा 30.09.2022 को आयोजित की गयी। इस सभा में कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2021–22 के वार्षिक वित्तीय प्रपत्र (वार्षिक लेखे) अंगीकृत कराये जाने हेतु तैयार नहीं थे तथा यह साधारण सभा स्थगित कर दी गयी, अतएव कम्पनी वित्तीय वर्ष 2021–22 के वार्षिक लेखों को इस वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत नहीं कराए जा पाने के कारण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन करने में कम्पनी विफल रही है।	कंपनी ने निर्धारित तिथि से पूर्व वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये वार्षिक साधारण सभा बुलाई है, किन्तु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी॰ एण्ड ए॰जी॰) द्वारा लेखों की सम्प्रेक्षा लम्बित होने के कारण, वर्ष 2021–22 के सम्प्रेक्षित लेखे 30.09.2022 को आहूत वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा अंगीकृत नहीं किये जा सके। अंततः, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी॰ एण्ड ए॰जी॰) से टिप्पणियाँ प्राप्त होने के बाद वित्तीय वर्ष 2021–22 के लेखों को 21.09.2023 को आहूत स्थगित वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत किये गये थे और इसे पहले ही कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय को भी दाखिल कर दिया गया था। विलम्ब के लिए परिस्थितियाँ कम्पनी के नियन्त्रण से बाहर थी।
2.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 सपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के प्रावधानो के अनुसार, कंपनी द्वारा निदेशक मण्डल में न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत जब लेखापरीक्षा समिति का गठन करते है, ऐसी समिति के संयोजन में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति आवश्यक होती है। इसी तरह, जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निगमीय सामाजिक दायित्व समिति का गठन करते है, कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सामाजिक दायित्व समिति के संरचना में नियुक्त किया जाना चाहिए। कंपनी ने न तो अपने निदेशक मंडल के संयोजन में, न ही सम्प्रेक्षा समिति और निगमीय सामाजिक दायित्व समिति की संरचना में स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किया है।	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है।

—ह॰—
(समीर कुमार स्वैन)
निदेशक–वित्त
डीआईएन सं॰–08721075

—ह॰—
(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन सं॰–06684884

दिनांक : 30-09-2024
स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–IV

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अधीन निर्मित कम्पनीज़ (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के अधीन प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 से सम्बन्धित निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन से सम्बन्धित सूचना

अ. ऊर्जा का संरक्षण–

(i) ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव अथवा उठाए गए कदम :–

- सभी उपकेन्द्रो/कार्यालयों में ऊर्जा दक्ष ट्यूब लाइट का उपयोग।
- ऊर्जा दक्ष सहायक और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने का उपयोग।
- कैपेसिटर बैंक का अनुकूलतम उपयोग और प्रतिक्रियाशील नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए निकट निगरानी।

(ii) कंपनी द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु उठाए गए कदम :–

- वर्तमान में 5196 मेगावाट की कुल क्षमता वाले विभिन्न सौर ऊर्जा संयंत्र पहले से ही यूपीपीटीसीएल और यूपीपीसीएल के ग्रिड नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 33025 मेगावाट है, जिसमें से सौर ऊर्जा उत्पादन सम्पूर्ण स्थापित क्षमता का केवल 15.73% (5196 मेगावाट) है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों में पूंजीगत विनियोग – शून्य

ब. प्रौद्योगिकी अवशोषण

(i) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किये गये प्रयास :–

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ।

उपकेन्द्रों हेतु :

विद्यमान पारेषण उपकेन्द्र सर्वाधिक ''वायु प्रतिरोधित'' (ए॰आई॰एस॰) प्रकार के हैं। बढ़ती हुई आबादी एवं शहरीकरण के कारण स्थान उपलब्धता में बाधा से उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता मे बाधा आई है। अग्रेतर ए.आई.एस. प्रकार के उपकेन्द्रों का ट्रिपिंग/व्यवधान हेतु प्रवृत्त हैं। इसलिए, उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ ने इस समस्या का संभावित समाधान चयन द्वारा सुनिश्चित किया है–

- ई॰एच॰वी॰ वर्ग उपकेन्द्रो के लिए उपकेन्द्र स्वचालन प्रणाली।
- 132 केवी से 400 केवी उपकेन्द्रों के लिए गैस इंसुलेटेड उपकेन्द्र (जी॰आई॰एस॰.)। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 02 नग 400केवी, 02 नग 220केवी एवं 03 नग 132केवी जीआईएस सबस्टेशन चालू कर दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 06 नग 220केवी एवं 02 नग 132केवी जीआईएस सबस्टेशन चालू दिये गये हैं।

इन उपकेन्द्रों के परिचालन में काफी स्थायित्व है तथा ट्रिपिंग बाधाओं की सम्भावनाएं कम रहती है।

पारेषण लाइन हेतु:

स्थायित्व बाधाओं के कारण पारेषण लाइनों की संवाहक ऐम्पेसिटी की अपनी सीमाएं हैं। साथ ही, ओवरहेड पारेषण लाइनों की स्थापना भी निश्चित रूप से ''राइट–आफ–वे'' प्रकरणों को आमन्त्रित करती है। इन प्रकरण के तकनीक के प्रयोग द्वारा समाधान हेतु उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰ ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:–

- उच्च एम्पेसिटी एचटीएलएस (उच्च तापमान कम शिथिलता) संवाहकों को विद्यमान कम एम्पेसिटी संवाहकों से बदलना।
- ईएचवी लाइनों के लिए मोनोपोल डिजाइन।
- कुशल सुरक्षा संकेतन और संचार के लिए आप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्लू)

एबीटी मीटरिंग के लिए :

विद्युत लेनदेन के त्वरित लेखांकन और निपटान के लिए ''समस्त'' दिशानिर्देशों के तहत और एएमआर प्रणाली और आवश्यक संचार बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए नियामकों के फोरम का अनुपालन करने के लिए टीडी इंटरफेस मीटर/ओपेन एक्सेस स्थान से डेटा संग्रह को स्वचालित करने और उसी डेटा बेस को स्वचालित तरीके से संग्रहित करने के लिए टीडी इंटरफेस बिंदुओं पर 4007 एबीटी मीटर स्थापित किए जाने हैं। अनुबंध के अंतर्गत शामिल एबीटी मीटरों की संख्या 4573 है; वर्तमान में 4134 मीटर की आपूर्ति की गई है, 4119 मीटर स्थापित किये गये हैं और 4092 नग मीटर चालू किए गए हैं।

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में (वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के सापेक्ष विगत तीन वर्षो में आयातित)–

(अ) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण;

(ब) आयात का वर्ष;

(स) क्या प्रौद्योगिकी को पूर्णरूपेण आमेलित कर लिया गया है;

(द) यदि पूर्णरूपेण आमेलित नही किया जा सका है, तो कारणों सहित वह क्षेत्र जहाँ आमेलन नही हो सका है; एवं

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय – शून्य

(स) विदेशी विनिमय मे उपार्जन व बहिर्गमन:

(i) विदेशी विनिमय मे उपार्जन : शून्य

(ii) विदेशी विनिमय बहिर्गमन : शून्य

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

	–ह॰–	–ह॰–
	(समीर कुमार स्वैन)	**(रणवीर प्रसाद)**
दिनांक : 30-09-2024	निदेशक–वित्त	प्रबन्ध निदेशक
स्थान : लखनऊ	डीआईएन सं॰–08721075	डीआईएन सं॰–06684884

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–V

सी॰एस॰आर॰ गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन

1. कम्पनी की सी॰एस॰आर॰ नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा :

उ॰प्र॰ की निगमित सामाजिक दायित्व (सी॰एस॰आर॰) नीति का मुख्य उद्देश्य पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) है :

- सीएसआर को समाज के सतत् विकास हेतु एक प्रमुख व्यवसायिक प्रक्रिया बनाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किया जाना।
- प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिससे कि समाज में वृहद पैमाने पर तथा अपने परिचालन के क्षेत्रों के आस–पास के समुदायों का आर्थिक कल्याण हो तथा जीवन शैली की गुणवत्ता मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो।
- कम्पनी के समस्त हितधारकों के समक्ष अच्छी साख तथा सम्मान उद्गमित कराना।

कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा भारत वर्ष में कार्यान्वित कराए जा रहे समस्त सी॰एस॰आर॰ परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों पर यह नीति लागू होगी।

2. सी॰एस॰आर॰ समिति की संरचना :

क्र. सं.	निदेशको के नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सी॰एस॰आर॰ समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सी॰ एस॰आर॰ समिति की बैठकों की संख्या में उपस्थिति
1	श्री पी॰ गुरूप्रसाद	प्रबन्ध निदेशक/सीएसआर समिति के अध्यक्ष	3	3
2	श्री निधि कुमार नारंग	निदेशक वित्त/ सदस्य	2	2
	श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव		1	1
3	श्री पियूष गर्ग	निदेशक परिचालन/ सदस्य	3	3
4	श्री राजीव कुमार	निदेशक–नियोजन व वाणिज्य/सदस्य	3	3
		निदेशक–कार्य एवं परियोजना/सदस्य	3	3

3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन किया गया है: –

अ) सीएसआर समिति की संरचना–एचटीटीपीएसः//यूपीपीटीसीएल.ओआरजी/यूपीपीटीसीएल/ईएन/पीएजीई/सीएसआर–सीओएमएमआईटीटीईई

ब) सीएसआर नीति–एचटीटीपीएसः//यूपीपीटीसीएल.ओआरजी/यूपीपीटीसीएल/ईएन/पीएजीई/सीएसआर–पीओएलआईसीवाई

स) सीएसआर परियोजनाएं–एचटीटीपीएसः / / यूपीपीटीसीएल.ओआरजी / यूपीपीटीसीएल / ईएन / पीएजीई / सीएसआर–पीआरओजेईसीटीएस

4. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।

– लागू नहीं

5. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो : **लागू नहीं**

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि यदि कोई हो, (₹ में)
1	2019-20	–	–
2	2020-21	–	–
3	2021-22	40,000	–
	योग	**–**	**–**

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ / (हानि) – **₹ 66,62,84,750.00**

7. (अ) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत – **₹ 1,33,26,000.00**

(ब) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष –**शून्य**

(स) वित्तीय वर्ष के समायोजन के लिए आवश्यक धनराशि, यदि कोई हो – **₹ 40,000.00**

(द) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7अ+7ब+7स) – **₹ 1,32,86,000.00**

8. (अ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर धनराशि :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि		
	धनराशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	धनराशि	स्थानांतरण की तिथि
₹ 1,32,86,000.00	–	–	–	–	–

(ब) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अन्तर्गत खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची में मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	चालू वित्त वर्ष में खर्च की गयी राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन की प्रणाली प्रत्यक्ष– (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की प्रणाली– एजेंसी के माध्यम से (हां/नहीं)	
				राज्य	शहर						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1.	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	
	योग	–	–	–		–	–	–	–	–	–	

(स) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अन्तर्गत अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची में मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च राशि (₹ में)	कार्यान्वयन की प्रणाली प्रत्यक्ष– (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की प्रणाली– एजेंसी के माध्यम से (हां/नहीं)	
				राज्य	शहर			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1.	गणेशरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का निर्माण	अनुसूची VII (VII)	हां	उ.प्र./मथुरा		10,74,000	हां	–	–
2.	05 परिषदीय विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने एवं आईसीटी लैब बनाने का कार्य	अनुसूची VII (IV)	हां	उ.प्र./गोरखपुर		1,01,51,220	हां	–	–
3.	हेल्थ ए.टी.एम. की स्थापना	अनुसूची VII (II)	हां	उ.प्र./महाराजगंज		14,61,000	हां	–	–
4.	जनपद मेरठ में अमर शहीद धन सिंह कोटवाल सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य एवं प्राथमिक विद्यालय गावंडी में साउंड सिस्टम, एक्वागार्ड सहित वाटर कूलर एवं प्रकाश की व्यवस्था	अनुसूची VII (II)	हां	उ.प्र./मेरठ		5,99,300	हां	–	–
	योग	–	–	–		1,32,86,000	–	–	–

(द) प्रशासनिक उपरिव्ययों में खर्च की गयी राशि – **शून्य**

(य) प्रभाव आंकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो – **शून्य**

(र) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई) – **₹ ,1,32,86,000/-**

(ल) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो – **लागू नहीं**

क्र.सं.	विवरण	धनराशि (₹ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ (हानि) का दो प्रतिशत	–
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	–
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	–
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	–
(v)	अगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	–

9. (अ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण : **लागू नहीं**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अन्तर्गत अव्ययित सीएसआर खातें में हस्तांतरित राशि (₹ में)	विवरणीय वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135 (6), यदि कोई हो, के अनुसार अनुसूची VII के अन्तर्गत निर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित राशि			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ में)	स्थानांतरण की तिथि	
1.	–	–	–	–	–	–	–
	योग	–	–	–	–	–	–

(ब) पिछले वित्तीय (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : **लागू नहीं**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना पहचान पत्र	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल धनराशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई धनराशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी धनराशि (₹ में)	परियोजना की प्रास्थिति– पूर्ण/जारी
1.	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	–	–	–	–	–	–	–

10. पूंजीगत सम्पत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किये गये सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई परिसम्पत्ति से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत करें (परिसम्पत्तिवार विवरण) – **लागू नहीं**

(अ) पूंजीगत परिसम्पत्ति(यो) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि : **लागू नहीं**

(ब) पूंजीगत परिसम्पत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की तिथि : **लागू नहीं**

(स) ईकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसम्पत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि : **लागू नहीं**

(द) निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसम्पत्तियों (पूंजीगत परिसम्पत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें : **लागू नहीं**

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कम्पनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही हैं – **लागू नहीं।**

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

	–ह०–	–ह०–
	(समीर कुमार स्वैन)	**(रणवीर प्रसाद)**
दिनांक : 30-09-2024	निदेशक–वित्त	प्रबन्ध निदेशक
स्थान : लखनऊ	डीआईएन सं०–08721075	डीआईएन सं०–06684884

31 मार्च, 2023 का तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसम्पत्तियाँ			
1. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(अ) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	2	**26,64,768.19**	23,53,363.80
(ब) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	3	**4,30,240.26**	6,93,591.06
(स) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	4	**4,810.22**	796.41
(द) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	5	**34,105.07**	4,063.23
(य) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	6	**394.95**	417.20
2. चालू परिसम्पत्तियाँ			
(अ) वस्तु सूची (भण्डार एवं सामग्री)	7	**1,94,747.30**	1,47,536.88
(ब) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			
(i) व्यापारिक प्राप्य	8	**6,68,701.86**	6,75,295.88
(ii) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	9	**52,025.57**	86,177.93
(स) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	10	**39,151.18**	36,288.20
कुल परिसम्पत्तियाँ		**40,88,944.60**	39,97,530.59
समता एवं दायित्व			
समता			
(अ) समता अंशपूँजी	11	**19,86,725.82**	18,34,727.37
(ब) अन्य समता	एस॰ओ॰सी॰ई॰	**1,38,189.53**	99,790.68
दायित्व			
1. गैर चालू दायित्व			
(अ) वित्तीय दायित्व			
(i) उधारियाँ	12	**11,92,104.04**	12,53,164.88
(ii) पट्टे की देनदारियाँ	13	**4,474.14**	91.18
(ब) प्रावधान	14	**43,373.08**	41,156.31
(स) अस्थगित कर देयता	15	**11,803.09**	9,338.66
2. चालू दायित्व			
(अ) वित्तीय दायित्व			
(i) उधारियाँ	16	**1,26,025.45**	1,37,143.33
(ii) पट्टे की देनदारियाँ	17	**601.60**	6.05
(iii) अन्य वित्तीय दायित्व	18	**2,927.36**	14,596.19

(ब) अन्य चालू दायित्व	19	**5,80,879.90**	6,05,384.88
(स) प्रावधान	20	**1840.59**	2,131.06
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
लेखों पर टिप्पणियाँ	32		
टिप्पणियाँ 1 से 32 तक लेखे के अभिन्न अंग है।			
कुल समता एवं दायित्व		**40,88,944.60**	39,97,530.59

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

—ह॰—
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰
(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—
(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन—03473420

—ह॰—
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

—ह॰—
(पी॰ गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन—07979258

—ह॰—
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स॰सं॰ 072529
फर्म पंजी॰सं॰ 003755सी

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 30.09.2023

यूडिन : 23072529बीजीटीएसजेक्यू9236

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2022 समाप्त हुए वर्ष के लिए
I	परिचालनों से राजस्व	21	**3,57,576.62**	3,41,850.86
II	अन्य आय	22	**38,236.55**	27,857.61
III	**कुल आय (I+II)**		**3,95,813.17**	3,69,708.47
	व्यय			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	23	**42,130.06**	52,556.37
	वित्तीय लागत	24	**1,04,538.41**	1,21,840.00
	अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय	25	**1,82,719.30**	1,66,621.46
	अन्य व्यय			
	प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	26	**7,549.27**	8,044.73
	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	27	**47,126.23**	38,506.57
	अशोध्य ऋण एवं प्रावधान	28	**–**	2,064.88
IV	**कुल व्यय**		**3,84,063.27**	3,89,634.01
V	पूर्व अवधि आय / (व्यय) से पूर्व लाभ / (हानि) (III-IV)		**11,749.90**	(19,925.54)
VI	असाधारण वस्तुए	29	**2,479.98**	33,444.27
VII	कर से पूर्व लाभ / (हानि) (V-VI)		**9,269.92**	(53,369.81)
VIII	कर व्यय :			
	अस्थगित कर	30	**2,464.43**	12,308.42
IX	सतत संचालन से अवधि के लिए लाभ / (हानि) (VII-VIII)		**6,805.49**	(65,678.23)
X	असतत संचालनों से लाभ / (हानि)		**–**	–
XI	असतत संचालनों पर कर व्यय		**–**	–
XII	असतत संचालनों से लाभ / (हानि) (कर के पश्चात) (X–XI)		**–**	–
XIII	अवधि के लिए लाभ / (हानि) (IX+XII)		**6,805.49**	(65,678.23)
XIV	अन्य व्यापक आय			
	(अ) (i) वह वस्तु जिसे लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जायेगा।	31	**580.12**	(4,166.61)
	(ii) उन वस्तुओं से सम्बन्धित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जायेगा।		**–**	–

	(ब) (i) वह वस्तु जिसे लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जायेगा।		–	–
	(ii) उन वस्तुओं से सम्बन्धित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जायेगा।		–	–
XV	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII–XIV) (व्यापक लाभ / (हानि) एवं अवधि के लिए अन्य व्यापक आय		**7,385.61**	(69,844.84)
XVI	प्रति समता अंश आय (सतत संचालन हेतु) (वास्तविक अंकों में)			
	(1) आधारभूत ई॰पी॰एस॰[1]		**3.59**	(36.75)
	(2) तनुकृत ई॰पी॰एस॰[1]		**3.54**	(36.75)
XVII	प्रति समता अंश अर्जित आय (असतत हुए संचालन हेतु) (वास्तविक अंकों में)			
	(1) आधारभूत ई॰पी॰एस॰[1]		–	–
	(2) तनुकृत ई॰पी॰एस॰[1]		–	–
XVIII	प्रति समता अंश आय (सतत और असतत संचालन हेतु) (वास्तविक अंकों में)			
	(1) आधारभूत ई॰पी॰एस॰[1]		**3.59**	(36.75)
	(2) तनुकृत ई॰पी॰एस॰[1]		**3.54**	(36.75)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
	लेखों पर टिप्पणियाँ	32		
	टिप्पणी 1 से 32 तक लेखे का अभिन्न अंग है।			

[1] टिप्पणी संख्या 32 का बिन्दु संख्या 10 देखें।

–ह॰–
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰
(वित्त एवं लेखा)

–ह॰–
(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–03473420

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

–ह॰–
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

–ह॰–
(पी॰ गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–07979258

–ह॰–
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स॰सं॰ 072529
फर्म पंजी॰सं॰ 003755सी

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 30.09.2023

यूडिन : 23072529बीजीटीएसजेक्यू9236

समता में परिवर्तन का विवरण

अ. समता अंशपूंजी

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

01.04.2022 को अवशेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण समता अंशपूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में शेष रशि पुनः निर्धारित की गई	वर्ष के दौरान समता अंशपूंजी में परिवर्तन	31.03.2023 को अवशेष
18,34,727.37	–	18,34,727.37	1,51,998.45	**19,86,725.82**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

01.04.2021 को अवशेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण समता अंशपूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में शेष रशि पुनः निर्धारित की गई	वर्ष के दौरान समता अंशपूंजी में परिवर्तन	31.03.2022 को अवशेष
17,52,314.05	–	17,52,314.05	82,413.32	**18,34,727.37**

ब. अन्य समता

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

विवरण	आवंटन लम्बित अंश आवेदन धनराशि	संचय एवं आधिक्य			अन्य व्यापक आय के अन्य मदें (बीमांकक लाभ एवं हानि)	योग
		पूंजी संचय	अन्य संचय	धारित आय		
01.04.2022 को अवशेष	24,273.36	2,36,925.24	1,522.36	(1,40,142.04)	(3,486.51)	1,19,092.41
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्वावधि त्रुटियाँ	–	(4,874.03)	–	(14,427.71)	0.01	(19,301.73)
01.04.2022 को पुर्नस्थापित अवशेष	24,273.36	2,32,051.21	1,522.36	(1,54,569.75)	(3,486.50)	99,790.68
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	–	–	–	6,805.49	580.12	7,385.61
लाभांश	–	–	–	–	–	–
धारित आय में अंतरण	–	–	–	6,805.49		6,805.49
कोई अन्य परिवर्तन	(24,273.36)	55,593.97	(307.37)			31,013.24
31.03.2023 को अवशेष	–	2,87,645.18	1,214.99	(1,47,764.26)	(2,906.38)	1,38,189.53

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

विवरण	आवंटन लम्बित अंश आवेदन धनराशि	संचय एवं आधिक्य			अन्य व्यापक आय के अन्य मदें (बीमांकक लाभ एवं हानि)	योग
		पूंजी संचय	अन्य संचय	धारित आय		
01.04.2021 को अवशेष	–	1,92,277.79	1,341.75	(88,811.09)	680.10	1,05,488.55
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्वावधि त्रुटियाँ	–	(814.47)	–	4,295.30	–	3,480.83
01.04.2021 को पुर्नस्थापित अवशेष	–	1,91,463.32	1,341.75	(84,515.79)	680.10	1,08,969.38
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	–	–	–	(55,626.25)	(4,166.61)	(59,792.86)
लाभांश	–	–	–	–	–	–
धारित आय में अंतरण	–	–	–	(55,626.25)	–	(55,626.25)
कोई अन्य परिवर्तन	24,273.36	45,461.92	180.61	–	–	69,915.89
31.03.2022 को अवशेष	24,273.36	2,36,925.24	1,522.36	(1,40,142.04)	(3,486.51)	1,19,092.41

–ह॰–
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰
(वित्त एवं लेखा)

–ह॰–
(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–03473420

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

–ह॰–
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

–ह॰–
(पी॰ गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–07979258

–ह॰–
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स॰सं॰ 072529
फर्म पंजी॰सं॰ 003755सी

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 30.09.2023

यूडिन : 23072529बीजीटीएसजेक्यू9236

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अ)	**परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि)	**9,269.92**	(53,369.81)
	समायोजन निम्नलिखित के लिए :–		
(अ)	अवक्षयण	**1,82,719.30**	1,66,621.46
(ब)	ब्याज और वित्त प्रभार	**1,04,538.41**	1,21,456.86
(स)	अशोध्य ऋण एवं प्रावधान	**–**	2,064.88
(द)	उपार्जित अवकाश नकदीकरण का प्रावधान (सेवानैवृत्तिक लाभ)	**481.86**	7,744.69
(य)	ग्रेच्युटी का प्रावधान – सीपीएफ कर्मचारी	**2,024.56**	1,455.31
(र)	आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	**2,479.98**	33,444.27
(ल)	ब्याज से आय	**–**	**–**
	सावधि जमा	**(1.25)**	–
	अन्य	**(2,816.12)**	(1,143.26)
(व)	अस्थगित आय	**4,978.51**	(6.05)
(श)	उपभोक्ता योगदान से मान्यता प्राप्त राजस्व	**(20,361.00)**	(16,394.37)
	कार्यशील पूंजी के परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	**2,83,314.17**	2,61,873.98
	समायोजन निम्नलिखित के लिये :		
(अ)	वस्तुसूची (भण्डार एवं कलपुर्जो) में कमी / (वृद्धि)	**(47,210.43)**	13,360.01
(ब)	व्यापारिक प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	**6,594.02**	(41,504.87)
(स)	चालू परिसम्पत्तियों (पूंजी कोष के विरूद्ध) में कमी / (वृद्धि)	**(307.36)**	180.61
(द)	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	**(1,435.60)**	2,996.72
(य)	अन्य चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	**(38,653.79)**	(49,565.92)
	संचालन से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह	**2,02,301.01**	1,87,340.53
	घटाया : करों का भुगतान	**1,427.40**	4,094.93
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (अ)	**2,00,873.61**	1,83,245.60
ब)	**निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
(अ)	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों में कमी / (वृद्धि)	**(4,90,948.71)**	(3,69,446.32)
(ब)	अवक्षयण आरक्षित निधि समायोजित / कटौती	**(2,893.36)**	(8,273.05)
(स)	अमूर्त सम्पत्ति में कमी / (वृद्धि)	**(4,295.43)**	(468.99)
(द)	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में कमी / (वृद्धि)	**2,63,350.80**	1,00,984.39
(य)	अन्य गैर चालू सम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	**22.25**	37.14
(र)	अन्य वित्तीय सम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	**(30,041.83)**	0.22
(ल)	प्राप्त ब्याज	**2,817.38**	1,143.26
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया शुद्ध रोकड़ प्रवाह (ब)	**(2,61,988.90)**	(2,76,023.35)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
स)	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
(अ)	उधारियों से प्राप्ति (शुद्ध)	**(72,178.72)**	62,601.35
(ब)	अंशपूंजी से प्राप्ति	**1,51,998.45**	82,413.32
(स)	अंश आवेदन से प्राप्त धनराशि	**(24,273.36)**	24,273.37
(द)	अन्य समता मदों से प्राप्ति	**75,954.97**	66,030.59
(य)	ब्याज और वित्त शुल्क	**(1,04,538.41)**	(1,21,456.86)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (स)	**26,962.93**	1,13,861.77
	नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध (कमी)/वृद्धि (अ+ब+स)	**(34,152.36)**	21,084.02
	वर्ष के आरम्भ में नकद और नकद समतुल्य	**86,177.93**	65,093.91
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**52,025.57**	86,177.93

(i)	हस्तस्थ रोकड़	**0.95**	5.86
	बैंक के चालू एवं अन्य खाते में	**52,024.62**	86,172.07
	वर्ष के अंत में कुल नकद और नकद समतुल्य	**52,025.57**	86,177.93

(ii) यह विवरण भारतीय लेखांकन मानक 7 के पैरा 20 में प्रावधानित अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है।

(iii) नकद और नकद समतुल्यों में हस्तस्थ नकदी, चालू और अन्य खातों में बैंकों के अवशेष तथा बैंको के साथ सावधि जमा सम्मिलित है।

(iv) आवश्यकतानुसार पूर्व वर्ष के आकड़ों का पुनःसमूहीकरण/पुनः वर्गीकरण/पुनर्आगणन किया गया है।

—ह॰—
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰
(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—
(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–03473420

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

—ह॰—
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

—ह॰—
(पी॰ गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–07979258

—ह॰—
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स॰सं॰ 072529
फर्म पंजी॰सं॰ 003755सी

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 30.09.2023

यूडिन : 23072529बीजीटीएसजेक्यू9236

टिप्पणी–1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (वित्तीय वर्ष 2022-23)

1) सामान्य/तैयार करने का आधार

(अ) शासी अधिनियम

कंपनी, लागू सीमा तक विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 में दिये गये प्रावधानों के अधीन शासित है।

(ब) अनुपालन का विवरण

वित्तीय प्रपत्र ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अन्तर्गत लेखांकन के प्रोदभूत आधार पर तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किये गये है, तथा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अन्तर्गत अधिसूचित एवं उसके बाद संशोधित भारतीय लेखांकन मानको, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू होने की सीमा तक), कम्पनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों, विद्युत अधिनियम, 2003 प्रावधान तथा लागू सीमा तक विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं। जहाँ कहीं कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से विचलन है, विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के संगत प्रावधान प्रभावी है। लेखांकन नीतियों को कम्पनी द्वारा जब तक अन्यथा वर्णित न हो के अतिरिक्त समरूपता से लागू किया गया है।

(स) कार्यात्मक एवं प्रस्तुतिकरण मुद्रा :–

यह वित्तीय लेखे भारतीय रूपये (₹) में प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा है। जब तक अन्यथा वर्णित न हो, सभी वित्तीय सूचनाओं को भारतीय रूपये के निकटतम ₹ लाख से पूर्णांकित (दो दशमलव तक) कर प्रस्तुत किया गया है।

(द) चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण :–

(1) कम्पनी द्वारा चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को प्रस्तुत किया गया है।

परिसम्पत्ति चालू है जब उसकी :–

- सामान्य परिचालकीय चक्र में वसूली होना या खपत होना अपेक्षित है;
- प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर वसूली होना अपेक्षित है; या
- रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, जब तक प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह माह के लिए किसी दायित्व को चुकाने के लिए प्रयोग किये जाने अथवा आदान प्रदान किये जाने हेतु वर्जित न हो।

अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दायित्व चालू है जब :–

- इसको सामान्य परिचालकीय चक्र में निस्तारित करना अपेक्षित हो;
- प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह महीने के भीतर इसका निस्तारण नियत हो; या
- प्रतिवेदन अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए दायित्व के निस्तारण को स्थगित करने का बिना शर्त का अधिकार न हो।

अन्य सभी दायित्वों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(2) अस्थगित कर आस्तियों/देनदारियों को गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(य) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय प्रपत्रों को तैयार किए जाने हेतु प्राक्कलन एवं अभिकल्पना की भी आवश्यकता पड़ती है जिसका सम्बन्धित अवधि के आस्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्ययों की प्रतिवेदित राशि पर प्रभाव पड़ता है। यद्यपि कि ऐसे प्राक्कलन तथा अनुमान समस्त उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित युक्तियुक्त तथा विवेकपूर्ण विधि से तैयार किए जाते हैं परन्तु यह संगत मामलों में वास्तविक परिणामों से भिन्न भी हो सकते हैं तथा जिस अवधि में इस प्रकार के कार्य पूर्ण होते हैं उसी अवधि में इन अन्तरों को लेखों में अभिलिखित कर लिया जाता है।

2) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(I) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(अ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) ऐतिहासिक लागत पर संचयी अवक्षयण के पश्चात दर्शाये जाते है।

(ब) परिसम्पत्ति को प्रबन्धन द्वारा प्रयोजित तरीके से संचालित होने के लिए सक्षम होने की परिस्थिति एवं स्थान तक लाने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य व्यय लागत में सम्मिलित है।

(स) सम्पत्ति के प्रयोग में आने की स्थिति में, ऐसे प्रकरण जहाँ ठेकेदारों के बीजकों का अन्तिम निस्तारण होना शेष हो का अनन्तिम आधार पर पूंजीकरण समायोजन अन्तिम निस्तारण के वर्ष में कर दिये जाने के प्रतिबन्धाधीन किया जाता है।

(द) पारेषण तंत्र परिसम्पत्तियों को यूपीईआरसी टैरिफ विनियमन के संदर्भ में घोषित वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से उपयोग करने के लिए तैयार माना जाता है और तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

(य) विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 में निहित प्रावधानों के दृष्टिगत सम्पत्ति, संयत्र और उपकरण को पूनर्मूल्यांकन अनुज्ञेय नहीं है।

(II) प्रगतिशील पूँजीगत कार्य

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निर्माण के लिए सामग्री की लागत, निर्माण व्यय और अन्य खर्चों को पूँजीकरण की तारीख तक प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है।

(ख) कार्यात्मक इकाई की बहुलता के साथ–साथ इकाई विशेष में कार्यों की बहुलता के कारण, कर्मचारी लागत को विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए पूंजीगत कार्यों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में निम्नवत् रोपित किया जाता है:–

(1) पूँजीगत पारेषण कार्यों के लिए

(i) 132 एवं 220 के॰वी॰ उप–केन्द्रों एवं लाइनों पर 9%

(ii) 400 के॰वी॰ उप–संस्थानों एवं लाइनों पर 7%, और

(iii) 765 के॰वी॰ उप–संस्थानों एवं लाइनों के मामलों में 5%

(2) अन्य पूँजीगत कार्यों पर 10%

(ग) जमा कार्यो पर पर्यवेक्षण व्यय पूंजीगत कार्य के कुल व्यय का 15% (टिप्पणियों के अन्तर्गत अन्यथा वर्णित को छोड़कर) की दर से रोपित है।

(घ) पीपीई के निर्माण के लिए आवंटित निर्माण के दौरान ब्याज को सीडब्लूआईपी के तहत एक अलग मद के रूप में रखा जाता है और संबंधित परिसम्पत्तियाँ जो पूंजीकृत होनी है में रोपित किया जाता है।

(ङ) सीडब्ल्यूआईपी के तहत आपूर्तिकर्ताओ/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजीगत) विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अन्तर्गत है।

(III) अवक्षयण

(क) संपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण लागत वाले संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक भाग पर अलग से ह्रास लगाया गया है।

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 सपठित धारा 61 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना संख्या एल–1/236/2018/सी॰ई॰आर॰सी॰ दिनांक 07.03.2019 से निर्गत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ नियम तथा शर्ते) विनियम, 2019 के ''परिशिष्ट–I'' में दिये गए प्रावधानों के आधार पर अवक्षयण भारित किया गया है। उक्त विनियमावली दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए मान्य है।

(ग) उक्त बिन्दु (ख) के दृष्टिगत संपत्ति संयंत्र एवं उपकरणों के वास्तविक मूल्य का 10% अवशेष मूल्य मानते हुए अवक्षयण व्यय निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर भारित किया गया है। (लकड़ी के ढांचे जैसे अस्थायी निर्माण जहां अवक्षयण की दर 100% और आई॰टी॰ उपकरण और साफ्टवेयर के मामले में जहां मूल्यह्रास मूल्य 100% है और निस्तारण मूल्य शून्य को छोड़कर)।

(घ) वर्ष के दौरान सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के परिवर्धन मूल्य पर ह्रास व्यावसायिक संचालन के माह से आनुपातिक आधार पर लिया जाता है। इसी प्रकार, वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से कमी की दशा में अवक्षयण अनुपातिक आधार पर उस माह तक लगाया जाता है जिस माह में परिसम्पत्ति निस्तारित की गयी है।

(ङ) पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में (अन्य परिसम्पत्तियों के विपरीत जहां मूल्यह्रास योग्य मूल्य 90% है), मूल्यह्रास पट्टे पर ली गई परिसम्पत्ति की लागत का 100% (पट्टा परिसम्पत्ति की पहचान के लिए नाममात्र मूल्य छोड़कर) अपलेखन सीधी रेखा विधि द्वारा प्रभारित किया जाता है।

(i) उपर्युक्त III (बी) के अनुसार या

(ii) पट्टे की अवधि के दौरान,

जो भी छोटा हो,

पट्टे की अवधि को ध्यान में रखते हुए, पट्टा समझौते में नवीनीकरण वाक्य, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया गया है।

(IV) उधारी लागत

अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण सम्बन्धित उधारी लागत को वाणिज्यिक परिचालन की प्रभावी तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जाता है। एक अर्हक संपत्ति वह है जो

आवश्यक रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है। अन्य सभी उधारी लागत उस अवधि के लाभ और हानि खाते में अभिज्ञात की जाती है जिस अवधि में वे उपगत होती हैं।

V) भण्डार एवं कलपुर्जे

(क) सामग्री एवं कलपुर्जों का मूल्यांकन आमतौर पर लागत के आधार पर किया जाता है। हालांकि, अप्रचलित, अनुपयोगी, अधिशेष या गैर–चलने वाली वस्तुओं के मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए उचित प्रावधान किया जाता है।

(ख) अवशिष्ट सामग्री की बिक्री का मूल्यांकन बिक्री/प्राप्ति के समय किया जाता है।

(ग) वर्ष के अन्त में यदि सामग्री में आधिक्य/कमी परिलक्षित होती है तो उसे ''जांच के अधीन लम्बित सामग्री आधिक्य/कमी'' मद के अंतर्गत दर्शाया जाता है तथा जांच के अन्तिम होने के पश्चात यदि कोई आधिक्य निर्धारित होती है तो उसे आय के मद में लेखांकित किया जाता है। इसी प्रकार जांचोपरान्त कमी निर्धारित होने की दशा में, जैसी भी स्थिति हो, या तो कार्मिकों से वसूली की जाती है अथवा लाभ/हानि खाते में भारित किया जाता है।

(घ) चोरी अथवा अन्य कारणों से हुई कमी/हानि को प्रथमतः ''कार्मिकों के विरूद्ध विविध अग्रिम'' मद में डेबिट किया जाता है तथा जांच/निपटारे के अन्तिम होने तक ''चालू आस्तियाँ'' के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

VI) राजस्व मान्यता

(अ) अन्तःराज्यीय के अन्दर ऊर्जा के पारेषण के राजस्व को लेखों में माननीय उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर समाविष्ट किया जाता है। माननीय उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ तथा सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर ट्रू–अप याचिका में प्रस्तुत टैरिफ में यदि कोई अन्तर हो तो उसे उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग के अन्तिम निर्णय के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

(ब) ''भारतीय लेखांकन मानक 115 –ग्राहक के साथ अनुबन्ध से राजस्व'' के प्रावधानों के अनुरूप, पूंजीगत सम्पत्ति की लागत के सापेक्ष प्राप्त उपभोक्ता अंशदान, जिसे प्रारम्भ में पूंजीगत कोष के रूप में लेखांकित किया जाता है, को उपभोक्ता के साथ हुए अनुबन्ध के नियमों द्वारा विशेष रूप से निर्धारित अवधि को छोड़कर, निर्धारित समयावधि, जो विनियामक (अर्थात, सी॰ई॰आर॰सी॰) द्वारा, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 में दिये अधिकार का प्रयोग करते हुए, सी॰ई॰आर॰सी॰ विनियम के माध्यम से निर्धारित अवक्षयण की साधारण दर के आधार पर प्राप्त सम्बन्धित परिसम्पत्ति की उपयोगी जीवनकाल है, में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपभोक्ता योगदान संचय प्रारंभिक अभिमान्यता के वर्ष, जब समान वार्षिक आय का केवल 50% राजस्व के रूप में अभिज्ञात है, तथा उपरोक्त कथित अवधि के अंत में जब सम्पूर्ण शेष अभिज्ञात राशि को छोड़कर, उपरोक्त कथित अवधि में समान वार्षिक राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

स) अन्तर–राज्यीय लघु अवधि ओपेन एक्सेस के सम्बन्ध में एन॰आर॰एल॰डी॰सी॰ के माध्यम से प्रभार की अग्रिम वसूली की नीति तथा अन्तःराज्यीय लघु अवधि ओपेन एक्सेस के सम्बन्ध में एस॰एल॰डी॰सी॰ द्वारा जारी भुगतान अनुसूची के दृष्टिगत्, ओपेन एक्सेस से होने वाले राजस्व को वसूली के उपरान्त सी॰ई॰आर॰सी॰/यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰ द्वारा स्वीकृत टैरिफ के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर मान्य लेखांकित किया जाता है।

अग्रेतर, भारतीय लेखांकन मानक 115–'उपभोक्ता के साथ अनुबन्ध से राजस्व' के अनुसार, अग्रिम के रूप में प्राप्त राजस्व को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत आने वाले लघु अवधि ओपेन एक्सेस अवधि के अनुपात मे तभी संज्ञान में लेना है जब या तो एक्सेस दे दिया गया हो या लघु अवधि ओपेन एक्सेस की समायवधि समाप्त हो गई हो एवं कोई कार्य शेष न हो या जब अनुबन्ध समाप्त हो गया हो। अपितु राजस्व के रूप में संज्ञान में लेने से पूर्व एस॰टी॰ओ॰ए॰उपभोक्ता से प्राप्त राशि को एक दायित्व के रूप में लेखांकित किया जाना है।

(द) सरकारी अनुदान को तुलन पत्र में, अनुदान की प्राप्ति पर दायित्व के रूप में दर्शा कर लेखांकन किया जाता है तथा संचय में अस्थगित आय के रूप में केवल तभी अन्तरित किया जाता है जब उस से जुड़ी शर्तें पूरी हो चुकने का तर्कसंगत विश्वास हो। ऐसी अस्थगित आय लाभ–हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर एक अवधि में अभिज्ञात की जाती है जो अंतनिर्हित पूंजीगत सम्पत्ति का उपयोगी जीवनकाल है जो कि अवक्षयण की सामान्य दर पर जैसा कि विनियामक (सी॰ई॰आर॰सी॰) द्वारा निर्धारित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निर्गत विनियम द्वारा निर्धारित किया गया है।

(य) जमा कार्यों पर पर्यवेक्षण प्रभार (लागू दरों के अनुसार) संबंधित अवधि के दौरान सम्बन्धित व्यय के अनुपात में राजस्व के रूप में मान्य किये जाते है।

(र) बीमा और अन्य दावे, कस्टम ड्यूटी की वापसी, आयकर और व्यापार कर पर ब्याज प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किये गये है। कर्मचारियों को दिये ऋण पर ब्याज का लेखांकन प्राप्ति के आधार पर पूरा मूल धन वसूल होने के बाद किया गया है।

VII) पूर्व अवधि की सारपूर्ण त्रुटियां :–

सभी पूर्व अवधि की सारपूर्ण त्रुटियों के सुधार त्रुटि मिलने के बाद जारी करने के लिए अनुमोदित वित्तीय विवरणों में पूर्ववर्ती प्रभाव से त्रुटि वाले वर्ष के दर्शाये गये तुलनात्मक आंकड़ो को बहाल कर किया गया है या जहाँ त्रुटि दर्शायी गयी सबसे पुरानी अवधि से भी पहले की हो तो सबसे पुराने दर्शायी गयी अवधि की परिसम्पत्तियों, दायित्वों एवं समता के प्रारम्भिक अवशेषों को पुनर्स्थापित कर, जैसी भी परिस्थिति हो, किया गया है।

यदि सभी पूर्व अवधि त्रुटियों का अवधि–विशिष्ट प्रभाव/संचयी प्रभाव निर्धारित करना असम्भव है तो परिसम्पत्तियों, दायित्वों एवं समता/तुलनात्मक सूचनाओं को सबसे पुरानी सम्भव अवधि के प्रारम्भिक अवशेषों को पुनर्स्थापित कर दिया गया है।

VIII) कर्मचारी लाभ

(अ) कर्मचारियों की पेन्शन एवं उपादान सम्बन्धित दायित्वों का निर्धारण बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है एवं इसका लेखांकन प्रोदभूत आधार पर किया गया है।

(ब) उपार्जित अवकाश नकदीकरण (सेवानैवृत्तिक परिभाषित लाभ योजना) हेतु प्रावधान का लेखांकन बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर किया जाता है।

(स) चिकित्सा लाभ एवं अवकाश यात्रा रियायत (एल॰टी॰सी॰) का लेखांकन वर्ष में प्राप्त हुए दावों तथा अनुमोदित किये गये दावों के आधार पर किया जाता है।

IX) प्रावधान, सम्भाव्य दायित्व एवं सम्भाव्य आस्तियाँ

(अ) प्रावधान का लेखांकन उस सीमा तक अनुमानित व्यय के आधार पर किया गया है, जहां तक संभव हो, वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक हो और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाए और जितना सम्भव हो अनुमानित खर्च को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है।

(ब) जब तक आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना सुदूर नही है, तब तक खातों पर टिप्पणियों में सम्भाव्य दायित्वों का प्रकटन किया गया है। जबकि, जब तक आर्थिक लाभ का अंर्तप्रवाह संभावित नही हो जाता, तब तक खातों में सम्भाव्य आस्तियां का प्रकटन नहीं किया गया है।

(स) जहां किसी सम्भाव्य दायित्व या सम्भाव्य आस्तियां का प्रकटन करना व्यवहार्य नही है, उस तथ्य का प्रकटन किया गया है।

X) अस्थगित कर

भारतीय लेखा मानक–12 "आयकर" में कम्पनी का तुलन–पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके अस्थगित करों का लेखांकन वांछित है, जो तुलन–पत्र और उसके कर आधार में सम्पत्ति या देयता की वहन राशि के बीच अस्थायी अंतर पर केन्द्रित है।

कटौती योग्य अस्थायी अंतर के सम्बन्ध में भविष्य की अवधि में वसूली योग्य आयकर की अस्थगित कर सम्पत्ति और कर योग्य अस्थायी अंतर के संबंध में भविष्य की अवधि में देय आयकर की अस्थगित कर देनदारियों को तुलन–पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दी गई है।

XI) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण में भारतीय लेखांकन मानक–7 'रोकड़ प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

XII) वित्तीय सम्पत्ति

प्रारंभिक मान्यता और माप :

सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य एवं वित्तीय परिसम्पत्ति के अधिग्रहण अथवा निर्गमन सम्बन्धित लागत को जोड़ कर लेखांकित किया गया है क्योंकि कम्पनी इसे आर्मस लेन्थ मूल्य पर क्रय/अधिग्रहण करती है तथा आर्म्स लेन्थ मूल्य ही वह मूल्य है जिस पर परिसम्पत्ति का आदान–प्रदान हो सकता है।

अनुवर्ती माप :

(अ) ऋण अभिलेख :– एक ऋण अभिलेख भारतीय लेखा मानक–109 के अनुसार परिशोधित लागत पर मापा गया है।

(ब) समता अभिलेख :– संस्थाओं में सभी समता अभिलेख लाभ व हानि (एफ॰वी॰टी॰पी॰एल॰) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है क्योंकि इन्हे व्यापार के लिए धारण नही किया जाता है।

XIII) वित्तीय दायित्व

प्रारंभिक मान्यता और माप :

वित्तीय दायित्वों का लेखांकन दस्तावेजों के अनुबन्धीय प्रावधानों में तब किया जाता है जब कंपनी एक पक्ष बन जाती है। सभी वित्तीय दायित्वों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। कंपनी की वित्तीय दायित्वों में व्यापारिक देयता, उधार और अन्य देयताएँ शामिल हैं।

अनुवर्ती माप :

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके उचित मूल्य पर उधारों को मापा गया है। प्रभावी ब्याज दर विधि एक वित्तीय साधन की परिशोधित लागत की गणना और प्रासंगिक अवधि में ब्याज और अन्य खर्चों को आवंटित करने की एक विधि है। चूंकि प्रत्येक ऋण पर ब्याज और जोखिम की अपनी अलग दर होती है, इसलिए जिस ब्याज दर पर उन्हें प्राप्त किया गया है उसे ईआईआर माना जाता है। व्यापार और अन्य देयता अनुबंध मूल्य पर दिखाए जाते हैं।

एक वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त कर दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, निरस्तीकरण या समापन हो जाता है।

–ह०–	–ह०–	यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
(श्रवण बब्बर)	**(निधि कुमार नारंग)**	**कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स**
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰	निदेशक (वित्त)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(वित्त एवं लेखा)	डीआईएन–03473420	
–ह०–	–ह०–	–ह०–
(ऋषि टण्डन)	**(पी॰ गुरूप्रसाद)**	**(जितेन्द्र अग्रवाल)**
कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
	डीआईएन–07979258	स॰सं॰ 072529
		फर्म पंजी॰सं॰ 003755सी

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 30.09.2023

यूडिन : 23072529बीजीटीएसजेक्यू9236

टिप्पणी-'2' सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण (₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक			
	01.04.2022 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2023 को
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	18,606.39	1,738.60	–	20,344.99
पट्टे पर ली गयी भूमि	6.34	0.71	–	7.05
भवन	1,49,026.04	23,562.63	0.00	1,72,588.67
अन्य जानपदीय कार्य	12,089.36	2,121.13	–	14,210.49
संयंत्र एवं मशीनरी	16,50,128.99	2,53,394.60	5,990.11	18,97,533.48
लाईन, केबिल, नेटवर्क आदि	17,11,644.42	2,14,912.94	722.86	19,25,834.50
वाहन	343.03	–	1.14	341.89
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	1,233.72	124.65	19.55	1,338.82
कार्यालय उपकरण	1,514.52	187.49	180.37	1,521.64
अन्य परिसम्पत्तियां	11,937.68	2,158.21	338.22	13,757.67
योग	35,56,530.49	4,98,200.96	7,252.25	40,47,479.20

(₹ लाख में)

विवरण	अवक्षयण एवं अपाकरण				निवल अग्रेषित मूल्य	
	01.04.2022 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2023 को	31.03.2023 को अवशेष	31.03.2022 को अवशेष
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	–	–	–	–	20,344.99	18,606.39
पट्टे पर ली गयी भूमि	–	–	–	–	7.05	6.34
भवन	36,320.67	5,159.62	2.64	41,477.65	1,31,111.02	1,12,705.37
अन्य जानपदीय कार्य	4,533.55	462.44	0.48	4,995.51	9,214.98	7,555.81
संयंत्र एवं मशीनरी	5,66,721.87	88,115.03	1,490.30	6,53,346.60	12,44,186.88	10,83,407.12
लाईन, केबिल, नेटवर्क आदि	5,82,275.24	87,456.17	650.57	6,69,080.84	12,56,753.66	11,29,369.18
वाहन	305.89	1.36	1.02	306.23	35.66	37.14
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	445.02	81.70	5.99	520.73	818.09	788.70
कार्यालय उपकरण	797.90	135.88	143.07	790.71	730.93	716.62
अन्य परिसम्पत्तियां	11,766.55	730.91	304.72	12,192.74	1,564.93	171.13
योग	12,03,166.69	1,82,143.11	2,598.79	13,82,711.01	26,64,768.19	23,53,363.80

क्रमशः

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक			
	01.04.2021 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2022 को
(i) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	11,614.96	6,991.43	–	18,606.39
(ii) पट्टे पर ली गयी भूमि	5.56	0.78	–	6.34
भवन	1,34,865.88	14,184.11	23.96	1,49,026.03
अन्य जानपदीय कार्य	11,323.46	765.90	–	12,089.36
संयंत्र एवं मशीनरी	15,33,296.32	1,34,245.01	17,412.32	16,50,129.01
लाईन, केबिल, नेटवर्क आदि	14,81,869.60	2,31,102.90	1,328.08	17,11,644.42
वाहन	332.91	10.12	–	343.03
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	1,118.39	117.41	2.08	1,233.72
कार्यालय उपकरण	1,308.28	206.71	0.48	1,514.51
अन्य परिसम्पत्तियां	11,348.78	715.85	126.96	11,937.67
योग	31,87,084.14	3,88,340.22	18.893.88	35,56,530.48

(₹ लाख में)

विवरण	अवक्षयण एवं अपाकरण				निवल अग्रेषित मूल्य	
	01.04.2021 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को अवशेष	31.03.2021 को अवशेष
(i) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	–	–	–	–	18,606.39	11,614.96
(ii) पट्टे पर ली गयी भूमि	–	–	–	–	6.34	5.56
भवन	31,499.63	4,702.65	21.56	36,180.72	1,12,845.31	1,03,366.25
अन्य जानपदीय कार्य	4,047.60	432.96		4,480.56	7,608.80	7,275.86
संयंत्र एवं मशीनरी	4,91,317.94	76,029.46	7,088.59	5,60,258.81	10,89,870.20	10,41,978.38
लाईन, केबिल, नेटवर्क आदि	4,93,797.01	73,936.47	1,051.93	5,66,681.55	11,44,962.87	9.88,072.59
वाहन	304.19	1.70		305.89	37.14	28.72
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	372.88	70.38	1.81	441.45	792.27	745.51
कार्यालय उपकरण	682.25	115.32	0.28	797.29	717.22	626.03
अन्य परिसम्पत्तियां	9,496.15	757.24	108.88	10,144.51	1,793.16	1.852.63
योग	10,31,517.65	1,56,046.18	8,273.05	11,79,290.78	23,77,239.70	21,55,566.49

(₹ लाख में)

विवरण	**31.03.2023** को		31.03.2022 को	
टिप्पणी-'3' : प्रगतिशील पूँजीगत कार्य				
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य [1]	**1,89,263.22**		2,62,027.39	
घटाया : प्रगतिशील पूंजीगत कार्य की हानि के सापेक्ष प्रावधान (परित्याग या किसी अन्य कारण)	**253.88**	**1,89,009.34**	253.88	2,61,773.51
पूर्व वर्ष तक पूंजीकरण के लिए लम्बित ऋण लागत	**42,541.88**		65,845.44	
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**16,601.46**		17,462.61	
घटाये : वर्ष के दौरान पूंजीकरण	**34,899.24**	**24,244.10**	40,766.17	42,541.88
निर्माण कार्य के लिए ठेकेदारों के साथ सामग्री	**2,15,297.82**		3,60,106.54	
घटाये : आपूर्तिकर्ताओं एंव ठेकेदारों को खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान (पूंजी)	**185.50**	**2,15,112.32**	185.50	3,59,921.04
आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजी) (सामग्री के अलावा अन्य)		**1,015.45**		26,170.99
विकासाधीन अमूर्त सम्पत्ति		**859.05**		3,183.64
योग		**4,30,240.26**		6,93,591.06

[1] उधार लेने की लागत, विकास के सापेक्ष अमूर्त सम्पत्ति और सामग्री एवं ठेकेदारों के साथ अन्य अग्रिमों को छोड़कर।

टिप्पणी–4 : अन्य अमूर्त आस्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक			
	01.04.2022 को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	31.03.2023 को
अमूर्त आस्तियाँ				
सॉफ्टवेयर	**1,339.32**	**4,604.68**	**309.25**	**5,634.75**
योग	**1,339.32**	**4,604.68**	**309.25**	**5,634.75**

(₹ लाख में)

विवरण	अवक्षयण एवं अपाकरण				निवल अग्रेषित मूल्य	
	01.04.2022 को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	31.03.2023 को	31.03.2023 को अवशेष	31.03.2022 को अवशेष
अमूर्त आस्तियाँ						
साफ्टवेयर	542.91	**576.19**	**294.57**	**824.53**	**4,810.22**	796.41
योग	542.91	**576.19**	**294.57**	**824.53**	**4,810.22**	796.41

अन्य अमूर्त आस्तियाँ : **2021-22**

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक			
	01.04.2021 को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	31.03.2022 को
अमूर्त आस्तियाँ				
साफ्टवेयर	870.33	**468.99**	–	**1,339.32**
योग	870.33	**468.99**	–	**1,339.32**

(₹ लाख में)

विवरण	अवक्षयण एवं अपाकरण				निवल अग्रेषित मूल्य	
	01.04.2021 को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को अवशेष	31.03.2021 को अवशेष
अमूर्त आस्तियाँ						
साफ्टवेयर	421.62	**121.29**	–	**542.91**	**796.41**	448.71
योग	421.62	**121.29**	–	**542.91**	**796.41**	448.71

टिप्पणी-'5' : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
प्रतिभूति जमा राशि	**4,076.47**	4,060.22
12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा	**30,027.68**	2.07
अन्य निवेश (एनएससी)	**0.92**	0.94
योग	**34,105.07**	4,063.23

टिप्पणी-'6' : अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां

अस्थगित राजस्व लागत (भूमि पट्टा प्रीमियम)	**394.95**	417.20
योग	**394.95**	417.20

टिप्पणी-'7' : वस्तु सूची

भण्डार एवं उपस्कर

(अ) भण्डार सामग्री–पूँजीगत कार्य	**98,770.72**	1,06,114.92
(ब) भण्डार सामग्री–ओ एण्ड एम	**86,128.32**	34,176.62
(स) अन्य सामग्री[1]	**9,848.26**	7,245.34
योग	**1,94,747.30**	1,47,536.88

1 अन्य भण्डार में निर्माणकर्ताओं को निर्गत सामग्री, अप्रचलित भण्डार, अवशिष्ट सामान, मरम्मत के लिए भेजे गए परावर्तक, भण्डार, सामग्री जाँच हेतु लम्बित आधिक्य/कमी एवं पारगमन भण्डार सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-'8' : वित्तीय परिसम्पत्तियाँ–व्यापारिक प्राप्य

निर्विवाद व्यापार प्राप्य – असुरक्षित		
–शोध्य विचारित	**6,68,701.86**	6,75,295.88
–जिससे जमा जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	**1,961.60**	1,961.60
उपयोग	**6,70,663.46**	6,77,257.48
घटाया : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**1,961.60**	1,961.60
योग	**6,68,701.86**	6,75,295.88

1 व्यापार प्राप्तियों की आयु बढ़ने के लिए नोट 33 का बिंदु (13) देखें।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी-'9' : वित्तीय परिसम्पत्तियाँ–रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य				
अ) हस्तस्थ रोकड़		**0.95**		5.86
(डाक टिकट को सम्मिलित करते हुए)				
ब) पारगमन में रोकड़		**–**		–
स) बैंक में अवशेष				
चालू एवं अन्य खातो में (फ्लेक्सी अवशेष सम्मिलित)		**52,024.62**		86,172.07
योग		**52,025.57**		86,177.93
टिप्पणी-'10' : अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ				
असंरक्षित, शोध्य विचारित				
कर्मचारियों को अग्रिम		**33.65**		3.19
(वेतन से समायोजनीय/वसूली योग्य)		**–**		–
स्रोत पर कर कटौती		**1,427.40**		4,085.93
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदार को अग्रिम (ओ एण्ड एम)		**1,214.31**		1,181.95
प्राप्य :				
कर्मचारियों	**768.26**		805.72	
अन्य	**10,438.39**		5,104.15	
	11,206.65		5,909.87	
घटायें: संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	**186.60**	**11,020.05**	186.60	5,723.27
प्रोदभूत ब्याज किन्तु देय नही		**35.74**		3.35
पूर्वदत्त व्यय		**399.65**		0.71
अस्थगित राजस्व लागत (भूमि पट्टा प्रीमियम)		**17.97**		17.97
अंतर इकाई अंतरण **1**		**25,002.41**		25,271.83
योग		**39,151.18**		36,288.20

1 टिप्पणी 33 का संदर्भ बिन्दु (18) देखें।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
टिप्पणी-'11' : समता अंश पूंजी		
(अ) अधिकृत पूंजी		
सममूल्य ₹ 1000/- प्रति समता अंश के 250000000 समता अंश (पूर्व वर्ष सममूल्य ₹ 1000/- प्रति समता अंश के 200000000 समता अंश)	**25,00,000.00**	20,00,000.00
(ब) निर्गत, अभिदत्त एवं चुकता अंशपूँजी		
सममूल्य ₹ 1000/- प्रति समता अंश के 198672582 पूर्ण प्रदत्त समता अंश (पूर्व वर्ष में सममुल्य ₹ 1000/- प्रति समता अंश के 183472737 पूर्ण प्रदत्त समता अंश)	**19,86,725.82**	18,34,727.37
योग	**19,86,725.82**	18,34,727.37

(अ) प्रतिवेदित अवधि के प्रारम्भ में तथा अन्त में अंशों की संख्या एवं बकाया धनराशि का समाधान :

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को	31.03.2022 को
	अंशों की संख्या	(₹ लाख में)	अंशों की संख्या	(₹ लाख में)
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	**18,34,72,737**	**18,34,727.37**	17,52,31,405	17,52,314.05
वर्ष के दौरान निर्गत अंश–नवीन निर्गमन	**1,51,99,845**	**1,51,998.45**	82,41,332	82,413.32
वर्ष के अंत में बकाया अंश	**19,86,72,582**	**19,86,725.82**	18,34,72,737	18,34,727.37

(ब) समता अंशों में सन्निहित शर्त/अधिकारः

(i) कम्पनी में केवल एक श्रेणी के समता अंश है जिसका सममूल्य ₹ 1000 प्रति अंश है।

(ii) 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में, कम्पनी द्वारा 15199845 अंश निर्गत किये गये हैं।

(iii) 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में, भारी संचयी हानियों के कारण निदेशक मण्डल द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

(स) 5% से अधिक अंश धारण करने वाले प्रत्येक अंशधारक द्वारा धारित अंशों का विवरणः

अंश धारक का नाम	अंशों की संख्या	% धारण	अंशों की संख्या	% धारण
माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार	**17,65,39,230**	**88.86%**	16,13,39,385	87.94%
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि॰	**2,21,32,752**	**11.14%**	2,21,32,752	12.06%

(द) प्रवर्तकों की अंशधारिताः
वर्ष के अन्त में प्रवर्तकों द्वारा धारित अंश

प्रवर्तकों के नाम	अंशों की संख्या	कुल अंश का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार	**17,65,39,230**	**88.86%**	9.42%
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि॰	**2,21,32,752**	**11.14%**	0.00%
कुल	**19,86,71,982**	**100.00%**	

अंश आवेदन धनराशि का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 को अंश आवेदन धनराशि	वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटन	31.03.2023 को अंश आवेदन धनराशि
अंश आवेदन धनराशि	**24,273.36**	**1,27,725.09**	**1,51,998.45**	**–**

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
टिप्पणी-'12' : गैर–चालू वित्तीय दायित्व–उधारियाँ		
सुरक्षित ऋण		
आवधिक ऋण		
अन्य से	**13,18,129.49**	13,89,678.11
(पीएफसी, आरईसी एवं अन्य एफआईसी योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के अन्य प्रभारों से संरक्षित)		
सुरक्षित ऋण		
आवधिक ऋण		
अन्य से	**0.00**	630.10
(उ०प्र० सरकार द्वारा उपरोक्त सभी ऋण प्रत्याभूतित हैं)		
उप–योग सुरक्षित/असुरक्षित ऋण	**13,18,129.49**	13,90,308.21
घटाया : दीर्घकालिक उधारियों की चालू परिपक्वता (सन्दर्भः अनुलग्नक–अ)	**1,26,025.45**	1,37,143.33
योग	**11,92,104.04**	12,53,164.88

1) उधार की शर्तों आदि का विवरण अनुलग्नक–अ में संलग्न किया गया है।

2) उधारियों को चुकता करने में हुई चूक का उल्लेख अनुलग्नक–ब पर संलग्न किया गया है।

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-III में यथा अपेक्षित ऋण की शर्तों आदि का प्रकटन

टिप्पणी '12' अनुलग्नक अ

(₹ लाख में)

ऋण	प्रतिभूति एवं गारण्टी का विवरण	ब्याज दर	चुकता करने के नियम	31.03.2022 को अवशेष (अ)	31.03.2022 को दीर्घकालिक उधारियों के लिए चालू परिपक्वता (ब)	31.03.2022 को दीर्घकालिक उधारी स=(अ–ब)	वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण (वि.व. 22-23) (द)	वर्ष के दौरान चुकता ऋण (वि.व. 22-23) (य)	31.03.2023 को अवशेष र=(अ+द–य)	31.03.2023 को दीर्घकालिक ऋणों के लिए चालू परिपक्वता (ल)	31.03.2023 को दीर्घकालिक ऋण व=(र-ल)
(अ) संरक्षित											
(i) पावर फाईनेन्स कारपोरेशन लि॰ (हाइपो)	पीएफसी योजना के अन्तर्गत लाईनों एवं उपकेन्द्रो के बंधक से संरक्षित	9.00% से 13.25%	चालीस से साठ समान त्रैमासिक किस्त	6,13,723.14	56,492.58	5,57,230.56	31,245.60	56,194.44	5,88,774.30	34,016.34	5,54,757.96
(ii) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. (पारेषण)	आरईसी योजना के अन्तर्गत लाईनों एवं उपकेन्द्रो के बंधक से संरक्षित	9% से 13%	दस समान वार्षिक किस्ते / एक सौ बीस समान मासिक किस्तों में	7,54,393.11	80,020.65	6,74,372.46	24,926.81	85,141,02	6,94,178.90	90,169.84	6,04,009.06
(iii) इण्डियन बैंक	इण्डियन बैंक योजना के अन्तर्गत लाईनों एवं उपकेन्द्रो के बंधक से संरक्षित	8.30%	एक सौ छप्पन समान मासिक किश्तों में	21,181.86	–	21,181.86	13,614.41	–	34,796.27	1,721.54	33,074.73
(iv) आईआरईडीए	आईआरईडीए योजना के अन्तर्गत लाईनों एवं उपकेन्द्रो के बंधक से संरक्षित	8.36%	एक सौ छप्पन समान मासिक किश्तों में	380.00	–	380.00	–	–	380.00	117.73	262.27
			योग [अ]- (i+iv)	13,89,678.11	1,36,513.23	12,53,164.88	69,786.82	1,41,335.46	13,18,129.47	1,26,025.45	11,92,104.02
(ब) असंरक्षित											
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. (यूपीपीसीएल)	उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित	10.11%	एक सौ अस्सी समान मासिक किस्ते	630.10	630.10	–	–	630.10	0.00	–	0.00
			योग [ब]	630.10	630.10	–	–	630.10	0.00	–	0.00
			महायोग (अ + ब)	13,90,308.21	1,37,143.33	12,53,164.88	69,786.82	1,41,965.56	13,18,129.47	1,26,025.45	11,92,104.02

ईएमआई–समान मासिक किस्त, ईक्युआई–समान त्रैमासिक किस्त, ईवाईआई–समान वार्षिक किस्त,

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-III में यथा अपेक्षित उधारी चुकता करने में चूक का प्रकटन

टिप्पणी '12' अनुलग्नक–ब

(₹ धनराशि में)

ऋण	पूर्नभुगतान की शर्तें				31.03.2022 को चुकता करने में चूक				31.03.2023 को चुकता करने में चूक			
	पुनर्संरचना तिथि	किस्ते	पुर्नभुगतान देयता	ब्याज की दर (%)	मूलधन	ब्याज	मूलधन में चूक इस तिथि से	ब्याज के लिए चूक इस तिथि से	मूलधन	ब्याज	मूलधन में चूक इस तिथि से	ब्याज के लिए चूक इस तिथि से
<u>संरक्षित</u>												
(i) पावर फाईनेन्स कारपोरेशन लि॰												
(ii) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि॰												
योग (अ)												
<u>असंरक्षित</u>												
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि॰ (पीसीएल)												
योग (ब)												
महायोग (अ+ब)												

शून्य

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी-'13' : गैर चालू देनदारियाँ –पट्टा देनदारियाँ				
आस्थगित आय		**4,474.14**		91.18
योग		**4,474.14**		91.18
टिप्पणी-'14' : गैर चालू प्रावधान				
उपार्जित अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान		**28,504.78**		27,713.80
उपादान के लिए प्रावधान (सीपीएफ कर्मचारी)		**14,868.30**		13,442.51
योग		**43,373.08**		41,156.31
टिप्पणी-'15' : आस्थगित कर देनदारियाँ				
शुद्ध आस्थगित कर देनदारियाँ		**11,803.09**		9,338.66
योग		**11,803.09**		9,338.66
डीटीए और डीटीएल का विवरण :				
आस्थगित कर संपत्तियां				
संपत्तियों की वहन राशि और कर आधार में अंतर	**–**		**–**	
भुगतान के आधार पर स्वीकार्य प्रावधान/व्यय	**2,764.33**		2,509.79	
अप्रयुक्त कर घाटा	**1,80,775.40**		1,66,080.92	
अप्रयुक्त कर जमा	**–**		–	
अन्य	**–**	**1,83,539.73**	–	1,68,590.71
आस्थगित कर देयताएं				
संपत्तियों की वहन राशि और कर आधार में अंतर	**1,95,342.82**		1,77,929.37	
अन्य	**–**	**1,95,342.82**	–	1,77,929.37
योग		**11,803.09**		9,338.66
टिप्पणी-'16' : चालू वित्तीय दायित्व–उधारियाँ				
दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वताए[1]				
सुरक्षित ऋण		**1,26,025.45**		1,36,513.23
असुरक्षित ऋण		**–**		630.10
योग		**1,26,025.45**		1,37,143.33

1 दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्वता का विवरण (सन्दर्भ अनुलग्नक–'अ') टिप्पणी संख्या 12 के साथ संलग्न किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण		**31.03.2023 को**		31.03.2022 को
टिप्पणी-'17' : वर्तमान देनदारियाँ –पट्टा दायित्व				
आस्थगित आय		**601.60**		6.05
योग		**601.60**		6.05
टिप्पणी-'18' : अन्य वित्तीय दायित्व				
<u>अर्जित ब्याज एवं उधार पर देय</u>				
अर्जित ब्याज परन्तु उधार पर देय नहीं		**2,927.36**		14,596.19
योग		**2,927.36**		14,596.19
टिप्पणी-'19' : अन्य चालू दायित्व				
पूंजीगत आपूर्ति / कार्यों हेतु दायित्व		**76,616.35**		1,19,614.49
अनुरक्षण एवं मरम्मत आपूर्ति / कार्यों हेतु दायित्व		**25,218.59**		13,105.80
कर्मचारियों से सम्बन्धित दायित्व		**11,510.55**		11,109.54
आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य से निक्षेप एवं प्रतिधारण		**1,41,893.59**		1,35,556.67
विद्युत वितरण निगमों के निक्षेप कार्य		**7,572.02**		11,984.50
विद्युतीकरण कार्यों हेतु निक्षेप		**1,93,623.14**		1,98,968.24
पीएसडीएफ के लिए निक्षेप (केन्द्र सरकार का अंशदान)		**14,821.85**		10,539.95
अन्तर निगमीय अवशेष		**38,036.60**		28,848.14
विविध दायित्व		**5,975.11**		16,970.71
व्ययों हेतु दायित्व		**5,334.01**		2,889.44
<u>यू.पी. पावर सेक्टर कर्मचारी ट्रस्ट सम्बन्धी दायित्व</u>				
भविष्य निधि दायित्व (मूल राशि)	**4,288.73**		3,825.21	
जोड़े : गैर प्रेषित अवशेष पर संचयी ब्याज प्रावधान	**10,840.02**		9,952.29	
	15,128.75		13,777.50	
जोड़े : पेन्शन एवं उपादान दायित्व	**24,785.43**	**39,914.18**	23,461.96	37,239.46
<u>उ.प्र.पा.का.लि. सी.पी.एफ. ट्रस्ट सम्बन्धी दायित्व</u>				
सीपीएफ दायित्व - (मूल अदत्त राशि)	**18,763.94**		17,271.06	
जोडे : गैर प्रेषित अवशेष पर संचयी ब्याज प्रावधान	**1,599.97**	**20,363.91**	1,286.88	18,557.94
योग		**5,80,879.90**		6,05,384.88
टिप्पणी-'20' : चालू प्रावधान				
उपार्जित अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान		**1,647.01**		1,956.13
उपादान के लिए प्रावधान (सीपीएफ कार्मिक)		**193.58**		174.93
योग		**1,840.59**		2,131.06

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
टिप्पणी-'21' : परिचालन से राजस्व		
<u>सेवाओं की बिक्री</u>		
पारेषण प्रभार	**3,41,419.14**	3,29,405.86
ओपेन एक्सेस प्रभार	**15,031.12**	11,415.08
उप–योग[1]	**3,56,450.26**	3,40,820.94
एसएलडीसी प्रभार[2]		
वार्षिक शुल्क	**183.00**	187.60
आवेदन शुल्क / संवर्तन शुल्क / एसएलडीसी प्रभार	**336.76**	842.32
उप–योग	**519.76**	1,029.92
ओ॰पी॰जी॰डब्ल्यू॰ फाइबर का किराया	**606.60**	–
प्रचालन से राजस्व (निवल)	**3,57,576.62**	3,41,850.86

1 विद्युत वितरण निगमों, केस्को, एनपीसीएल तथा राज्य के अन्दर पारेषण से सम्बन्धित पारेषण प्रभार माननीय उ.प्र. राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ दर ₹ 0.2421 प्रति किलोवाट घण्टा (01.04.2022 से 03.08.2022 तक) एवं ₹ 0.2465 प्रति किलोवाट घण्टा (04.08.2022 से 31.03.2023 तक)। वित्तीय वर्ष के दौरान पारेषित / चक्रीय ऊर्जा 137731.210456 एमयू. (पूर्व वर्ष-124074.640413 एमयू) थी।

अवधि	पारेषित ऊर्जा (केडब्लूएच)	दर	राशि
01.04.2022 से 03.08.2022	**54,14,74,06,532**	**0.2421**	1,31,090.87
सौर ऊर्जा पर पारेषण शुल्क @ सामान्य दरों का 50%	**15,34,57,374**	**0.1211**	185.76
यूपीईआरसी सीआरई विनियम, 2019 के विनियम 26 बी(iii) के अनुसार			
04.08.2022 से 31.03.2023	**78,08,27,25,028**	**0.2465**	1,92,473.91
सौर ऊर्जा पर पारेषण शुल्क @ सामान्य दरों का 50%	**33,34,09,123**	**0.1233**	410.93
यूपीईआरसी सीआरई विनियम, 2019 के विनियम 26 बी(iii) के अनुसार			
पूरक बीजक एवं अन्य एजेन्सीज	**5,01,42,12,399**		20,423.79
2021-22 के लिए ट्रु–अप	**–**		11,865.00
कुल	**1,37,73,12,10,456**		3,56,450.26

2 एस॰एल॰डी॰सी॰ के स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होने के फलस्वरूप कम्पनी द्वारा एस॰एल॰डी॰सी॰ के लेखे अलग से तैयार कराये जा रहे है। एस॰एल॰डी॰सी॰ से सम्बन्धित प्रभार का ब्यौरा निम्नवत हैः–

(₹ लाख में)

विवरण		**31.03.2023** को		31.03.2022 को
टिप्पणी-'22' : अन्य आय				
<u>ब्याज से आय :</u>				
सावधि जमा	**1.25**		0.06	
अन्य	**2,816.12**	**2,817.37**	1,139.00	1,139.06
<u>अनुरक्षण एवं शटडाउन प्रभार</u>		**2,828.96**		1,935.25
<u>अन्य गैर–परिचालन आय</u>				
ठेकेदारों/आपूतिकर्ताओं से आय		**5,421.30**		1,979.34
उपभोक्ता अंशदान संचय से आय		**20,361.00**		16,926.69
पर्यवेक्षण प्रभार		**5,162.81**		3,768.51
कार्मिकों से किराया		**29.89**		29.07
विविध प्राप्तियाँ		**1,615.22**		2,079.69
योग		**38,236.55**		27,857.61

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
टिप्पणी-'23' : कर्मचारी कल्याण व्यय		
वेतन एवं भत्ते	**38,126.24**	38,990.95
महंगाई भत्ता	**14,136.44**	10,488.34
बोनस/अनुग्रह	**306.16**	–
अन्य भत्ते	**2,373.68**	1,790.25
पेंशन एवं उपादान**1**एवं**2**	**4,794.71**	4,562.17
चिकित्सा व्यय (प्रतिपूर्ति)**3**	**262.08**	279.26
अर्जित अवकाश नकदीकरण**4**	**2,305.50**	9,326.14
क्षतिपूर्ति	**–**	7.53
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान	**4,014.69**	3,410.08
ट्रस्ट पर व्यय	**19.20**	49.79
कर्मचारी कल्याण व्यय	**4.88**	42.26
संयुक्त व्यय (उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा भारित)	**1,414.72**	2,555.01
उप–योग	**67,758.30**	71,501.78
घटायें : पूंजीकृत व्यय कार्य में स्थानांतरित किया गया	**25,628.24**	18,945.41
योग	**42,130.06**	52,556.37

1 चूंकि उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड में कर्मचारियों एवं अधिकारियों का आमेलन अभी तक उ०प्र० सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से अन्तिम नहीं किया गया है अतएव उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों में पेंशन एवं उपादान मद में किए जा रहे प्राविधान की अनुरूपता में पेंशन एवं उपादान मद में प्रावधान करने के लिए बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन दिनांक 09.11.2000 (उ०प्र०पा०का०लि० के निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकृत) को मानते हुए मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के योग पर क्रमशः 16.70% एवं 2.38% की दर से लेखों में प्रावधान किया गया है एवं तदनुसार कर्मचारियों, अधिकारियों के आमेलन की प्रक्रिया स्थगित रहने तक अग्रेतर उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नया बीमांकक मूल्यांकन कराये जाने की दशा में यथा आवश्यकतानुसार लेखों में प्रावधान किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

2 भारतीय लेखांकन मानक 19 की आवश्यकता के अनुसार, कम्पनी ने बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सी०पी०एफ० योजना द्वारा आवरित कार्मिकों की ग्रेच्युटी से उत्पन्न अपनी देयता को मापा और लेखांकन किया है।

3 चिकित्सा लाभ तथा अवकाश यात्रा रियायत का लेखांकन वर्ष में प्राप्त एवं अनुमोदित दावों के आधार पर किया गया है।

4 चालू वित्तीय वर्ष के लिए बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर बनाये गये उपार्जित अवकाश नकदीकरण (सेवानैवृत्तिक लाभ) हेतु प्रावधान सम्मिलित है।

(₹ लाख में)

विवरण		31.03.2023 को		31.03.2022 को
टिप्पणी-'24' : वित्तीय लागत				
(अ) <u>ब्याज व्यय</u>				
<u>दीर्घकालिक ऋण</u>				
पीएफसी	**52,790.91**		61,957.61	
घटाया : ब्याज में छूट	**275.57**		1,421.30	
	52,515.34		60,536.31	
घटाया : ब्याज में सहायिकी	**684.56**	**51,830.78**	3,702.86	56,833.45
आरईसी		**66,852.17**		80,812.37
इण्डियन बैंक		**2,420.22**		1,267.36
आईआरईडीए		**30.30**		–
(ब) <u>अन्य उधारी लागत</u>				
बैंक प्रभार		**6.41**		6.36
उप योग		**1,21,139.88**		1,38,919.54
घटायेः पूंजीकृत ब्याज/कार्यशील पूंजीगत कार्य को अन्तरण		**16,601.47**		17,079.54
योग		**1,04,538.41**		1,21,840.00

टिप्पणी-'25' : अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय

<u>स्थावर आस्तियों पर अवक्षयण एवं अपाकरण</u>		
भवन	**5,130.91**	4,829.17
अन्य जानपदीय कार्य	**461.81**	463.67
संयंत्र एवं मशीनरी	**87,878.70**	80,970.04
लाईन, केबिल नेटवर्क आदि	**87,808.86**	79,295.97
वाहन	**1.36**	1.87
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	**80.19**	66.56
सॉफ्टवेयर	**541.63**	120.82
कार्यालय उपस्कर	**114.78**	116.44
अन्य आस्तियाँ	**701.06**	756.92
योग	**1,82,719.30**	1,66,621.46

(₹ लाख में)

विवरण		31.03.2023 को		31.03.2022 को
टिप्पणी-'26' : प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय				
लेखा परीक्षक को भुगतान				
(अ) वैधानिक सम्प्रेक्षक				
सम्प्रेक्षा शुल्क	**17.70**		17.70	
यात्रा एवं अन्य खर्चे	**1.24**	**18.94**	2.81	20.51
(ब) अन्य सम्प्रेक्षक				
(आंतरिक सम्प्रेक्षा, लागत सम्प्रेक्षा				
कर सम्प्रेक्षा एवं सचिवीय सम्प्रेक्षा)				
सम्प्रेक्षा शुल्क	**147.45**		65.13	
यात्रा एवं अन्य खर्चे	**5.39**	**152.84**	0.28	65.41
विज्ञापन व्यय		**263.60**		318.01
संचार व्यय		**187.71**		223.42
परामर्श व्यय		**443.36**		63.97
टैरिफ मूल्यांकन और लाइसेंस शुल्क		**669.40**		640.31
विद्युत व्यय		**55.73**		206.63
मनोरंजन		**0.12**		–
न्यास पर व्यय		**1.20**		12.57
निगमित की समाजिक दायित्व		**133.27**		165.17
बीमा		**0.77**		1.49
जीपीएफ एवं सीपीएफ अवशेष पर ब्याज		**1,200.82**		1,210.49
विधिक व्यय		**184.20**		228.95
प्रशासनिक के लिए आउटसोर्स श्रमिक शक्ति		**2,151.34**		2,222.95
विविध व्यय		**376.41**		256.39
छपाई एवं लेखन सामग्री		**122.54**		124.76
दर एवं शुल्क		**213.86**		1,277.95
किराया		**2.79**		2.03
तकनीकी शुल्क एवं प्रोफेशनल प्रभार		**514.84**		182.12
यात्रा एवं अनुगमन		**726.56**		583.03
जल प्रभार		**34.37**		2.76
संयुक्त व्यय (यूपीपीसीएल द्वारा प्रभारित)		**–**		0.34
अन्य व्यय एवं हानियाँ		**94.60**		235.47
योग		**7,549.27**		8,044.73

(₹ लाख में)

विवरण		31.03.2023 को		31.03.2022 को
टिप्पणी-'27' : मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय				
संयंत्र एवं मशीनरी		**37,817.61**		32,248.93
भवन		**2,851.66**		1,454.76
अन्य जानपदीय कार्य		**190.68**		28.14
लाईन्स, केबिल नेटवर्क आदि		**6,084.24**		4,539.24
वाहन व्यय	**5,928.59**		1,675.62	
घटायाः विभिन्न पूंजीगत/ओ एण्ड एम	**5,928.59**		1,675.62	
कार्यों/प्रशासनिक व्ययों में अन्तरित				
संविदा कार्मिको पर व्यय	**4,880.11**		6,028.84	
घटायाः विभिन्न पूंजीगत तथा ओ एण्ड एम/	**4,880.11**		6,028.84	
प्रशासनिक व्यय में अन्तरित				
फर्नीचर एवं फिक्चर्स		**–**		16.19
साफ्टवेयर		**131.92**		164.73
कार्यालय उपकरण		**50.12**		54.58
योग		**47,126.23**		**38,506.57**

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
टिप्पणी-'28' : अशोध्य ऋण एवं प्रावधान		
अन्य के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण का प्रावधान	–	2,016.88
स्टॉक में भण्डार आदि के अप्रचलित होने पर हानि का प्रावधान	–	48.00
योग	–	2,064.88
टिप्पणी-'29' : असाधारण मदें		
आकस्मिकता के लिए प्रावधान–सीपीएफ और जीपीएफ ट्रस्ट	**2,479.98**	33,444.27
योग	**2,479.98**	33,444.27
टिप्पणी-'30' : अस्थगित कर		
अस्थगित कर व्यय / (आय)	**2,464.43**	12,308.42
योग	**2,464.43**	12,308.42
टिप्पणी-'31' : अन्य व्यापक आय		
मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुर्नवर्गीकृत नही किया जाएगा।		
बीमांकिक (लाभ) / हानि–सी.पी.एफ. कर्मचारी उपादान हेतु प्रावधान[1]	**(580.12)**	4,166.61
योग	**(580.12)**	4,166.61

टिप्पणी संख्या–32

दिनांक 31.03.2023 के तुलन पत्र एवं तद्दिनांक को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण के के साथ संलग्न तथा अंगभूत लेखों पर टिप्पणियाँ

1) (अ) उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि॰ (यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ अथवा 'कम्पनी') कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत में अधिवासित एवं गठित एक कम्पनी है एवं अंशों द्वारा सीमित है। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010 के माध्यम से कम्पनी को एक राज्य पारेषण उपयोगिता अधिसूचित किया गया हैं।

(ब) जब उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 293 दिनांक 16.05.2006 के अनुपालन में तत्कालीन उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (31.05.2004 को गठित) के पार्षद सीमा नियम के नाम और उद्देश्य वाक्य को 13.07.2006 को बदल दिया गया था, तब कम्पनी अस्तित्व में आयी। कंपनी ने 01.04.2007 से स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय शुरू किया।

(स) उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग–2, द्वारा अधिसूचना संख्या 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) योजना, 2010 के अधीन दिनांक 01.04.2007 से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ को अलग–अलग कम्पनी के रूप में क्रमशः थोक विद्युत क्रय/विक्रय एवं पारेषण कार्यों को अलग–अलग किए जाने के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 131 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) की धारा 23 के अधीन बनायी गई योजना के आंशिक उपान्तरण में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को पारेषण की गतिविधियाँ, आस्तियाँ, दायित्वों और सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित और निबन्धन एवं शर्तों की अवधारणा के लिए अन्तरण योजना जारी की गयी जिसके अनुसार पारेषण उपक्रम (उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰) में राज्य सरकार तथा/या उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जब तक अन्यथा विर्निदिष्ट न किया जाए, सम्पूर्ण आस्तियां, दायित्व व कार्यवाहियां अनन्तिम रूप से पारेषण उपक्रम में निहित होंगी। यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ ने 01.04.2007 से स्वतंत्र रूप से कार्य/परिचालन करना आरम्भ कर दिया है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अनुसार यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ एक राज्य पारेषण उपयोगिता है।

(द) उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग–2, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1529/24–पी–2–2015–एसए (218)–2014 लखनऊ, दिनांक 3 नवम्बर, 2015 से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) स्कीम, 2010 (अधिसूचना सं॰ 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010) के खण्ड–7 सपठित विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36, सन् 2003) की धारा 131 की उप धारा 4 और उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम,

1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) की धारा 23 की उप धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सम्पत्तियों, हितों, अधिकारों, दायित्वों, कार्मिकों तथा कार्यवाहियों के अंतरण के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010 की अनुसूची के स्थान पर अधिसूचना संख्या 1529/24–पी–2–2015–एसए (218)–2014, 3 नवम्बर, 2015 के साथ संलग्न अनुसूची के प्रतिस्थापन द्वारा इस अधिसूचना के माध्यम से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) स्कीम, 2010 की निबन्धन एवं शर्तों में उपान्तरण, फेरबदल और अन्यथा परिवर्तन करते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) स्कीम, 2010 सभी अभिप्रायों एवं प्रयोजनों के लिए यथा इंगित संशोधनों के साथ अन्तरण स्कीम को अन्तिम कर दिया गया है।

(य) उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग–2, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2974/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 133 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन 1999) की धारा 23 के अधीन बनायी गयी योजना के आंशिक उपान्तरण में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पारेषण उपक्रम के कार्मिकों एवं उनसे सम्बन्धित कार्यवाहियों के अन्तरण के प्रयोजनार्थ तथा उन निबन्धन एवं शर्तों जिन पर ऐसा अन्तरण किया जाना प्रभावी होगा को अवधारित करने के लिए अनन्तिम अन्तरण योजना जारी की गयी जिसमें अनन्तिम वर्गीकरण व अन्तरण, कार्मिकों के अन्तिम हस्तांतरण को उ॰प्र॰ सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना बाकी है।

2) स्थायी परिसम्पत्तियाँ को उपयोग से हटाये जाने/उपयोगी जीवनकाल समाप्त होने/अप्रयोज्य होने पर जबकि उनका ऐतिहासिक मूल्य ज्ञात न हो, ऐसी आस्तियों को अनुमानित मूल्य एवं अवक्षयण लागत के आधार पर लेखों में समायोजित/लेखांकित किया गया है।

3) सभी परिसम्पत्तियों, देनदारियों, व्यय और राजस्व को उस राशि पर दर्ज किया गया है जिस पर लेनदेन हुआ।

4) विदेशी मुद्रा में आय/व्ययः–

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अ) आयात का सीआईएफ मूल्य	–	110.12
ब) विदेशी मुद्रा में आय	–	–
ग) विदेशी मुद्रा में कोई व्यय		
यात्रा व्यय (यू॰एस॰ डालर में)	–	–
परामर्श प्रभार (यू॰एस॰ डालर में)	–	–
योग	**–**	110.12

5) चूंकि कम्पनी सैद्धान्तिक रूप से ऊर्जा के पारेषण का व्यवसाय कर रहा है और भारतीय लेखांकन मानक–108 के अनुसार अन्य कोई सूचनीय खण्ड नहीं है इसलिए, सेगमेन्ट रिपोर्टिंग पर भारतीय लेखांकन मानक–108 के अनुसार प्रकटन आवश्यक नहीं है। हांलाकि, निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटन किए जा रहे है :

अ) कंपनी एसएलडीसी का अलग से कार्य भी संभालती रही है। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 108/24–यू॰नी॰नी॰प्रा॰/22–525/2008 टी॰सी॰ दिनांक 22.07.2022 एसएलडीसी के अनुपालन में कंपनी की एसएलडीसी इकाई, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को कंपनी से अलग कर दिया गया है और एक नई कंपनी 'उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र लिमिटेड या यूपीएसएलडीसी लिमिटेड' 22.08.2022 से निगमित कर दी गई है, जिसका सीआईएन नंबर यू40106यूपी2022एसजीसी169330, पैन संख्या एएडीसीयू1676क्यू एवं टैन संख्या एलकेएनयू07835सी है।

तदनुसार, एसएलडीसी के कार्यों को भी नई पृथक इकाई, अर्थात् यूपीएसएलडीसी लिमिटेड को 22.08.2022 से उ॰प्र॰ सरकार की अधिसूचना संख्या 30/एक्सएक्स IV–यूएनएनपी–23–525–2008 दिनांक 24.05.2023 के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया। अधिसूचित स्थानांतरण योजना के अनुसार निम्नलिखित परिसंपत्तियां/देयताएं उप्रपाट्रांकालि से यूपीएसएलडीसी लिमिटेड को स्थानांतरित कर दी गई हैं:

(₹ वास्तविक में)

हस्तांतरित परिसंपत्तियाँ/देयताओं का विवरण	विवरण	धनराशि
संयंत्र और मशीन	90,21,710.45	
फर्नीचर और फिक्सचर	14,30,649.23	
कार्यालय उपकरण	58,08,636.92	
अन्य परिसंपत्तियाँ	54,75,442.95	
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ (सॉफ्टवेयर)	36,66,993.02	
भण्डार (पूंजी)	1,62,99,585.87	
हस्तांतरित कुल परिसंपत्तियाँ		**4,17,03,018.44**
अन्य गैर–वर्तमान देयताएँ	**4,17,03,018.44**	
हस्तांतरित कुल देयताएँ		**4,17,03,018.44**

एसएलडीसी के पृथक कार्य से लेकर उप्रपाट्रांकालि से यूपीएसएलडीसी कार्य के हस्तांतरण तक की गतिविधियों के लेन–देन को पहले ही टिप्पणी 19 में निर्दिष्ट किया जा चुका है।

ब) उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए स्पेयर फाइबर को पट्टे पर देकर व्यवसाय की एक नई लाइन शुरू की है। नए व्यवसाय से अर्जित आय और उससे संबंधित व्यय को कंपनी के लाभ और हानि खाते में उल्लिखित किए गए राजस्व और व्यय में शामिल किया गया है। इन्हें निम्नानुसार नीचे उद्धत एवं प्रकट किया गया है :

ओपीजीडब्ल्यू से संबंधित राजस्व और व्यय	धनराशि (₹)	टिप्पणी
फाइबर कलपुर्जों को पट्टे पर देने से राजस्व	6,06,59,707	वर्ष के लिए उपयुक्त किराया
ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क से संबंधित व्यय	3,47,59,658	आबंटित व्यय
वर्ष के लिए शुद्ध आय	**2,59,00,049**	

6) <u>पूँजीगत प्रतिबद्धता, सम्भाव्य दायित्व एवं सम्भाव्य परिसम्पत्तियां</u>

(निर्धारणीय तथा गैर प्रावधानित सीमा तक) (₹ लाख में)

	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
	सम्भाव्य दायित्व एवं पूँजीगत प्रतिबद्धता		
(i)	पूँजीगत खातों पर किये जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि जोकि उपलब्ध नहीं करायी गई	**4,32,418.88**	2,65,748.73
(ii)	कम्पनी के विरूद्ध अन्य दावे जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया	**2,630.16**	1,826.71
	योग	**4,35,048.64**	2,67,575.54
	सम्भाव्य परिसम्पत्तियां		
(i)	कम्पनी द्वारा दावा जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया*	**2,32,646.00**	1,31,681.00
(ii)	अन्य	–	–
	योग	**2,32,646.00**	1,31,681.00

*ट्रू–अप आदेशों में राजस्व अंतराल (वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए ₹ 717.34 करोड़, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 599.47 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 1,009.65 करोड़) की अस्वीकृति के विरूद्ध अपील दायर की गई है एवं माननीय एपीटीईएल के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए लम्बित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य दायित्व, निगम के विरूद्ध कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये दावों के साथ–साथ अन्य पक्षों द्वारा दायर दावों, यदि कोई हों, जिनका अभिनिश्चय न किया जा सके, का निस्तारण उनके उद्भूत होने पर किया जाता है।

7) एमएसएमईडी एक्ट, 2006 से आवरित इकाईयों के भुगतान हेतु लम्बित दायित्वों एवं उस पर ब्याज हेतु अधिनियम की धारा 22 में दिए गए प्रावधान के अनुपालन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी न तो यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ की क्षेत्रीय इकाईयों और न ही अधिनियम से आवरित सम्बन्धित पक्षों द्वारा सूचित है।

8) <u>सम्बन्धित पक्ष की सूचना</u> :–

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक–24 के अनुसार, कम्पनी से सम्बन्धित पक्ष निम्नलिखित है–

(क) <u>सम्बन्धित पक्षों की सूचना (शीर्ष प्रबंधन कार्मिक) :</u>

1. शीर्ष प्रबंधन कार्मिक एवं उनके सम्बन्धी :

नाम	पदनाम	कार्यकाल (वित्तीय वर्ष 20232–23 के लिए)	
		नियुक्ति	सेवानिवृत्ति / समाप्ति 31.03.2023 को
श्री एम॰ देवराज	अध्यक्ष	02.02.2021	कार्यरत
श्री गुरू प्रसाद पोराला	प्रबन्ध निदेशक	23.07.2021	कार्यरत
श्री पंकज कुमार	प्रबन्ध निदेशक, यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ एवं नामित निदेशक	10.03.2021	कार्यरत
श्री अनिल जैन	निदेशक (वाणिज्यिक एवं नियोजन)	06.05.2020	12.04.2022
श्री राजीव कुमार	निदेशक (वाणिज्यिक एवं नियोजन)	12.07.2022	कार्यरत
श्री अनिल जैन	निदेशक (कार्य और परियोजना)	11.01.2021	12.04.2022
श्री राजीव कुमार	निदेशक (कार्य और परियोजना)	01.07.2022	कार्यरत
श्री अमरेन्द्र सिंह कुशवाहा	निदेशक (एस॰एल॰डी॰सी॰)	02.02.2021	14.10.2022
श्री पियूष गर्ग	निदेशक (एस॰एल॰डी॰सी॰)	25.11.2022	कार्यरत
श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)	22.05.2021	01.09.2022
श्री निधि कुमार नारंग	निदेशक (वित्त)	23.09.2022	कार्यरत
श्री अमरेन्द्र सिंह कुशवाहा	निदेशक (आपरेशन)	09.10.2021	21.05.2022
श्री पियूष गर्ग	निदेशक (आपरेशन)	21.05.2022	कार्यरत
श्री अजय कुमार पुरवार	निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)	12.10.2021	01.07.2022
श्री राकेश प्रसाद	निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)	01.07.2022	कार्यरत
श्री नील रतन कुमार	नामित निदेशक, उ॰प्र॰ सरकार (वित्त)	06.10.2010	कार्यरत
श्री टीएससी बोस	नामित निदेशक (आर॰ई॰सी॰ लि॰)	18.06.2020	कार्यरत
श्री रवीन्द्र नागपाल	नामित निदेशक (पावर ग्रिड)	18.11.2021	कार्यरत
श्री जावेद असलम	निदेशक (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो)	09.09.2020	कार्यरत
श्री अनिल कुमार	नामित निदेशक, उ॰प्र॰ सरकार (ऊर्जा विभाग)	30.04.2022	28.06.2022
श्री अनुपम शुक्ला	नामित निदेशक, उ॰प्र॰ सरकार (ऊर्जा विभाग)	11.08.2022	कार्यरत
श्रीमती सी॰ इन्दुमती	नामित निदेशक, उ॰प्र॰ सरकार	28.10.2022	कार्यरत
श्री श्रवण बब्बर	मुख्य वित्तीय अधिकारी	11.08.2022	कार्यरत
श्री ऋषि टण्डन	कम्पनी सचिव	06.02.2020	कार्यरत

(ख) <u>सम्व्यवहारों :–</u> (धनराशि ₹ में)

विवरण	2022-23	2021-22
	उपरोक्त (क) (I) में सन्दर्भित	उपरोक्त (क) (I) में सन्दर्भित
वेतन एवं भत्ते	**2,12,32,687**	1,83,23,159
ग्रेच्युटी/पेन्शन/भविष्य निधि के लिए अंशदान	**12,51,331**	8,52,503
निदेशकों से प्राप्य ऋण	–	–

(ग) अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य निदेशक जिनकी नियुक्ति/मनोनयन उ०प्र० शासन द्वारा उ०प्र०पा०का०लि० के लिए किया गया है तथा उनके पास उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० का अतिरिक्त कार्यभार भी है, ने अपना पारिश्रमिक पात्रतानुसार उ०प्र०पा०का०लि० से प्राप्त किया है।

(घ) कम्पनी के पास राज्य नियन्त्रित उद्यम के अतिरिक्त कोई अन्य सम्बन्धित पार्टी उद्यम नहीं है जिस कारण भारतीय लेखांकन मानक–24 "रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर" के प्रस्तर–25 के दृष्टिगत विवरणों/सम्व्यवहारों का प्रकटीकरण नहीं किया है, जो कि राज्य नियंत्रित उद्यमो को अन्य सम्बन्धित पक्ष जो स्वयं भी राज्य नियंत्रित उद्यम है के साथ सम्व्यवहारों के प्रकटन से मुक्त करता है। ऐसे राज्य नियंत्रित उद्यमों (आमतौर पर डिस्कॉम्स) के साथ लेन–देन की प्रकृति में व्यापार के सामान्य अवधि में व्हीलिंग शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल है।

9) ₹ 7,182.75 करोड़ अनवशोषित मूल्यह्रास से उत्पन्न अप्रयुक्त कर हानियों के प्रति अस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी गई है। उपरोक्त के दृष्टिगत चालू वर्ष के लिए लेखांकन लाभ और भविष्य के लिए बढ़ी हुई टैरिफ दर को देखते हुए, यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध ऐसे अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

10) आधारभूत एवं तनुकृत प्रति अंश आय को लाभ–हानि खाते में भारतीय लेखांकन मानक–33 (ईपीएस) के अनुसार दर्शाया गया है। आधारभूत प्रति अंश आय हेतु वर्ष में कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि को समता अंशों के भारित औसत से विभाजित करके आगणित किया गया है। प्रति समता अंश तनुकृत आय की गणना करने में समता अंशों की संख्या निर्धारित करने के लिए अंश आवेदन धनराशि (आबंटन हेतु लम्बित) सम्मिलित हैं।

विवरण	31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(I) <u>आधारभूत ई०पी०एस०</u>	(धनराशि ₹ में)	(धनराशि ₹ में)
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कर के पश्चात लाभ (अ)	**6,805**	(65,678)
औसत भारित समता अंशों की संख्या (ब)	**18,96,67,307**	17,87,16,654
आधारभूत प्रति अंश आय उपार्जन (अ/ब)	**3.59**	(36.75)
अंकित मूल्य प्रति अंश	**1,000**	1,000
(II) <u>तनुकृत ई०पी०एस०</u>		
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कर के पश्चात लाभ (अ)	**6,805**	(65,678)
औसत भारित समता अंशों की संख्या (ब)	**19,21,90,244**	18,18,35,796
तनुकृत प्रति अंश आय (अ/ब)	**3.59**	(36.75)
अंकित मूल्य प्रति अंश	**1,000**	1,000

11) मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के लिए भारतीय लेखांकन मानक–19 के अनुसार ग्रेच्युटी प्रकटीकरण विवरण।

(धनराशि ₹ में)

अ) वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान सेवा लागत	**10,79,08,446**	11,08,15,635
शुद्ध ब्याज लागत	**10,02,24,381**	5,53,29,078
मान्य व्यय	**20,81,32,827**	16,61,44,713

ब) वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ एवं हानि खाते के बाहर ओसीआई में मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक राशि	–	–
बीमांकिक (लाभ)/देयताओं पर हानि	**(5,80,11,448)**	41,66,60,581
बीमांकिक (लाभ)/सम्पत्ति पर हानि	–	–
अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय ओसीआई में स्वीकृत	**(5,80,11,448)**	41,66,60,581

स) तुलन–पत्र में स्वीकृत राशि

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य)	**(1,50,61,88,435)**	(1,36,17,44,309)
अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	–	–
शुद्ध दायित्व	**(1,50,61,88,435)**	(1,36,17,44,309)
परिसम्पत्ती हद के कारण राशि की पहचान नहीं की गई	–	–
तुलन–पत्र में स्वीकृत निवत (दायित्व)/परिसम्पत्ति	**(1,50,61,88,435)**	(1,36,17,44,309)

नकदीकरण अवकाश

अ) वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय।

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान सेवा लागत	**9,52,56,749**	9,83,87,741
शुद्ध ब्याज लागत	**21,83,70,632**	15,17,22,626
शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(8,31,18,034)**	68,21,68,266
मान्यता प्राप्त व्यय	**23,05,09,347**	93,22,78,633

ब) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य)	**3,01,51,78,300**	2,96,69,92,286
अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**–**	–
शुद्ध दायित्व	**3,01,51,78,300**	2,96,69,92,286
परिसम्पत्ति सीमा के कारण राशि की पहचान नहीं की गई	**–**	–
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल (देयता)/परिसम्पत्ति	**3,01,51,78,300**	2,96,69,92,286

12) प्रावधानों में संचालन का प्रकटन :

(धनराशि ₹ लाख में)

विवरण	प्रावधानों का संचलन			
	01.04.2022 को अवशेष	वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	वर्ष के दौरान समायोजित किये गए प्रावधान	31.03.2023 को अवशेष
संदिग्ध प्राप्यों हेतु प्रावधान	187	0	0	**187**
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान– ग्राहको से बकाया	1,962	0	0	**1,962**
सी॰डब्ल्यू॰आई॰पी॰ हानि हेतु प्रावधान (परित्याग या अन्यथा के कारण)	254	0	0	**254**
आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान (पूंजीगत)	186	0	0	**186**
योग	2,589	0	0	**2,589**

13) व्यापार प्राप्य बढ़ने की अनुसूची

(धनराशि ₹ में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह–1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य उचित माना जाता है	19,13,15,39,191	14,19,46,79,296	30,36,75,40,619	3,17,64,26,999	–	66,87,01,86,105
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	19,61,59,761	19,61,59,761
योग	**19,13,15,39,191**	**14,19,46,79,296**	**30,36,75,40,619**	**3,17,64,26,999**	**19,61,59,761**	**67,06,63,45,866**

14. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के अनुसार अतिरिक्त नियामक जानकारी:

ए) **एक अचल संपत्ति जो कंपनी के नाम पर नहीं है।**

सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित होते हैं) कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं।

बी) प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत परिभाषित) को व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम नहीं दिए जाते हैं।

सी) सभी चल रहे पूंजीगत कार्यों का आयुवार विवरण उपलब्ध न होने के कारण सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल का खुलासा नहीं किया जा सका।

डी) वित्तीय वर्ष के अंत तक बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (संशोधित) और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ई) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान मौजूदा परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है।

एफ) कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

जी) कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अन्तर्गत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

एच) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान वैधानिक अवधि के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के साथ शुल्क या शुल्क की संतुष्टि दर्ज की है।

आई) अनुपात

विवरण	मीटर	भाजक	31 मार्च, 23 को	31 मार्च, 22 को	अन्तर	अन्तर के लिए कारण > 25%
वर्तमान अनुपात	स्टॉक (भंडार और अतिरिक्त)+ व्यापार प्राप्य+ नकद और नकद समतुल्य+अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	उधार+पट्टा देनदारियाँ+ अन्य वित्तीय देनदारियाँ+ अन्य वर्तमान देनदारियाँ+ प्रावधान	1.34	1.25	7%	–
ऋण समता अनुपात	गैर–वर्तमान उधार +वर्तमान उधार +गैर चालू पट्टा+ दायित्व+वर्तमान पट्टा दायित्व	भुगतान की गई पूंजी+अंश आवेदन आवंटन के लिए लंबित धन+निःशुल्क आरक्षित राशि+ प्रतिधारित आय	0.72	0.81	–11%	–
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ+ ब्याज+मूल्यह्रास और परिशोधन+ असाधारण वस्तुएँ	ब्याज+मूलधन चुकौती और गैर चालू उधार	1.11	0.66	68%	असाधारण मदों में कमी तथा शुद्ध लाभ/हानि में वृद्धि
समता* पर वापसी	ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ	समता	0.00	–0.04	100%	शुद्ध लाभ/हानि में महत्वपूर्ण परिवर्तन
आवर्त स्टॉक अनुपात	संचालन से राजस्व	औसत स्टॉक	2.09	2.22	–6%	–
व्यापार प्राप्य आवर्त अनुपात	संचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	0.53	0.52	2%	–

शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	संचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	1.48	1.84	–20%	–
शुद्ध लाभ अनुपात	ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ	संचालन से राजस्व	0.02	–0.19	111%	शुद्ध लाभ/हानि में महत्वपूर्ण परिवर्तन
नियोजित पूंजी अनुपात पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पहले लाभ	चुकता पूंजी+ शेयर आवेदन आवंटन के लिए लंबित धन+ निःशुल्क आरक्षित राशि+गैर चालू उधार+गैर चालू पट्टा दायित्व+ चालू उधार+ आस्थगित कर देनदारियां	3.51%	1.81%	94%	शुद्ध लाभ/हानि में महत्वपूर्ण परिवर्तन

*समता पर रिटर्न और शुद्ध लाभ अनुपात की गणना ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ के रूप में नहीं की जाती है।

**इन्वेंटरी टर्नओवर, व्यापार देयताएँ और निवेश पर रिटर्न अनुपात लागू नहीं है।

***व्यापार देय और निवेश पर रिटर्न अनुपात लागू नहीं है।

जे) कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो खातों के लेखों में दर्ज नहीं किया गया और आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या उद्घटित किया गया हो।

के) <u>कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व</u>

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	व्यय की गई राशि	साल के अंत में कमी	पिछले वर्षों की कुल कमी	कमी के कारण	सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति
133.26	132.86	–	–	–	क्रीड़ांगण का नवीकरण, आईसीटी प्रयोगशाला और स्वास्थ्य ए॰टी॰एम॰ का निर्माण तथा वाटर कूलर, एक्वागार्ड और लाईट की स्थापना।

वित्त वर्ष 2021–22 में सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई ₹ 40,000 की अतिरिक्त राशि को अगले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सीएसआर दायित्वों (यदि कोई हो) के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

एल) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

एम) 'अतिरिक्त नियामक जानकारी' के खंड (ii), (iii), (iv) और (xiii) हमारे मामले में लागू नहीं हैं।

15) वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त ₹ 2,42,73,36,000 के अंश आवेदन राशि के प्रति समता अंश वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित किये गये है।

16) i) कम्पनी ने राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/कम्पनियों को निम्नलिखित भूमि हस्तगत की है :

अ) ताजमहल ईस्ट गेट रोड, आगरा में स्थित पर्यटन विभाग को मुगल संग्रहालय के निर्माण के लिए 5.9 एकड़ भूमि,

ब) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 132/33 केवी जीआईएस उपकेन्द्र, नीबू पार्क, लखनऊ में स्थित 993 वर्ग मीटर भूमि,

स) पर्यटन विभाग, इटावा को 2.2250 हेक्टेयर भूमि का भौतिक कब्जा।

ii) कम्पनी ने उपयोग के अधिकार के आधार पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 132 केवी एसजीपीजीआई उपकेन्द्र पर स्थित 2380 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराई है।

17) अंतर कम्पनी अवशेषों में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों से देय ₹ 517 करोड़ और ₹ 137 करोड़ प्राप्य की राशि शामिल है। उपर्युक्त शेष राशि अंतरों के समाधान के अधीन है, जो एक सतत प्रक्रिया है और इसका लेखा–जोखा तक किया जाता है जब किसी भी कम्पनी के लेखों में ऐसा पाया जाता है।

18) वि॰व॰ 2017–18 से सम्पूर्ण कम्पनी के आई॰यू॰टी॰ सम्व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावशाली नई प्रणाली प्रारम्भ की गयी है। परिणामतः, वित्तीय वर्ष 2017–18 के पश्चात कोई भी असमाधानित सम्व्यवहार नहीं है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के पूर्व के अन्तर इकाई अवशेष अन्तरों के समाधान के अधीन है जो कि एक सतत प्रक्रिया है तथा इसका लेखांकन तभी किया जाता है जब कभी सम्बन्धित इकाइयों में से किसी एक की पुस्तकों में, जैसा मामला हो, यह पाया जाता है।

19) कंपनी में 01.09.2022 से ईआरपी सिस्टम लागू किया गया है। एसएपी (ईआरपी) के सभी पांच मॉड्यूल, अर्थात, वित्तीय लेखांकन और नियंत्रण (एफआईसीओ) मॉड्यूल, मानव संसाधन (एचआर) मॉड्यूल, सामग्री प्रबंधन (एमएम) मॉड्यूल, परियोजना प्रणाली (पीएस) मॉड्यूल और प्लांट रखरखाव (पीएम) मॉड्यूल उपरोक्त तिथि से कार्यात्मक हैं। चूंकि ईआरपी को वर्ष के मध्य में क्रियान्वित किया गया है एवं ईआरपी पर माइग्रेट किए गए कट ओवर डेटा का आकार भी महत्वपूर्ण है, इसलिए माइग्रेट किए गए डेटा की समीक्षा वर्ष के अंत में भी जारी थी और इसमें उचित समय लगना चाहिए था। वित्तीय वर्ष के अंत में इसके कार्यान्वयन के बाद ईआरपी परियोजना अभी भी अपने स्थिरीकरण चरण में थी। उपरोक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, परिणामों की तुलना और सामंजस्य के लिए ईआरपी के साथ–साथ पूर्ववर्ती लागू प्रणाली पर भी समानांतर रूप से अभिलेख तैयार किए गए हैं। चूंकि कम्पनी, जो कभी किसी ईआरपी प्रणाली पर नहीं थी, ने ईआरपी के सभी मॉडयूलों को सीधे लागू किया हैं, इसलिए कार्यान्वयन, स्थितिकरण और परिणामों की तुलना में लगने वाला समय उचित है।

20) यूपी पावर कॉरपोरेशन सीपीएफ ट्रस्ट और यूपी स्टेट पावर सेक्टर एम्प्लॉइज ट्रस्ट द्वारा डी॰एच॰एफ॰एल॰ की सावधि जमा में किए गए कर्मचारी सेवानिवृत्ति निधि योगदान के निवेश के कारण संभावित हानि के विरूद्ध ₹ 24.80 करोड़ का प्रावधान लेखों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के मद्देनजर किया गया है।

21) कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 2020-21 से आयकर अधिनियम, 1961 की नई धारा 115बीएए का विकल्प चुना है, जहां कम्पनी की कुल आय के सम्बन्ध में देय आयकर की गणना बाईस प्रतिशत की दर से लागू अधिभार और उपकर को जोड़कर की जायेगी, जबकि इस तरह के विकल्प को अपनाने से पहले निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कर की दर तीस प्रतिशत तथा लागू अधिभार और उपकर जोड़कर था।

22) पूर्व वर्ष के आंकड़ो का यथोचित पुनर्समुहीकरण/पुनर्वर्गीकरण/पुनर्आगणन किया गया है।

23) तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण तथा लेखों पर टिप्पणियों में दिखाए गए आंकडे, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, निकटतम लाख ₹ में पूर्णांकित किये गये है।

24) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ विशिष्ट रूप से पहली बार अभिग्रहण हेतु उपयुक्त रूप से संशोधित की गई है, जहाँ भी आवश्यक समझा गया है।

25) चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मण्डल द्वारा **27 सितम्बर, 2023** को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

—ह॰—
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰
(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—
(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–03473420

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

—ह॰—
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

—ह॰—
(पी॰ गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–07979258

—ह॰—
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स॰सं॰ 072529
फर्म पंजी॰सं॰ 003755सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 30.09.2023
यूडिन : 23072529बीजीटीएसजेक्यू9236

31.03.2023 को तुलनपत्र के आंकडों हेतु पुर्नस्थापन की अनुसूची 26

(₹ लाख में)

शीर्ष का नाम (परिसम्पत्ति / दायित्व)	31.03.2022 को अवशेष	मद की प्रकृति	विवरण	पुर्नस्थापित हेतु धनराशि	पुर्नस्थापित अवशेष
परिसम्पत्तियाँ					
1. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	23,77,239.70		–		
		प्रशासनिक एवं समान्य व्यय	(0.82)		
		ह्रास	(23,875.08)		
			–	(23,875.90)	23,53,363.80
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	6,95,180.88		–		
		अन्य आय	260.98		
		मरम्मत और अनुरक्षण	(86.79)		
		कार्मिक लागत	(805.97)		
		ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	(958.04)		
			–	(1,589.82)	6,93,591.06
अन्य अमूर्त सम्पत्ति	796.41		–		
			–	–	796.41
अन्य वित्तीय सम्पत्ति	4,064.39		–		
		मरम्मत और अनुरक्षण	(1.18)		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	0.02		
			–	(1.16)	4,063.23
अस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	–		–		
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	417.20		–		
			–	–	417.20
2. चालू परिसम्पत्तियाँ					
स्टॉक (भण्डार एवं संयंत्र)	1,47,224.96		–		
		मरम्मत और अनुरक्षण	311.95		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	(0.03)		
			–	311.92	1,47,536.88
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ					
व्यापारिक प्राप्तियाँ	6,75,295.87	विविध समायोजन	0.01		
			–	0.01	6,75,295.88
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	86,189.53		–		
		अन्य आय	3.16		
		मरम्मत और अनुरक्षण	14.60		
		कार्मिक लागत	(18.80)		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	(10.50)		
		ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	(0.06)		
			–	(11.60)	86,177.93
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	37,001.42	विद्युत बिक्री से राजस्व	(6.04)		
		अन्य आय	61.63		
		मरम्मत और अनुरक्षण	(40.25)		
		कार्मिक लागत	7.45		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	(2.39)		
		पुनर्वर्गीकरण	(733.62)	(713.22)	36,288.20

31.03.2023 को तुलनपत्र के आंकडों हेतु पुर्नस्थापन की अनुसूची 26

(₹ लाख में)

शीर्ष का नाम (परिसम्पत्ति / दायित्व)	31.03.2022 को अवशेष	मद की प्रकृति	विवरण	पुर्नस्थापित हेतु धनराशि	पुर्नस्थापित अवशेष
समता एवं दायित्व					
समता					
समता अंश पूंजी	18,34,727.37		–		
			–	–	18,34,727.37
अन्य समता (एसओई देखे)	1,19,092.41		–		
		अन्य आय	(4,874.00)		
		लाभ / (हानि) का शुद्ध पुर्नस्थापन	(14,427.73)	(19,301.73)	99,790.68
दायित्व					
1. गैर चालू दायित्व					
वित्तीय दायित्व					
उधारियाँ	12,53,164.87	विविध समायोजन	0.01		
			–	0.01	12,53,164.88
पट्टा दायित्व	91.18		–		
			–	–	91.18
प्रावधान	41,156.31		–		
			–	–	41,156.31
अस्थगित कर दायित्व	9,338.66	पुनर्वर्गीकरण	–	–	9,338.66
2. चालू दायित्व			–		
वित्तीय दायित्व					
उधारियाँ	1,37,143.34	विविध समायोजन	(0.01)		
			–	(0.01)	1,37,143.33
पट्टा दायित्व	6.05		–		
			–	–	6.05
अन्य वित्तीय दायित्व	20,061.67		–		
		ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	(5,465.48)		
			–	(5,465.48)	14,596.19
अन्य चालू दायित्व	6,06,497.44	विद्युत बिक्री से राजस्व	39.93		
		अन्य आय	0.02		
		मरम्मत और अनुरक्षण	(644.31)		
		कार्मिक लागत	143.26		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	68.14		
		ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	0.14		
		राजस्व खाते में अन्य नामे	13.88		
		पुनर्वर्गीकरण	(733.62)	(1,112.56)	6,05,384.88
प्रावधान	2,131.06		–		
			–	–	2,131.06
पुर्न स्थापन का शुद्ध प्रभाव			**–**	**(0.00)**	**(0.00)**

—ह॰—
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰
(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—
(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–03473420

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

—ह॰—
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

—ह॰—
(पी॰ गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–07979258

—ह॰—
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स॰सं॰ 072529
फर्म पंजी॰सं॰ 003755सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 30.09.2023
यूडिन : 23072529बीजीटीएसजेक्यू9236

जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

2/10, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010
फोन : मुख्यालय : लखनऊ : 9415003111
जेआईटीईएनडीआरएएफसीए@जीमेल.काम
एचटीटीपीः/ /सीएजेएएएसएसओसीआईएटीईएस.काम

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर प्रतिवेदन

अभिमत :

हमने उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों का सम्प्रेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समता में परिवर्तनों का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, संक्षिप्त में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ जिसमें छः पारेषण परिक्षेत्रों के लेखे, जो अन्य सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित हैं, सम्मिलित हैं।

हमारे अभिमत में एवं हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, परिमित अभिमत के आधार भाग में हमारी रिपोर्ट में वर्णित किये गये मामलों के प्रभाव को छोड़कर, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अन्तर्गत आवश्यक सूचना अपेक्षित ढंग से देते हैं तथा 31 मार्च, 2023 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, और इसके लाभ, अन्य व्यापक आय सहित, समता में परिवर्तन और इसके रोकड़ प्रवाह तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए को अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित (''इन्ड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते है।

अभिमत का आधार :

हम 'अनुलग्नक–I' में वर्णित प्रकरणों जिनका प्रभाव, व्यक्तिगत रूप से या समूह में, वित्तीय विवरणों के लिये महत्वपूर्ण किन्तु व्यापक नहीं है एवं उन प्रकरणों जिनमें हम पर्याप्त व उपयुक्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, पर ध्यानाकृष्ट करते हैं। इन प्रकरणों के सम्बन्ध में हमारा अभिमत परिमित है।

हमने एकल वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्दिष्ट सम्प्रेक्षा मानकों (एस॰ए॰) की अनुरूपता में सम्पन्न की है। इन मानको के अन्तर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को एकल वित्तीय विवरणों

के प्रतिवेदन में सम्प्रेक्षक के उत्तरदायित्व भाग में वर्णित किया गया है। हमारे वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा अधिनियम के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया (आई॰सी॰ए.आई॰) द्वारा निर्गत आचार संहिता के साथ–साथ नैतिकता की आवश्यकता के अनुसार हम कम्पनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा आइ॰सी॰ए॰आई॰ की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि जो सम्प्रेक्षा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है वह हमारे वित्तीय विवरणों पर सम्प्रेक्षा अभिमत का आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

विषय का महत्व अनुच्छेद :

- उ॰प्र॰ पावर कॉर्पोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट और यूपी स्टेट पावर सेक्टर एम्प्लॉइज ट्रस्ट ने अधिशेष संचित निधि को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सावधि जमा में निवेश किया। उक्त कंपनी के दिवालिया होने के कारण, इसमें निवेश की गई राशि, अप्राप्त ब्याज और उस पर अनुमानित ब्याज सहित नष्ट हो गई है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि डी॰एच॰एफ॰एल॰ में खोई गई राशि उ॰प्र॰ पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड डिस्कॉम, उ॰प्र॰ राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड और उ॰प्र॰ जल विद्युत निगम लिमिटेड से ट्रस्ट द्वारा उनके जीपीएफ/सीपीएफ अंशदान के अनुपात में प्राप्त की जाएगी। इस संदर्भ में, कंपनी ने ₹ 2,479.98 लाख का प्रावधान किया है और असाधारण मद के रूप में वित्तीय विवरण में प्रकटित किया है। इसे निदेशक मंडल द्वारा अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है ।
- कंपनी एसएलडीसी का अलग कार्य भी संभाल रही है। हालाँकि, उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र क्रमांक 108/24–उ.नि.नि.प्रा/22–525 टी.सी. दिनांक 22.07.2022 द्वारा आदेश के अनुपालन में एसएलडीसी, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एसएलडीसी इकाई, कंपनी से अलग करके एक नई कंपनी ''उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर लिमिटेड या यूपी एसएलडीसी लिमिटेड'' दिनांक 22.08.2022 से सीआईएन नं. यू40106यूपी2022एसजीसी169330, पैन नंबर एएडीसीयू1676क्यू और टैन नं. एलकेएनयू07835सी के साथ स्थापित की गई है। तदनुसार, एसएलडीसी के कार्यों को भी नई अलग इकाई, अर्थात् यूपी एसएलडीसी लिमिटेड को दिनांक 22.08.2022 से उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 30/XXIV–यूएनएनपी–23–525–2008 दिनांक 24.05.2023 के अनुसार अन्तरित कर दिया गया।

अधिसूचितअन्तरण योजना के अनुसार संपत्ति/देनदारियां यूपीपीटीसीएल से यूपी एसएलडीसी लिमिटेड को अन्तरित कर दी गई हैं।

इस मामले में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले :

सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले वे मामले हैं जो कि हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा में अत्यन्त महत्व के हैं। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपना अभिमत बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम अनुलग्नक–I में वर्णित मामलों को छोड़कर इन मामलों पर अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों तथा उस पर सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचनायें :

कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनायें तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल सूचनाएँ सम्मिलित हैं किन्तु वित्तीय विवरण तथा उस पर हमारा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को आवरित नहीं करता है तथा हम उस पर किसी तरह का निष्कर्ष तथा आश्वासन व्यक्त नही करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा के सम्बन्ध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना को पढ़ना है तथा, ऐसा करने में, विचार करना है कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणों या सम्प्रेक्षा के दौरान प्राप्त की गयी हमारी जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या वर्णित प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किये गये कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारित लोगों उस तथ्य को सूचित करने तथा परिस्थितियों की आवश्यकता तथा लागू कानूनों विनियमों द्वारा आवश्यक उचित कार्यवाही करने की आवष्यकता है।

निदेशक मण्डल प्रतिवेदन को लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। हमें इस सम्बन्ध में कुछ भी सूचित नहीं करना है।

वित्तीय प्रपत्रों हेतु प्रबन्धन तथा ''शासन हेतु अधिकृत'' का उत्तरदायित्व :

संलग्न वित्तीय विवरणों को कम्पनी के निदेषक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट प्रावधानानुसार इन वित्तीय प्रपत्रों को अधिनियम की धारा–133 सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित (''इन्ड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखीय सिद्धांतों की अनुरूपता में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय उपलब्धि, समता में परिवर्तन व रोकड़ प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते हुए तैयार कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक मण्डल का है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानानुसार कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं जानकारी, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन तथा क्रियान्वयन, ऐसे अनुमान एवं निर्णय जोकि उचित एवं युक्तियुक्त हो, हेतु समुचित लेखांकन अभिलेखों का रख–रखाव तथा सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते वित्तीय प्रपत्रों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु कि वे महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन, धोखाधड़ी अथवा भूल–चूक से मुक्त हो के सम्बन्ध में प्रासंगिक समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जोकि लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णताः सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से क्रियाशील हो की रचना, क्रियान्वयन तथा रख–रखाव सन्निहित हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कम्पनी की सतत व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता को निर्धारण, प्रकट करते हुये, जैसा लागू हो, व सतत व्यवसाय से सम्बन्धित मामले तथा लेखांकन के सतत व्यवसाय आधार का प्रयोग करने के लिये जब तक कि प्रबन्धन या तो कम्पनी के समापन या परिचालनों को समाप्त करने का इरादा रखती है या ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, प्रबन्धन उत्तरदायी है।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की निगरानी के लिये भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा के लिए सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व :

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्रता में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण, तथा एक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन निर्गत करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है किन्तु यह इस बात कि गारन्टी नहीं है कि अंकेक्षण प्रमापों के अनुसार सम्पादित की गई सम्प्रेक्षा सदैव मिथ्यावर्णन, जब यह विद्यमान हो, का पता लगायेगी। मिथ्यावर्णन धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकता है तथा यह महत्वपूर्ण माना जाता है यदि एकल रूप में या समग्रता में, इनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की यथोचित आशा हो।

अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट सम्प्रेक्षा मानकों के अनुरूपसम्प्रेक्षा के एक भाग के रूप मे,हम व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद को सम्प्रेक्षा में सर्वत्र बनाये रखते हैं। हम :–

- वित्तीय प्रपत्रों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों को चिन्हित व निर्धारित करते हैं, उन जोखिमों के लिये प्रति क्रियाशील सम्प्रेक्षा प्रक्रिया की अभिकल्पना व सम्पादन करते हैं तथा सम्प्रेक्षा साक्ष्य जो हमारे अभिमत को आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है, प्राप्त करते हैं। त्रुटि की अपेक्षा धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम ज्यादा बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जान बूझ कर की गई चूक, तोड़ मरोड़ व आन्तरिक नियन्त्रण की अवहेलना सम्मिलित है।
- ऐसी सम्प्रेक्षा प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, जो परिस्थितियों के लिये उपयुक्त है, करने के लिये सम्प्रेक्षा से सम्बद्ध आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कम्पनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अनुसार हम अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली व इन नियन्त्रणों की प्रभावशीलता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखा अनुमानों तथा सम्बन्धित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबन्धन द्वारा प्रयोग की जा रही लेखांकन के सतत् व्यवसाय आधार की उपयुक्तता तथा, प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो कम्पनी की सतत् व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता पर महत्वपूर्ण सन्देह पैदा कर सकती है, पर निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने सम्प्रेक्षक प्रतिवदेन में वित्तीय प्रपत्रों में सम्बन्धित प्रकटन की ओर ध्यानाकर्षण करने या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने अभिमत में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। हमारे निष्कर्ष हमारे सम्प्रेक्षा प्रतिवदेन की तिथि तक प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनायें व दशायें कम्पनी के सतत् व्यवसाय के रूप में चलते रहने की समाप्ति का कारण बन सकती हैं।
- प्रकटन समेत वित्तीय प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण, संरचना व विषय वस्तु तथा क्या वित्तीय प्रपत्र अन्तर्निहित सम्व्यवहारों एवं घटनाओं का इस ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें निष्पक्ष प्रस्तुति हो, का समग्र मूल्यांकन करते हैं।

''सारपूर्णता'' वित्तीय प्रपत्रों में मिथ्याकथनों का परिमाण है जो एकल रूप में या समग्रता में वित्तीय प्रपत्रों के यथोचित सुविज्ञ प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकने को संभाव्य बनाता हैं। हम मात्रात्मक महत्व व गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) अपने सम्प्रेक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाने व अपने कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करने में एवं (ii) वित्तीय प्रपत्रों में किसी चिन्हित मिथ्याकथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में।

हम उनके नियंत्रक प्रभारी से सम्बन्धित अन्य मामलों के साथ–साथ सम्प्रेक्षा हेतु नियोजित कार्यक्षेत्र एवं सम्प्रेक्षा का समय तथा हमारे द्वारा सम्प्रेक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी कोई अन्य महत्वपूर्ण कमी को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सम्प्रेक्षा तथ्यों का संवाद करते है।

हम नियंत्रण प्रभारियों को वक्तव्य प्रदान करते हैं कि स्वतंत्रता के सम्बन्ध में हमने प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी सम्बन्धों व अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिन पर हमारी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए जो उचित हो तथा जहाँ लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षा उपायों को संवादित करते है।

नियंत्रण प्रभारियों को सूचित किये गये मामलों में से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय प्रपत्रों की सम्प्रेक्षा में सर्वाधिक महत्व के थे एवं इसलिये प्रमुख मामले हैं। हम अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवदेन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या नियमावली मामलों के सार्वजनिक प्रकटन को न रोके या, जब अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियाँ हो, हम निर्धारित करते हैं कि एक मामले को हमारे प्रतिवदेन में नहीं सूचित किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों के पछाड़ने के रूप में यथोचित अपेक्षित होंगे।

अन्य मामले :

कम्पनी के वित्तीय प्रपत्रों में सम्मिलित प्रयागराज परिक्षेत्र, गोरखपुर परिक्षेत्र, लखनऊ परिक्षेत्र, मेरठ परिक्षेत्र, आगरा परिक्षेत्र और झांसी परिक्षेत्र में स्थित परिक्षेत्रों के वित्तीय प्रपत्रों/सूचनाओं की सम्प्रेक्षा हमने नहीं की। इन परिक्षेत्र के वित्तीय प्रपत्रों/सूचनाओं की सम्प्रेक्षा शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा की गई है जिनके प्रतिवेदन हमें प्रदान किये गये हैं, एवं हमारे अभिमत में जहाँ तक यह धनराशियां एवं प्रकटन परिक्षेत्र से सम्बन्धित हैं, केवल ऐसे परिक्षेत्र सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदनों पर आधारित हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन :

1. अपनी सम्प्रेक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि अधिनियम की धारा 197 सपठित अनुसूची V के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं चूंकि कम्पनी एक सार्वजनिक कम्पनी नहीं है जैसाकि अधिनियम की धारा 2(71) में परिभाषित है। तदनुसार, धारा 197(16) के अनुसार रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') द्वारा जैसाकि वांछित है हम ''अनुलग्नक–II'' में इस आदेश के प्रस्तर 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निर्देशों एवं उप–निर्देशों की आवश्यकतानुसार, हम ''अनुलग्नक III (ए) एवं III(बी)'' पर निर्देशों तथा उप निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत करते हैं।

4. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा जैसा वांछित है, हम अपने सम्प्रेक्षा के आधार पर लागू सीमा तक सूचित करते है कि :

अ) सिवाय उन मामलों के जो परिमित अभिमत के लिये आधार में वर्णित हैं, हमने सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त कर लिए जो हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे सम्प्रेक्षण के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।

ब) हमारे अभिमत में और ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अनुभाग में वर्णित मामलों को छोड़कर, कानून के अनुसार कंपनी द्वारा उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसाकि उन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है तथा हमारे सम्प्रेक्षा के प्रयोजन हेतु समुचित विवरणियाँ कम्पनी के परिक्षेत्र जिनका दौरा एवं अंकेक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है प्राप्त कर ली गयी है।

स) अधिनियम की धारा 143(8) के अन्तर्गत परिक्षेत्र के सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनी की परिक्षेत्रों के लेखों पर प्रतिवेदन हमें प्रेषित किये गये हैं तथा उन्हें इस प्रतिवेदन को तैयार करने में उचित रूप से विचारित किया गया है।

द) इस रिपोर्ट में व्यवहृत तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और समता में परिवर्तन का विवरण लेखा पुस्तकों से मेल खाते है।

य) सिवाय उन मामलों के जो ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अंश में वर्णित हैं, हमारे अभिमत में, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों ''इंड एएस'' सपठित कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 का अनुपालन करते हैं।

र) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 164 उपधारा (2) के अन्तर्गत निदेशकों की अयोग्यता से सम्बन्धित प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

ल) कम्पनी की वित्तीय सूचनाओं पर आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी रूप से परिचालन के सम्बन्ध में हमारे प्रतिवेदन के ''अनुलग्नक–IV'' में रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें।

व) अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिन्हें कम्पनी (सम्प्रेक्षा एवं सम्प्रेक्षक) नियमावली, 2014(यथा संशोधित) के नियम 11 के अनुसार सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किया जाना है, हमारे अभिमत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार–

i. ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अंश में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने इसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित वादों के प्रभाव को अपने 31 मार्च 2023 के वित्तीय विवरण में प्रकटित किया है।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएँ नहीं थी, जिनके सापेक्ष 31 मार्च 2023 तक कोई महत्वपूर्ण हानियाँ पूर्वानुमेय थी।

iii. 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कम्पनी द्वारा अंतरित किया जाना था।

iv. (ए) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, सिवाय जैसा कि लेखों पर टिप्पणी में वर्णित है, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं, विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थ'') सहित में कोई फंड अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ यह करेगा : कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दें या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई अन्य सुरक्षा प्रदान करे।

(बी) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि , अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, सिवाय जैसा कि लेखों पर टिप्पणी में वर्णित है, कंपनी को विदेशी संस्थाओं (''फंडिंग पार्टियों'') सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी यह करेगीः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') को उधार दे या निवेश करे या अंतिम लाभार्थियों से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।

(सी) निष्पादित सम्प्रेक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नीचे दिए गए अभ्यावेदन में उपरोक्त खंड (ए) और (बी) में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

v. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया गया है।

कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी

—ह॰—
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स॰सं॰ 072529
यूडीआईएन : 23072529बीजीटीएसजेक्यू9236

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 30.09.2023

अनुलग्नक–I

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसके भाग

ए. अंतर इकाई अन्तरण की राशि ₹ 25,002.42 लाख समाधान और अनुवर्ती समायोजन के अधीन हैं। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2017–18 के बाद से कोई भी असमाधानित लेन–देन नहीं हुआ है। (नोट–10 और नोट–32 का पैरा क्रमांक 18 देखें)।

बी. प्रगतिशील कार्य का आयुवार अनुसूची हमें नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (नोट क्रमांक 3 और नोट क्रमांक 32(14)(सी) देखें)।

सी. मेरठ परिक्षेत्र ने ₹ 9,37 करोड़ की संपत्ति का परित्याग कर दिया था तथा पारेषण और जानपद परिक्षेत्र के सामग्री रहतियाँ लेखों में परिसंपत्तियों को त्यागने के महीने तक मूल्यह्रास प्रभारित करने के बाद ₹ 5.59 करोड़ दिखाए गए। हमारी राय में ऐसी विधि परिसंपत्तियों की क्षति के भारतीय लेखा प्रमापों–36 और इन्वेन्ट्री के भारतीय लेखा प्रमापों–2 का उल्लंघन है।

डी. भारतीय लेखा प्रमापों–16 के अनुसार, कंपनी को प्लांट और मशीनरी के साथ–साथ इन्वेंट्री में रखे गए अनिवार्य पुर्जों का पूंजीकरण करने की आवश्यकता है जिनका जीवन संयंत्र के जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा और उन्हें मूल्यह्रास और पूंजीकृत करने की आवश्यकता है, लेकिन मेरठ क्षेत्र में ऐसी कोई प्रथा नहीं अपनाई जा रही है।

ई. सामग्री मूल्य ₹ 658.56 करोड़ (ठेकेदार–पूंजी) और ₹ 0.34 करोड़ (ठेकेदार–ओ एंड एम) ठेकेदारों को निर्गत की गई। ₹ 10.42 करोड के संबंध में कोई विवरण नहीं उपलब्ध कराये गये। कार्य आदेश की आवश्यकता के अनुसार ठेकेदार द्वारा रखी गई सामग्री की आवधिक पुष्टि, मिलान और जांच करने की मेरठ परिक्षेत्र में कोई उचित व्यवस्था नहीं है। समायोजन, यदि कोई हो, समाधान के समय उत्पन्न हो सकता है, इस स्तर पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

एफ. गोरखपुर परिक्षेत्र की विभिन्न इकाइयों द्वारा अनुपयोगी संयंत्र एवं मशीनरी, वाहन, फर्नीचर एवं फिक्सचर, कार्यालय उपकरण और लाइन्स केबल नेटवर्क की पहचान की जाती है लेकिन परिक्षेत्र/इकाइयों द्वारा ऐसे अनुपयोगी और अप्रचलित के लिए प्रावधान नहीं किया जा सका क्योंकि इन अप्रचलित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की विधि उपलब्ध नहीं है। इसलिए तलपट पर इसके प्रभाव को निश्चित नहीं किया जा सका।

जी. सामग्री रहतियाँ और पूंजीगत डब्ल्यूआईपी का मूल्यांकन लागत पर किया गया है, न कि लागत या वसूली योग्य मूल्य से कम पर, जैसा कि मानक के तहत निर्धारित किया गया है। सामग्री रहतियाँ में प्रयोग में न लाई जा रही परिसम्पत्तियां तथा पूंजी डब्ल्यूआईपी में पुरानी, परित्यक्त परियोजनायें जिन्हे अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया है, सम्मिलित हैं। ऐसी परिसम्पत्तियों/सामग्री के वसूली योग्य मूल्य में अनुमानित कमी का प्रावधान लेखों में नहीं किया गया है।

एच. भारतीय लेखा मानक 16 के पैरा 16 (बी) और पैरा 17 (ए) के अनुसार–कोई भी लागत जो सीधे तौर पर प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए संपत्तियों को स्थान और आवश्यक स्थिति में लाने'' पर आरोप्य हो को पूंजीकृत किया जाएगा। कंपनी की नीति के अनुसार, कर्मचारियों की लागत पारेषण कार्य (132 केवी और 220 केवी) पर 9% 400केवी पारेषण कार्यों पर 7%, 400केवी से अधिक पारेषण पर 5%, अन्य कार्यों पर 10%

और जमा कार्यों पर 15% तदर्थ आधार पर कुल व्यय पर पूंजीकृत की गई है। झाँसी परिक्षेत्र की उपरोक्त नीति भारतीय लेखा प्रमापों–16 के अनुपालन में नहीं है।

आई. ₹ 3,42,10,372/–की राशि कालातीत चेक के लिए देयता जारी किए गए लेकिन पिछले कई वर्षों से भुगतान के लिए बकाया चेक से संबंधित है। इन चेकों को भुनाने की वैधता समाप्त हो चुकी है। कई मामलों में बकाया चेक में फसल मुआवजे का भुगतान भी शामिल है। इस दायित्व को निपटाने के प्रयास नहीं किये गये।

जे. परिसंपत्तियों और इन्वेंटरी की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की नहीं गई है। प्रबंधन ने बताया है कि परिसंपत्तियों और इन्वेंट्री के अभिलेख उपकेन्द्रों/खण्ड स्तर पर, जहां परिसंपत्तियां और इन्वेंटरी भौतिक रूप से स्थित हैं,पर रखा जाता है। यह अभिलेख आंतरिक और साथ ही शाखा वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षित किये जाते हैं। परिसंपत्तियों और इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन नियमित अंतराल पर आवश्यक है।

के. हमारे समक्ष प्रस्तुत स्थाई संपत्ति रजिस्टर, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में नहीं है।

एल. प्रयागराज परिक्षेत्र ने बताया कि लेखा शीर्ष एजी–25 आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार को अग्रिम (पूंजी), एजी–26 आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम (ओ एंड एम), एजी–42 पूंजीगत आपूर्ति और कार्य के लिए दायित्व और एजी–43 सामग्री की आपूर्ति के लिए दायित्व–ओ एंड एम में पुराने शेष शामिल हैं, कई मामलों में विक्रेता/पार्टीवार विवरण द्वारा समर्थित नहीं हैं और संबंधित डेबिट/क्रेडिट शेष राशि के साथ परस्पर लिंक करने, लंबित समाधान और परिणामी समायोजन के अधीन हैं।

एम. प्रयागराज परिक्षेत्र ने बताया कि एजी–14 और एजी–25.7 लेखा शीर्ष के तहत ठेकेदारों के पास बकाया पूंजीगत डब्ल्यूआईपी और सामग्री की शेष राशि, अंतिम लेखांकन और लाइन/बे पुष्टिकरण के ऊर्जाकरण, अग्रिम और देनदारियों के साथ अंतर मिलान, समाधानव परिणामी समायोजन और पूंजीगत कार्यों को बंद करने के लिए लंबित है।

एन. प्रयागराज परिक्षेत्र ने बताया कि प्रतिधारण और मार्जिन मनी एजी–46.104 और बयाना मनी एजी–46.103 शीर्षों के अंतर्गत शामिल पुराने बकाये पुष्टिकरण और समायोजन के अधीन हैं।

ओ. प्रयागराज परिक्षेत्र ने बताया कि यूपीपीसीएल, केस्को, एमवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल और यूपीएसईबी से पृथक हो गईं अन्य संस्थाओं के पुराने बकाया लेखा शीर्ष एजी–46.98 के अंतर्गत ₹ 20.81 करोड़ के एकत्रित शुद्ध क्रेडिट को और अन्य प्राप्य लेखा कोड शीर्ष एजी–28.8 के तहत ₹ 22.26 करोड का शुद्ध डेबिट़ पुष्टि, परिणामी समाधान और अंतिम समायोजन के अधीन हैं।

कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी

–ह०–
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स०सं० 072529
यूडीआईएन : 23072529बीजीटीएसजेक्यू9236

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 30.09.2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–II

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के ''अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन'' खण्ड के अन्तर्गत अनुच्छेद 2 में सन्दर्भित

हमारी सम्प्रेक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i) ए) क) कम्पनी ने सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर का मात्रात्मक ब्यौरा एवं उनकी अवस्थिति इंगित करते हुए पूर्ण विवरण सहित उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।

ख) कम्पनी ने अमूर्त परिसम्पत्तियों का पूर्ण विवरण सहित उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।

बी) कम्पनी द्वारा सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है, अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ है कि क्या इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पाई गयी अथवा नही।

सी) कंपनी द्वारा धारित सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख का (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) वित्तीय विवरणों में प्रकटन कंपनी के नाम पर किया गया है।

डी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर या अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (i)(डी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ई) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियम के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (i)(ई) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ii) (अ) भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा कराया गया है। परिक्षेत्रों के सम्प्रेक्षको ने निम्नवत सूचित किया हैः–

लखनऊ परिक्षेत्र ने सूचित किया है कि संबंधित इकाई द्वारा मात्रा का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है किन्तु मूल्यांकन सहित इन्वेन्टरी के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं थे तथा वित्तीय वर्ष के अंत में इन्वेन्टरी के मूल्यांकन का मदवार विवरण उपलब्ध नहीं था।

इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई भौतिक विसंगतियां देखी गई थीं और यदि हां, तो क्या उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित प्रकार से निपटाया गया है।

बी) वर्ष के किसी भी समय के दौरान कम्पनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (ii)(बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iii) हमारे अभिमत में और कम्पनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझीदारी या कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 189 के अन्तर्गत अनुरक्षित रजिस्टर से आच्छादित

अन्य पक्षों को कोई ऋण संरक्षित या असंरक्षित, स्वीकृत नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (iii) (ए)(बी) व (सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अंतर्गत आच्छादित कोई लेन–देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

v) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जमा स्वीकार नहीं किया है या ऐसी कोई राशि नहीं है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 के प्रावधान, और कंपनियां (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के संदर्भ में जनता से जमा राशि मानी जाती है। तदनुसार, इस खण्ड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi) लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेख कम्पनी द्वारा बनाये गए हैं। हालाँकि नमूने के आधार पर हमने जाँच कर ली है।

vii) ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जीएसटी, पीएफ ईएसआई, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकाया, जैसा लागू हो, सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया, उपयुक्त प्राधिकारियो के पास जमा करने में कम्पनी आम तौर पर नियमित रही हैं। हालाँकि कुछ मामलों में थोड़ी देरी हुई है।

लखनऊ परिक्षेत्र ने सूचित किया है कि निम्नलिखित अविवदित वैधानिक बकाया भुगतान हेतु 6 माह से अधिक अवधि के लिये लम्बित हैं।

माँग की प्रकृति	**एजी कोड**	**31.03.2023 को भुगतान हेतु 6 माह से अधिक अवधि के लिये लम्बित निर्विवाद धनराशियां**
आय कर–टीडीएस (कर्मचारी)	44.401	319.00
आय कर–टीडीएस (ठेकेदार)	46.924	65385.79
आईजीएसटी–आरसीएम	46.9423	612.00
आईजीएसटी	46.9413	6309.56
डब्ल्यू सी टी– बिक्री कर	46.928	50577.20

बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित न्यायालय वादों को आकस्मिक दायित्व के रूप में दिखाया गया है। धनराशि वार ब्रेक अप तथा फोरम जहाँ विवाद लम्बित है, जैसा कि गोरखपुर परिक्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया है, निम्नवत हैः

इकाई का नाम	**धनराशियां**	**फोरम जहाँ विवाद लम्बित है**	**स्थिति**
ईटीडी–I बस्ती	32,49,201.00	इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज	वाद लम्बित
ईटीसीडी–आजमगढ़	29,87,847.79	इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज	वाद लम्बित

ईटीडी–आजमगढ़	50,04,552.00	₹ 6,66,602.00 निचली अदालत तथा ₹ 43,37,950.00 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज	वाद लम्बित
ईटीडी–देवरिया	2,30,42,520.00	निचली अदालत, देवरिया	वाद लम्बित
ईटीडी–I गोरखपुर	3,12,702.00	उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ	वाद लम्बित
ईटीडी–II गोरखपुर	2,14,392.00	₹ 1,34,307.00 उच्च न्यायालय व ₹ 80,085.00 निचली अदालत	वाद लम्बित

सी) लखनऊ परिक्षेत्र ने आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क, उपकर, जीएसटी या सेवा कर के संबंध में वैधानिक बकाया के विरुद्ध विवादों जो 31 मार्च 2023 तक किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं किए गए हैं का विवरण निम्नवत दिया है–

माँग की प्रकृति	**धनराशियां**
बिक्री कर	2,29,44,625.00
टीडीएस	35,26,000.00

viii) हमारी राय में और हमें प्रदत्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो लेखापुस्तकों में दर्ज न किया गया हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकटित किया गया हो, जो लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

ix) ए) हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने किसी ऋणदाता के अपने ऋणों या उधारी की अदायगी अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

बी) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर व्यतिक्रमी घोषित नहीं किया गया।

सी) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

डी) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई कोई ऐसी निधि नहीं है जिसका उपयोग लंबी अवधि उद्देश्य के लिए किया गया है।

ई) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों सहयोगी या संयुक्त उद्यम के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

एफ) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतिया गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं उठाया है।

x) ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेख सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं उठायी।

बी) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अंशो का कोई अधिमानी आवंटन या प्राईवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर नहीं किया है, न तो परिवर्तनीय ऋणपत्र पूर्णतः या अंशतः या वैकल्पिक परिवर्तनीय में परिवर्तित किये गये हैं। तदनुसार, आदेश के परिच्छेद 3(x)(बी) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi) ए) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, हमारी सम्प्रेक्षा द्वारा आवरित अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या प्रतिवेदित नहीं की गई है।

बी) वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में ऑडिटर द्वारा केंद्र सरकार के पास कोई भी रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी व्हिसिल–ब्लोअर शिकायतें प्राप्त नहीं की गई हैं;

xii) कंपनी निधि कम्पनी नहीं है और इस पर निधि नियम, 2014 लागू नहीं है, इसलिए यह परिच्छेद लागू नहीं है।

xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेनदेन अधिनियम की धारा 188 के अनुपालन में हैं। ऐसे संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण वित्तीय विवरणों आदि में प्रकट किया गया है; जैसा कि अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 24, कंपनियों में निर्दिष्ट संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत आवश्यक है।

xiv) ए) हमारी राय में और जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण में, कंपनी के पास अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है, जो इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

बी) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए कंपनी द्वारा अब तक आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी की गई रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv) कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर व हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत निर्दिष्ट निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। अतः आदेश केपरिच्छेद 3(xv) के प्रावधान लागू नहीं होते।

xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आई॰ए॰ के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के परिच्छेद 3(xvi) (ए)(बी) व (सी) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं है।

xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष और अंतिम वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

xviii) वर्ष के दौरान पूर्व वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई त्याग पत्र नहीं हुआ है। तदनुसार, इस परिच्छेद के अन्तर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं है।

xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर, आयुवार और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि कोई भी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि के अनुसार महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब भी वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं। हालाँकि, हमारे अनुसार यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाएगा जब भी वे देय हों।

xx) ए) चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) का दूसरा परंतुक, के अनुपालन में कोई भी अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह की अवधि के भीतर हस्तांतरित नहीं की है।

बी) किसी भी चालू परियोजना के अनुसरण में कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के तहत व्यय न की गई कोई धनराशि उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

xxi) आदेश के परिच्छेद 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के तहत उक्त परिच्छेद के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी

—ह०—
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स०सं० 072529
यूडीआईएन : 23072529बीजीटीएसजेक्यू9236

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 30.09.2023

अनुलग्नक III (अ)

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसके भाग।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार के निर्देश

क्र. सं.	निर्देश	अभ्युक्ति
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संशोधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाह्य लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, इंगित किया जा सकता है।	अगस्त 2022 तक इकाई स्तर पर लेखांकन प्रविष्टियाँ मैन्युअल तरीके से की गईं, प्रत्येक इकाई अपने लेखे कम्प्यूटरीकृत प्रारूप में तैयार कर रही थी और उसे परिक्षेत्र स्तर पर प्रस्तुत किया जाता था। परिक्षेत्र इकाई के दर्ज किए गए लेखों को प्रधान कार्यालय स्तर पर अग्रसारित करता था, लेकिन सितंबर 2022 से कंपनी ने अपने लेखों को अनुरक्षित करने के लिए सैप सॉफ्टवेयर स्थापित किया है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रत्यारोपण के बारे में इंगित किया जा सकता है।	वर्ष के दौरान ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए मौजूदा ऋण की पुनर्रचना एवं ऋण /कर्ज/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन करने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	मुख्यालय में प्राप्त निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग के लिए संबंधित परिक्षेत्र को प्रेषित किया जाता है। परिक्षेत्र सम्प्रेक्षकों ने इस संबंध में विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया है।

कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी

—ह०—
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स०सं० 072529
यूडीआईएन : 23072529बीजीटीएसजेक्यू9236

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 30.09.2023

अनुलग्नक III (ब)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट में सन्दर्भित एवं उसका भाग

विषय–कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के उपनिर्देश –

क्र सं.	उपनिर्देश	टिप्पणी
1.	कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त खाली भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु उठाए गए कदमों की पर्याप्तता। यदि भूमि अतिक्रमित, विवादित, उपयोग में नहीं लाई गई अथवा अधिशेष घोषित की गई है तो, विवरण उपलब्ध कराए।	कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार, उन्होने कोई भी भूमि को अधिशेष घोषित नहीं किया है तथा अग्रेतर सम्प्रेक्षाधीन वर्ष के दौरान इकाईयों द्वारा अतिक्रमण की कोई भी घटनाए सूचित नहीं की गयी है। कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु उचित कदम उठाए जा रहे हैं।
2.	नई परियोजनाएँ स्थापित करने में जहां कहीं भी भूमि अधिग्रहण सम्मिलित है, वहां पर क्या सभी प्रकरणों में देयों का त्वरित तथा पारदर्शी रूप से निस्तारण किया जा रहा है, पर प्रतिवेदन दें। विचलन के प्रकरणों में कृपया विस्तार पूर्वक विवरण दें।	भूमि अधिग्रहण नई परियोजनाओं की स्थापना में शामिल है और बकाया राशि का निपटान तेजी से किया जाता है। परिक्षेत्रीय सम्प्रेक्षकों द्वारा विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया गया था।
3.	क्या उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण हेतु उपलब्ध ऊर्जा के लिए ऊर्जा की निकासी हेतु प्रणाली सामंजस्यपूर्ण है? यदि नहीं, तो उत्पादन कम्पनी द्वारा किए गए हानि के दावे पर टिप्पणी दें।	विद्युत के निष्क्रमण की पारेषण प्रणाली राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण के लिए उपलब्ध विद्युत के अनुरूप है।
4.	वर्ष के दौरान कितनी पारेषण हानियां निर्धारित मानकों से अधिक रहीं तथा क्या उनका लेखा पुस्तकों में समुचित लेखांकन किया गया है अथवा नहीं?	उ॰प्र॰वि॰नि॰आ॰, एक राज्य आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.27% अनुमोदित की है। उ॰प्र॰पा॰ट्रा॰का॰लि॰ को वास्तविक अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.30% हुई जो कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अनुमोदित अन्तःराज्यीय पारेषण हानि की सीमा के लगभग अन्तर्गत है।
5.	क्या अन्य एजेन्सियों हेतु निर्मित तथा पूर्ण की गई आस्तियों को उन्हें हस्तगत कर दिया गया है तथा	संपत्ति का निर्माण कंपनी द्वारा लाभार्थी एजेंसी के अनुरोध पर किया जाता है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, यदि जमा

क्र सं.	उपनिर्देश	टिप्पणी
	उनका वित्तीय प्रपत्रों में समुचित लेखांकन किया गया है?	कार्य पूरा होने पर संपत्ति एजेंसी की संपत्ति बन जाती है, तो इसे एजेंसी को मद अथवा कार्यवार दिखाते हुए कुल व्यय के विवरण के साथ हस्तगत कर दिया जाता है। तथापि, यदि निवेश कार्यों से बनाई गई संपत्ति समझौते के संदर्भ में निगम की संपत्ति/परिसंपत्ति बन जाती है, तो इसे पूंजीकृत किया जाता है और सृजनात्मक संपत्ति के लिए योगदान के विरुद्ध निगम की पुस्तक में दर्ज किया जाता है।

कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी

—ह०—
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स०सं० 072529
यूडीआईएन : 23072529बीजीटीएसजेक्यू9236

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 30.09.2023

अनुलग्नक–IV

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (I) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ, हमने उस तिथि के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परिक्षित किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आई॰सी॰ए.आई॰) द्वारा निर्गत वित्तीय सूचना पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की सम्प्रेक्षा पर दिशा निर्देश वित्तीय लेखा टिप्पणी (गाइडेन्स नोट) में इंगित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक घटको को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना कसौटी पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने एवं रख रखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त वित्तीय नियन्त्रणों की रूप रेखा बनाना, कार्यान्वयन तथा रख रखाव सम्मिलित है जो कम्पनियों की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधडी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की यर्थाथता एवं पूर्णता तथा अधिनियम के अन्तर्गत जैसा आवश्यक है, ससमय विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित, कम्पनी के ं व्यवसाय के सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से क्रियाशील थे।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपना सम्प्रेक्षण भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्गत सम्प्रेक्षा के मानको के अनुसार सम्पादित किया जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है तथा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लागू सीमा तक आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की सम्प्रेक्षा पर प्रभावी है तथा आईसीएआई द्वारा निर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की सम्प्रेक्षण पर दिशानिर्देश लेख (गाइडेन्स नोट) के अनुसार। उन मानक एवं दिशानिर्देश लेख द्वारा अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करे तथा सम्प्रेक्षा की कार्ययोजना एवं निष्पादन उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित किया गया एवं बनाये रखा गया तथा क्या ऐसे नियन्त्रण सभी महत्वपूर्ण सम्बन्धों में प्रभावी रूप से परिचालित थे।

हमारे सम्प्रेक्षण में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन के प्रभाव के बारे में सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के हमारे सम्प्रेक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमजोरी विद्यमान होने सम्बन्धी जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर तैयार किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की कार्य साधकता एवं अभिकल्प का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया,

वित्तीय विवरणो की महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश हो की जोखिम के निर्धारण सहित, सम्प्रेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हम विश्वास करते है कि उपलब्ध किये गये सम्प्रेक्षा साक्ष्य कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर हमारे सम्प्रेक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण से तात्पर्य

कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य एक ऐसी सुदृढ़ प्रक्रिया तैयार किये जाने से है जिससे बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का प्रस्तुतीकरण एवं वित्तीय प्रपत्रों का सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में तैयार किया गया होने सम्बन्धी समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके। कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में वह नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है जो (1) अभिलेखों के रख रखाव से सम्बन्धित होती है, उचित विवरण में, सही ढंग से तथा काफी हद तक लेन देनों तथा कम्पनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। (2) पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है कि लेनदेनों को अभिलेखबद्ध किया जाता है जैसा कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की अनुज्ञा के लिए आवश्यक है तथा कम्पनी की प्राप्तियां एवं व्यय कम्पनी के प्रबन्धन तथा निदेशको के अधिकार पत्रों के अनुसार ही किये जा रहे है। (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं परित्यक्तता जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम या समय से पता लगाने के सम्बन्ध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हो सकता हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधियों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या अनुपालन की मात्रा के कारण नीतियाँ या प्रक्रियाएँ बिगड़ सकती हैं।

अभिमत

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हमारा अभिमत है कि कम्पनी सभी महत्वपूर्ण विषयों में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली रखती है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण 31.03.2023 को प्रभावी रूप से परिचालित थे, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा निर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की सम्प्रेक्षा पर मार्गदर्शीय टिप्पणी में वर्णित आन्तरिक नियन्त्रण के महत्वपूर्ण भागों को विचारित कर कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियन्त्रण कसौटी पर आधारित है सिवाय उन कमियो के जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक I व II पर वर्णित है।

अ) लखनऊ परिक्षेत्र

- परिक्षेत्र में भण्डार सामग्री के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।
- आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, कर्मचारियों और अन्य पार्टियों के साथ सुलह और/या शेष राशि की पुष्टि की कोई प्रणाली नहीं है और कुछ मामलों में लेखें प्रतिकूल शेष राशि को दर्शाते हैं। यह संभावित रूप से एमटीबी में आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, कर्मचारियों और अन्य पार्टियों के अवशेषों के मिथ्याकथन का परिणाम हो सकता है।
- कुछ खण्डों में, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं पर दिये गए उत्तर/कृत कार्रवाई अभिलेख में नहीं थी। हालाँकि 31 मार्च, 2022 तक कार्रवाई की गई।
- इकाई/क्षेत्र स्तर पर अंतर–इकाई खातों के समाधान की प्रणाली बहुत कमजोर है व इसमें सुधार की आवश्यकता है क्योंकि अवशेष का बड़ा भाग लम्बित है।

ब) गोरखपुर परिक्षेत्र

- परिक्षेत्र की सभी इकाइयों में बैंकिंग और नकद लेनदेन पर दोहरा नियंत्रण आवश्यक है,
- किसी विशेष तिथि पर रोकड़ शेष का पता लगाने के लिए रोकड़ बही के दैनिक नकद अवशेष की संस्तुति की जाती है।

स) प्रयागराज परिक्षेत्र

- अग्रिमों, देनदारियों, जमाओं, अंतर इकाई लेनदेन/अवशेष राशि से संबंधित उच्च मूल्य वाले पुराने शेषों से संबंधित आवधिक समीक्षा, लेखांकन और समायोजन।
- उच्च मूल्य के अनुबंध कार्यों की उचित स्तर पर समय–समय पर समीक्षा, पूर्ण लेकिन लंबित कार्यों को समय पर पूरा करना/बंद करना और अग्रिमों आदि के समायोजन के साथ संबंधित सामग्रियों के लिए लंबित लेखांकन।
- कच्चे माल और तैयार माल का भौतिक सत्यापन प्रबन्धन द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु अनुमोदित नीति उसी इकाई/विभाग के व्यक्तियों के स्थान पर एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।

कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी

–ह०–
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स०सं० 072529
यूडीआईएन : 23072529बीजीटीएसजेक्यू9236

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 30.09.2023

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार
(लेखापरीक्षा–II), उ॰प्र॰
''आडिट भवन'', टीसी–35-V-1, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

सत्यमेव जयते

पत्रांकः म॰ले॰ (ऑडिट–II)/ए॰एम॰जी॰–II/लेखा/ट्रांसमिशन/2022-23/181 दिनांक : 21.06.2024

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग,
उत्तर प्रदेश

महोदय,

एतत्सह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टीका–टिप्पणियाँ कम्पनी अधि ानियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के निबन्धनों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही है। कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टीका–टिप्पणियों के प्रस्तुत किये जाने की वास्तविक तिथि की सूचना दें।

यह रिपोर्ट लेखापरीक्षिती द्वारा दी गयी एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर बनायी गयी है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II), उत्तर प्रदेश लेखापरीक्षिती की किसी भी गलत सूचना और/अथवा गैर जानकारी के लिए किसी भी जिम्मेदारी को अस्वीकार करता है।

कृपया पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

–ह॰–
(जय प्रकाश)
वरि॰ उपमहालेखाकार
(ए॰एम॰जी॰–II)

संलग्नक : यथोपरि

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा की अनुरूपता में उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), हेतु 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबन्धन का है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित सम्प्रेक्षा मानकों की अनुरूपता में कम्पनी अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय प्रपत्रों पर अभिमत प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 30 सितम्बर, 2023 के माध्यम से किया गया होना इंगित है।

मेरे द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, की धारा 143(6)(ए) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों की पूरक सम्प्रेक्षा सम्पन्न की गयी। यह पूरक सम्प्रेक्षा, वैधानिक सम्प्रेक्षकों के कार्याभिलेखों को प्राप्त किये बिना स्वतंत्र रूप से सम्पादित की गयी है तथा मुख्यतः वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से पडताल, तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षण तक ही सीमित है।

मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर, अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय प्रपत्रों एवं सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को बेहतर समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है, को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगा :

अ. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

लाभ एवं हानि का विवरण

परिचालन से राजस्व (नोट–21): ₹ 3575.77 करोड़

1. उपरोक्त में कंपनी की ईएचटी लाइनों पर बिछाए गए ओपीजीडब्ल्यू के डार्क फाइबर का ₹ 1.15 करोड़ का पट्टा किराया शामिल नहीं है। जून 2023 में मेसर्स सिफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड को जारी किए गए 04 नवंबर 2022 के एलओआई और ₹ 2.84 करोड़ के बीजक (जीएसटी को छोड़कर) के अनुसार, कंपनी द्वारा 04 नवंबर 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए ₹ 1.15 करोड़ का पट्टा किराया प्राप्य था। कंपनी ने वर्ष 2022–23 के दौरान उपरोक्त पट्टा किराया का लेखांकन नहीं किया है।

   इसके परिणामस्वरूप परिचालन से राजस्व और वित्तीय संपत्तियां–व्यापारिक प्राप्य को ₹ 1.15 करोड़ से कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ को भी उसी सीमा तक कमतर आंका गया।

ब. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

गैर चालू परिसम्पत्तियां

सम्पत्ति संयत्र एवं उपकरण (नोट–2) : ₹ 26647.68 करोड़

2. उपरोक्त में ₹ 9.38 करोड़. पर्यवेक्षण प्रभार का पूंजीकरण शामिल है। अगस्त 2019 के निदेशक मण्डल निर्णयानुसार, एनएचएआई/प्राधिकरण/एक्सप्रेसवे/यूपीईआईडीए द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर 5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभार लागू था। तदनुसार, पर्यवेक्षण प्रभार ₹ 63.18 करोड़ की आधार लागत पर 5 प्रतिशत की दर से ₹ 3.16 करोड़ हुआ।

इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य इक्विटी को ₹ 6.22 करोड़ से आधिक्य है।

स. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

3. तथ्यानुसार 400 केवीए अनपरा–वाराणसी लाइन के लिए 319.28 हेक्टेयर वन भूमि के संबंध में मार्च 2014 में समाप्त पट्टे के लिए नवीनीकरण का आवेदन किया गया था, लेखों पर टिप्पणियों में प्रकटित नहीं किया गया है।

इस प्रकार, उपरोक्त सीमा तक लेखों पर टिप्पणियाँ अपूर्ण हैं।

4. कंपनी ने क्रमशः बागपत, शाहजहाँपुर एवं सोहावल में 400 केवी उपकेन्द्रों के लिए केन्द्रिय विद्युत नियामक आयोग के अक्टूबर-2019 और जनवरी-2020 के आदेशों के अनुपालन में द्विपक्षीय पारेषण शुल्क के संबंध में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को ₹ 48.79 करोड़ की राशि का भुगतान किया है (जून 2022) जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में अन्य प्राप्य के रूप में लेखांकन किया गया है।

कंपनी ने विरोध के अन्तर्गत पीजीसीआईएल की राशि का भुगतान किया और विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सीईआरसी के उक्त आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की, जिस पर निर्णय लंबित था। हालाँकि, लेखों पर टिप्पणियों में इस महत्वपूर्ण तथ्य का प्रकटन नहीं किया गया है।

इस प्रकार, इस सीमा तक लेखों पर टिप्पणियाँ अपूर्ण हैं।

वर्ष 2021–22 के लेखों पर सीएजी द्वारा समान टिप्पणी में दर्शाने के उपरान्त भी प्रबन्धन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

5. समता अंश पूंजी (नोट 11) में ₹ 180.72 करोड़ की राशि शामिल है, जो कंपनी द्वारा यूपीपीसीएल के स्थान पर यूपी सरकार को गलत तरीके से आवंटित किये गये समान राशि के अंश हैं, जिसके लिए मामला यूपी सरकार के समक्ष लंबित है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसका प्रकटन लेखों पर टिप्पणियों में किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, इस सीमा तक लेखों पर टिप्पणियाँ अपूर्ण हैं।

द. अन्य टिप्पणियाँ

6. कंपनी ने कर्मचारी लागत के तहत यूपीपीसीएल द्वारा आवंटित ₹ 18.42 करोड़ {कर्मचारी लागत (₹ 17.71 करोड़) प्रशासनिक लागत (₹ 0.16 करोड़) और आर एंड एम लागत (₹ 0.55 करोड़)} के सापेक्ष ₹ 14.45 करोड़ का सामान्य व्यय दर्ज किया है और वर्ष 2022–23 के लिए अपने लेखों में दर्शाया है, परिणामस्वरूप ₹ 3.97 करोड़ का अंतर आया। इसी प्रकार, कंपनी ने वर्ष 2021–22 के लिए यूपीपीसीएल द्वारा आवंटित 18.84 करोड़ {कर्मचारी लागत (₹ 17.38 करोड़), प्रशासनिक लागत (₹ 0.66 करोड़) और आर एंड एम लागत (₹ 0.81 करोड़)} के मुकाबले कर्मचारी लागत और प्रशासनिक लागत के तहत क्रमशः ₹ 25.55 करोड़ और ₹ 0.34 करोड़ का सामान्य व्यय दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.05 करोड़ का अंतर आया। कंपनी को यूपीपीसीएल द्वारा आवंटित समान सामान्य व्यय की बुकिंग के लिए उपरोक्त अंतर का समाधान करना चाहिए था।

कृते एवं भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक
की ओर से

स्थान : लखनऊ
दिनांक :

–ह०–
(तान्या सिंह)
महालेखाकार (ऑडिट–II)

सी॰एस॰ मर्दन सिंह
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
7/581/10, सेक्टर–7, विकास नगर, लखनऊ–226 022
मोबाईल : 7355060301, ईमेल : एमएआरडीएएनएस59@जीमेल.काम

फार्म नं॰ एम आर–3

सचिवीय सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कम्पनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं॰–9 के अनुसार।

दिनांक 31-03-2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु

सेवा में,

सदस्यगण,
उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, अशोक मार्ग
लखनऊ–226001
सी॰आई॰एन॰–यू40101यूपी2004एसजीसी02868

मेरे द्वारा उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, (एतद्वारा कम्पनी से सम्बोधित) में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा कम्पनी में अच्छी निगमित प्रथाओं के अनुपालन का सचिवीय सम्प्रेक्षण किया गया है। सचिवीय सम्प्रेक्षण इस ढंग से किया गया है जिससे मुझे निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन करने तथा उक्त मूल्यांकन पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु यथोचित आधार प्राप्त हुआ।

उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की लेखों, दस्तावेज, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न एवं कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेख एवं कंपनी के संचालन के दौरान, कंपनी इसके अधिकारियों, सचिवीय सम्प्रेक्षक द्वारा संचालित एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर मेरे द्वारा परीक्षण किया गया, मैं एतद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में, कंपनी ने 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाविष्ट करने वाली सम्प्रेक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन हैं–इसके बाद ढंग से की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, उसके अधीन तंत्र मौजूद है:

मैंने प्रावधानों के अनुसार 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए (''कंपनी'') द्वारा रखी गई लेखों, दस्तावेजों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न एवं अन्य अभिलेखों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमय

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियमः– लागू नहीं

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम – लागू नहीं

सी॰एस॰ मर्दन सिंह
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
7/581/10, सेक्टर–7, विकास नगर, लखनऊ–226 022
मोबाईल : 7355060301, ईमेल : एमएआरडीएएनएस59@जीमेल.काम

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम :– लागू नहीं

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः – लागू नहीं

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 :– लागू नहीं

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992 :– लागू नहीं

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 200:– लागू नहीं

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 :– लागू नहीं

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 :– लागू नहीं

(एफ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993 :– लागू नहीं

(जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 एवं :–लागू नहीं

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998 :– लागू नहीं

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की हैः

(आई) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया हैः

<u>टिप्पणी</u> :–

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 सपठित धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के सम्प्रेक्षित वित्तीय विवरण को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर अर्थात 30.09.2022 तक अंगीकृत किया जाना आवश्यक था। वार्षिक साधारण सभा 30.09.2022 को आयोजित की गयी। इस सभा में कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2021–22 के वार्षिक वित्तीय प्रपत्र (वार्षिक लेखे) अंगीकृत कराये जाने हेतु तैयार नहीं थे तथा यह साधारण सभा स्थगित कर दी गयी, अतएव कम्पनी वित्तीय वर्ष 2021–22 के वार्षिक लेखों को इस वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत नहीं कराए जा पाने के कारण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन करने में कम्पनी विफल रही है।

सी॰एस॰ मर्दन सिंह
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
7/581/10, सेक्टर–7, विकास नगर, लखनऊ–226 022
मोबाईल : 7355060301, ईमेल : एमएआरडीएएनएस59@जीमेल.काम

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 सपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के प्रावधानो के अनुसार, कंपनी द्वारा निदेशक मण्डल में न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत जब लेखापरीक्षा समिति का गठन करते है, ऐसी समिति के संयोजन में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति आवश्यक होती है। इसी तरह, जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निगमीय सामाजिक दायित्व समिति का गठन करते है, कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सामाजिक दायित्व समिति के संरचना में नियुक्त किया जाना चाहिए। कंपनी ने न तो अपने निदेशक मंडल के संयोजन में, न ही सम्प्रेक्षा समिति और निगमीय सामाजिक दायित्व समिति की संरचना में स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किया है।

मुझे अग्रेतर प्रतिवेदित करना है कि इस सम्प्रेक्षा में प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर को सम्मिलित करते हुए प्रभावी वित्तीय अधिनियमों की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि इस विषय पर सांविधिक सम्प्रेक्षक तथा अन्य नामित पेशेवर के स्तर पर समीक्षा की जानी है।

मुझे अग्रेतर प्रतिवेदित करना है कि उपरोक्त कथनों के प्रतिबन्धाधीन कम्पनी के निदेशक मण्डल का स्वरूप कार्यपालक निदेशक, एवं गैर कार्यपालक निदेशक के उचित संतुलन के साथ उपयुक्त रूप से गठित है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल के स्वरूप में जो भी परिवर्तन हुए वे अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ही किए गए है। समस्त निदेशकों को निदेशक मण्डल की बैठकों के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना दी गई है। एजेण्डा तथा एजेण्डा पर विस्तृत नोट पहले से ही प्रेषित कर दिये गये थे तथा बैठक को सार्थक प्रतिभागिता हेतु बैठक से पूर्व ऐजेण्डा बिन्दुओं पर और ज्यादा सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु समुचित प्रणाली विद्यमान है। निदेशक मण्डल की बैठकों मे प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर निर्णयों को सर्वसम्मति से पारित करते हुये कार्यवृत्त में दर्ज किया गया।

मुझे अग्रेतर प्रतिवेदित करना है कि कम्पनी के आकार एवं परिचालनों की अनुरूपता में प्रभावी अधिनियमों, नियमों, विनियमो तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा उसकी देखरेख हेतु कम्पनी में समुचित प्रणाली एवं प्रक्रिया विद्यमान है।

ह/–
(मर्दन सिंह)
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
एफ॰सी॰एस॰ : 1933, सी॰पी॰न॰ : 10705
यूडिन : एफ001933ई001927054

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 17.11.2023